खण्ड ५ अंक १५
३ अगस्त, १९५६, (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १----प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ५ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

183 L. S./56.

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

लोक-सभा

शुक्रवार, ३ अगस्त १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अन्दमान जाने क लिये टिकटों में चोर बाज़ारी

†*६७३. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान संस्था के पाक्षिक समाचार पत्र 'हमारी आवाज़' के १ मई, १९५६ के अंक में प्रकाशित इस समाचार "नौकर और मज़दूर टिकटों में चोर बाज़ारी" और इसी तिथि के अंग के ही सम्पादकीय लेखों की ओर, सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या मैं जान सकता हूं कि टिकटों में चोर बाज़ारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं और यदि हां तो किस प्रकार की क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**श्री दातार :** सरकार ने दो कार्यवाहियां की हैं। एक तो यह कि "मैसर्स बैस्ट एण्ड कम्पनी, मद्रास" क स्थान पर ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन को प्रतिस्थापित किया गया है जो कि एक सरकारी संस्था ह ; और, दूसरे, सरकार ने हाल ही में एक पुराना जहाज़ खरीदा है जिसे यथासम्भव शीघ्रता से काम में लाया जायेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या सरकार को यह बात मालूम है कि जो व्यापारी अन्दमान जाने का केवल विचार प्रकट करते हैं वे नौकरों के नाम पर दस से लेकर पन्द्रह तक टिकट सुरक्षित करा लेते हैं जब कि स्थायी निवासियों को, जो अन्दमान जाना चाहते हैं, टिकट देने से इन्कार किया जाता है ?

†**श्री दातार :** कभी कभी ऐसी बातें होती हैं किन्तु सरकार ऐसी सभी बातों को रोकन का प्रयास करेगी।

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मालाबार के लगभग ४५० नागरिकों की एक बड़ी संख्या को, जिनमें से अधिकांश किसान हैं, टिकट देने से इन्कार किया गया और यद्यपि उन्होंने फरवरी में आवेदित किया था तथापि उन्हें अगस्त तक टिकट नहीं दिए गए ह ?

†**श्री दातार :** एक बार की यात्रा के संबंध में यह कठिनाई थी। इसका कारण यह था कि कुछ कारणों के फलस्वरूप यात्रियों की संख्या ८०० से एकदम घटकर ४९० हो गई ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में मैं यह जान सकता हूं कि जांच का निष्कर्ष क्या निकला है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाने की प्रस्थापना है।

†**श्री दातार :** हमने जांच कर ली है और यद्यपि काला बाजार की विशिष्ट घटनाएं प्रकाश में नहीं आई हैं तथापि सरकार का ख्याल है कि ऐसी खेदजनक घटनाओं के लिये वहां कुछ गुंजाइश थी । इस लिये इसे रोकने के लिये सरकार कड़ी कार्यवाही कर रही हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** यात्रीयों की संख्या कितनी होगी और कितने जहाज भेजे जायेंगे ? क्या एक महीने में एक जहाज़ जायेगा ?

श्री दातार : गवर्नमेंट की राय में एक महीने में दो जहाज़ जायेंगे।

बैंकों का संघ

† *६७४. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या वित्त मंत्री २१ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९५० के उत्तर के संबंध में किए गए आश्वासन की क्रियान्वित में १६ मार्च, १९५६ को लोक सभा पटल पर रखे गये पूरक विवरण संख्या १३ के अनुबन्ध संख्या १ की भद संख्या १७ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक अंशों और ऋण पात्रों के नए निर्गमों को अन्तर्लिखित करने के लिये प्रमुख बैंकों के संघ की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यकरण के निबन्धन और शर्तें तथा नियम और विनियम क्या हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) :** (क) और (ख). लम्बी अवधि की औद्योगिक वित्त व्यवस्था में बकों को भाग लेने के समर्थ बनाने के लिये श्रॉफ समिति ने सिफारिश की थी कि इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व में एक बैंक और बीमा समावाय संस्था की स्थापना की जाये । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है हाल ही के कुछ वर्षों में देश की वित्त प्रबन्धक संस्थाओं की संख्या और उनके कार्यक्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है और छोटे पैमाने के और दरम्याने दर्जे के उद्योगों को ऋण देने के लिये विभिन्न अभिकरणों की गतिविधियों का समन्वय करने के संबंध में भारत के राज्य बैंक ने कुछ अग्रिम योजनाएं प्रारम्भ की हैं। सरकार की राय है कि हाल ही में स्थापित ऋण संस्थाओं और भारत के राज्य बैंक द्वारा प्रारम्भ की गई अग्रिम योजनाओं को कार्यकरण के परिणाम उपलब्ध होते तक प्रमुख बैंकों की एक संस्था की स्थापना का प्रश्न स्थगित करना होगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस संबंध में जो अग्रिम योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं उनका स्वरूप क्या है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** भारत के राज्य बैंक ने औद्योगिक संस्थाओं के लिये वित्त का प्रबन्ध करने के संबंध में कुछ अग्रिम योजनाएं प्रारम्भ की हैं। फिलहाल बम्बई हलके ने कोल्हापुर, सूरत और बम्बई में कुछ अग्रिम योजनाएं प्रारम्भ की हैं मद्रास क्षेत्र ने कोयम्बटूर, विजयवाड़ा और

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

मद्रास में योजनाएं प्रारम्भ की हैं ; बंगाल हलके ने लुधियाना, आगरा और दिल्ली में योजनाएं प्रारम्भ की हैं। इस योजना का उद्देश्य अन्य संस्थाओं के सहयोग के साथ दरम्याने और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ऋण का उपबन्ध करना है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी गतिविधियों का समन्वय करने के लिये इस समय कोई निकाय है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** यही मैंने उत्तर में कहा है कि भारतका राज्य बैंक इन गतिविधियों का समन्वय करेगा।

साधारण श्रेणी के सैनिकों के लिये क्वार्टर

†*६७५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साधारण श्रेणी के सैनिकों के क्वार्टरों के शौचालयों में बिजली लगाने के लिये एम० ई० एस० अनुसूची में कोई उपबन्ध नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि साधारण श्रेणी के सैनिकों के क्वार्टरों की खिड़कियों में लोहे की सिलाखें नहीं लगाई जा रही हैं ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि ऊपर बताई गई न्यूनताओं के परिणाम स्वरूप साधारण श्रेणी के सैनिकों के क्वार्टरों में दुर्घटनाएं और चोरियां आदि हो रहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी नहीं ; साधारण श्रेणी के विवाहित सैनिकों के क्वार्टरों के शौचालयों में बिजली लगाना प्राधिकृत है।

(ख) जी नहीं। जब भी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझा जाता है तो सभी प्रका के पारिवारिक क्वार्टरों की खिड़कियों में लोहे की सिलाखें और ए० आर० सी० जाली लगा जाती हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं जान सकती हूं कि दिल्ली में और उसके आसपास के स्थानों में बने क्वार्टरों के शौचालयों में बिजली लगाई गई है ?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा कि मैं कह चुका हूं यह प्राधिकृत है और मेरे विचार में वहां बिजली होनीं ही चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को देखते हुए कि क्वार्टरों तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में साधारण श्रेणी के सैनिकों और पदाधिकारियों के रहन-सहन के स्तरों में काफी अन्तर है, क्या म जान सकती हूं कि उन्हें कम से कम न्यूनतम सुविधायें देने और जो कुछ प्राधिकृत है उसकी वास्तविक क्रियान्वित और उस संबंध में जो योजनाएं हैं उन्हें लागू करने की प्रस्थापना है ?

†**सरदार मजीठिया :** चूंकि माननीय सदस्य ने अब उसका उल्लेख किया है इसलिए मैं इस मामले की जांच करूंगा। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है यह प्राधिकृत है। यदि उन सैनिकों को सुविधायें प्राप्त नहीं हैं तो मैं निश्चय ही इस मामले की जांच करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विनियोजन प्रत्याभूति योजना

†*६७६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका सरकार द्वारा प्रस्तुत विनियोजन प्रत्याभूति योजना में भारत के शामिल होने के मामले के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय तथा योजना का ब्योरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का इस मामले के बारे में अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मामला अभी विचाराधीन है।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस योजना में शामिल होने के संबंध में विचार कर रही है, और यदि हां, तो अमेरिका सरकार द्वारा क्या निर्बन्धन रखे गए हैं?

†**श्री ब० रा० भगत :** प्रत्याभूति योजना के अन्तर्गत यदि भारत सरकार और अमेरिका के बीच कोई प्रत्याभूति है तो अमेरिका, भारत में उन परियोजनाओं पर विनियोजन प्रतिभूत करेगा जिन पर कि इस सरकार और अमेरिका सरकार के बीच परस्पर सहमति होगी। यही इसकी मोटी रुपरेखा है। इसका और भी ब्योरा है, किन्तु मैं उन्हें इस समय नहीं बता सकता हूं।

†**श्री कासलीवाल :** क्या मैं जान सकता हूं कि विनियोजन प्रत्याभति योजना के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव था और अब उसे अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के गठन के पश्चात् त्याग दिया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जी नहीं। इसका अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से कोई संबंध नहीं है।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** क्या मैं जान सकता हूं कि हाल ही की औद्योगिक नीति का इस विनियोजन प्रत्याभूति योजना पर क्या किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** हमने सामान्यतया द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तिम रूप से तय होने तक और विशेषतया औद्योगिक नीति वक्तव्य के सूत्रित होने तक इस करार पर विचार करना स्थगित कर दिया है। अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम इस करार में शामिल हों या न हों?

†**श्री ति० सु० आ० चेट्टियार :** मुझे बताया गया है कि यह प्रत्याभूति अमेरिकी सरकार द्वारा भारत में विनियोजन करने के संबंध में है। क्या म जान सकता हूं कि क्या ये भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये लोक उपयोगी परियोजनाओं तक ही सीमित है अथवा अन्य परियोजनाओं पर भी इन्हें लागू किया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इनमें सभी विनियोजन, भारत में अमेरिका के राष्ट्रजनों द्वारा किये गये निजी विनियोग, शामिल होगा। मेरा ख्याल है कि उसे लोक उपयोगी परियोजनाओं अथवा अन्य बातों तक सीमित नहीं रखा जायेगा। मुख्य बात यह है कि वह केवल उसी परियोजना पर लागू होगी जिसके संबंध में भारत सरकार इस बात पर सहमत होती है कि विनियोजन अमेरिकी द्वारा किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी†

†*६७७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री २८ फ़रवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेज़ी में पर्याप्त योग्यता प्राप्त करने के लिये कार्यवाहियों तथा उपायों की सिफारिश करने के संबंध में जो समिति नियुक्त की गई थी, क्या उसने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का स्वरूप क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह समिति कब नियुक्त की गई थी और इसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** समिति अक्टूबर, १९५५ के कुछ समय बाद नियुक्त की गई थी। इसकी प्रारम्भिक बैठक हुई थी और कार्य किस प्रकार किया जाये इस संबंध में वह पहले ही निर्णय कर चुकी है। परन्तु कोई अग्रेतर प्रगति नहीं की गई है। वास्तव में यह एक जटिल विषय है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में समिति को कुछ समय लगेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** माननीय मंत्री ने कहा है कि समिति के समक्ष एक जटिल विषय है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस समिति द्वारा इस अत्यन्त जटिल विषय को सुलझाने के लिये सरल बनाने के संबंध में वह क्या प्रयत्न करेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** समिति से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये पहले ही कहा जा चुका है। हाल ही में मैंने सभापति से बातचीत की थी। समिति के कार्य को शीघ्रता से करने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि समिति के निर्देश-पद क्या हैं ताकि हम यह समझ सकें कि इस विषय में कठिनाई क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति इस प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी कि क्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की योग्यता के स्तरों में कोई अवनति हुई है और यदि हुई है तो उसके कारण क्या हैं और यह भी मालूम करे कि क्या अवनति का कारण अंग्रेजी का अपर्याप्त ज्ञान है। जब समिति की पहली बैठक हुई थी तो उसका यह विचार था कि इस प्रश्न पर तब तक बहुत ही गहराई में विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का भी कुछ परीक्षण न किया जाये और उन्होंने सामान्य सर्वेक्षण के लिये प्रारम्भिक तैयारी कर ली है।

विश्वविद्यालयों में भाषाओं का अध्ययन

†*६७८. **श्री डाभी :** क्या **शिक्षा** मंत्री १५ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण हैं कि अलीगढ़, बनारस तथा शान्तिनिकेतन के विश्वविद्यालयों में बंगला, मराठी, तामिल तैलगू और मलयालम और कन्नड़ भाषां के अध्ययन के लिये पुरस्कार और छात्र-वृत्तियां दी गई हैं और गुजराती भाषा के लिये इनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ख) क्या सरकार का इन विश्वविद्यालयों में गुजराती भाषा के अध्ययन के लिये जो कि इनके समान ही उन्नत भाषा है, पुरस्कार और छात्रवृत्तियां देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) अलीगढ़, बनारस दिल्ली तथा शान्ति-निकेतन के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 'पुरस्कार योजना' शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अध्ययन के लिये प्रोत्साहन करना था और ारम्भ में बंगला, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तैलगू और तामिल इन छः भाषाओं में एक संप ीक्षा कार्य-वाही के रूप में यह योजना शुरू की गई थी। तथापि यह सोचा गया था कि अन्य ाषाओं को भी योजना में सम्मिलित करने के लिये योजना का क्षेत्र विस्तृत किया जायेगा।

(ख) यह मामला अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

†**श्री डाभी**: क्या आपका तात्पर्य यह है कि इस योजना को इन विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिये यह मामला आयोग के विचाराधीन है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय किया था कि चुनी हुई प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन के लिये पुरस्कार देने की योजना को अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाये और उन्होंने उस बात की जांच करने का भी निर्णय किया था कि क्या इस योजना में और अधिक भाषाओं को वे सम्मिलित कर सकते हैं या नहीं, इस प्रश्न पर विचार करने के लिये आयोग एक समिति नियुक्त कर चुका है ।

†**श्री डाभी**: क्या मैं उन विद्यार्थियों की संख्या जान सकता हूं जिन्होंने आज तक इन भाषांओं में से प्रत्येक के अध्ययन को आरम्भ किया है और जिन्हें योजना के अन्तर्गत पुरस्कार और छात्र-वृत्तियां दी गई हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय**: कुल मिला कर सात भाषायें हैं। यदि माननीय सदस्य यदि यह जानकारी चाहते हैं तो उन्हें अतारांकित प्रश्न पूछना चाहिये था। माननीय मंत्री विद्यार्थियों की कुल संख्या बता दें।

†**डा० का०ला० श्रीमाली**: वे अधिक नहीं हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले केवल चार विद्यार्थी हैं।

†**श्री रा० प्र० गर्ग**: क्या पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य विश्वविद्यालय में पंजाबी के अध्ययन के लिये कोई पुरस्कार या छात्रवृत्ति दी जाती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: जैसा कि मैने कहा था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक समित नियुक्त कर चुका है जो इस सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करेगी ।।

†**श्री वें० प० नायर**: माननीय मंत्री ने कहा है कि विभिन्न भाषाओं में जो कि आरम्भ में सात हैं, अध्ययन के लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने व्यवस्था की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन भाषाओं में, विशेषतया तामिल, तैलगू, मलयालम, और कन्नड़ भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: इस प्रबन्ध का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करने से अधिक अन्य भाषाओं को सीखने के लिये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना भी है। मेरे विचार में कुछ विश्वविद्यालयों में पर्याप्त प्रबंध है परन्तु मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री ब० स० मूर्ति**: क्या मंत्रालय द्वारा इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अन्य भाषाओं से संबंधित विद्यार्थियों को जो योग्यता प्राप्त करनी होती है उसके लिये प्रत्येक भाषा के विश्वविद्यालयों को चुना जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: जैसा कि मैंने कहा था इस योजना का अत्यन्त विशिष्ट उद्देश्य है। इस योजना का प्रयोजन विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को जानने के लिये प्रोत्साहित करना है। इसलिए स्वभावतः जब समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी तो वह यह देखेगी कि इन भाषाओं को विभिन्न स्थानों पर कैसे बांटा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री डाभी :** शान्ति निकेतन में, जहां पर बंगला भाषा है, इस योजना को शुरू करने का क्या कारण था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वहां पर अन्य भाषायें भी हैं।

नेपाल को सहायता

***६८०. श्री भक्त दर्शन :** क्या **वित्त** मंत्री ३० अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल को उसकी प्रथम पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये उसे मदद देने के संबंध में क्या इस बीच कोई अन्तिम निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह जानकारी बतानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) हमने नेपाल सरकार को बता दिया है कि हम उसकी प्रथम पंचवर्षीय आयोजना को कार्यान्वित करने के लिए १० करोड़ रूपये तक की वित्तिय सहायता देने को तैयार हैं। यह तो नेपाल सरकार को ही बताना है कि वह किन आयोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए हमारी सहायता का उपयोग करना चाहेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नैपाल की जो पंच-वर्षीय विकास योजना बनी है उस पर कुल कितना खर्चा होगा और उसका मोटा स्वरूप क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : नैपाल की प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग कुल २१.६३ करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें १६.०७ करोड़ तो कैपीटल कास्ट होगी और ५.५६ करोड़ रिकरिंग कास्ट होगी।

श्री भक्त दर्शन : यह जो दस करोड़ की सहायता नैपाल सरकार को दी जायेगी, क्या इसके अलावा हमारे देश से उनको और टैकनिकल सहायता भी दी जायेगी, विशेषकर ऐसे कर्मचारी दिये जायेंगे जिनको पर्वतीय इलाकों के विकास कार्य का अनुभव हो, क्योंकि नैपाल भी एक पर्वतीय इलाका है ?

श्री ब० रा० भगत : जो टैकनिकल सहायता दी जायेगी वह भी इसी दस करोड़ के अन्तर्गत होगी। जो कर्मचारी दिये जायेंगे वे तो इस बिना पर दिये जायेंगे कि उनका उस काम में कितना अनुभव है। यह तो मैं तफ़सील से नहीं बतला सकता कि उनको पर्वतीय इलाकों का अनुभव है या नहीं यह देखा जायेगा, लेकिन सब बातों को सोचकर, जो कुछ हम जरूरी समझते हैं, ऐसी योग्यता वाले कर्मचारी उनको दिये जायेंगे।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** क्या किन्हीं ऐसी परियोजनाओं के बारे में भी निर्णय हुआ है जिनको भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से नेपाल की सहायता करेगा। यदि हां तो उस योजना का ढांचा क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इस समय दो परियोजनाओं, एक तो सड़क विकास के लिये और रेलवे लाइन को चौड़ा करने के लिये, के बारे में वार्तालाप हो रहा है, जिनमें भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से सहायता करेंगे। यह सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि भारत परिव्यय का २५ प्रतिशत भाग खर्च मुख्यत: प्राविधिक सहायता के रूप में दे और ७५ प्रतिशत खर्च आर्थिक सहायता के रूप में अमेरिका दे। इसके अतिरिक्त एक राप्ती घाटी विकास योजना भी है जिसमें अमेरिका ने सहायता देने का वचन दिया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

श्री रा० स० तिवारी : मंत्री जी ने यह बतलाया कि दस क ोड़ की वित्तीय सहायता दी जायेगी। तो क्या इस वित्तीय सहायता में रूपया दिया जायेगा या टैकनिकल सहायता और काम का सामान दिया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : यह जो दस करोड़ की सहायता दी जायेगी यह किस रूप में दी जायेगी यह तो नैपाल सरकार से उनकी भिन्न भिन्न योजनाओं के बारे में बातचीत करने के बाद ही तय किया जा सकेगा। मगर यह सहायता अधिकतर टैकनिकल सहायता के रूप में और कुछ वित्तीय सहायता के रूप में दी जायेगी, और कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के रूप में भी ी जायेगी। मगर इसका असली रूप नैपाल सरकार से उसकी विभिन्न योजनाओं के बारे में बातचीत करने के बाद ही निश्चित किया जा सकेगा।

श्री ब० द० पांडे : यह जो दस करोड़ की सहायता दी जायेगी यह अनुदान के रूप में होगी या कर्जे के रूप में ?

श्री ब० रा० भगत : यह अनुदान के रूप में होगी, कर्जे के रूप में नहीं।

नागा पहाड़ियों में सेनापति का दौरा

†*६८२. **श्री विभति मिश्र :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेनापति ने जून, १९५६ में नागा पहाड़ियों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या उद्देश्य था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटज) :** (क) जी, हां।

(ख) सैनिक यूनिटों का निरीक्षण करने तथा वहां की सामान्य स्थिति को देखने के लिये।

श्री विभूति मिश्र : यह जो हमारे आर्मी चीफ गये थे और वहां भ्रमण किया, तो क्या वे उस दौरान में कुछ गांव वालों से भी मिले थे और उनको समझाया-बुझाया था ?

डा० क़ाटजू : जी हां, उन्होंने फरमाया तो यही है कि वे गांव वालों से मिले और उनकी उनसे काफी बातचीत हुई और गांव वालों ने बड़ा इज़हार अकीदत किया।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ऐसा सोचती है कि जो बड़े बड़े आर्मी चीफ और अफसर वहां जाते हैं, वे गांव वालों से मिलें और उनसे मिलकर उनको कुछ बतायें कि ताकि वहां शान्ति हो ?

डा० काटजू : मैं इस बात से मुत्तफिक हूं। उनसे ऐसा करने की आशा भी की जाती है और वे ऐसा करते भी हैं।

डी० डी० टी०

*६८३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में वैज्ञानिकों को कोयले से डी० डी० टी० निकालन में सफलता मिल गयी है ; और

(ख) क्या सरकार के सामने ऐसी कोई योजना है कि डी ० डी० टी० का स्थानापन्न कोई पदार्थ कोयले से निकाला जाये ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अतिरिक्त सरकार के पास अन्य कोई जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार के सामने ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन जलगोरा में "ईंधन अनुसंधान संस्था" कोयले से कीटनाशक पदार्थ तैयार करने के विषय पर अनुसंधान कर रही है।

श्री रघुनाथ सिंह : पाकिस्तान में वैज्ञानिकों ने कोयले से डी० डी० टी० निकालने के संबंध में जो अन्वेषण किया गया है तो क्या वैसा प्रयास हिन्दुस्तान में भी किया जायेगा ?

श्री के० दे० मालवीय : कोयले से डी० डी० टी० बनाना सम्भव नहीं है अलबत्ता डी०डी० टी० की तरह का सामान अर्थात् कोयले से "इंसैक्टीसाइड्स" बनाने के बारे में हमारे वहां भी रिसर्च हो रही है। कोयले से डी० डी० टी० बनाना न पाकिस्तान में संभव होगा और न कोई ऐसी योजना यहाँ पर हो सकती है।

बहुप्रयोजनीय स्कूल

†*६८४. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री १२ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में पश्चिमी बंगाल में बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने के लिये कितने धन की व्यवस्था करने का विचार है ? ;

(ख) क्या १९५५-५६ के लिये आवंटित समस्त राशि पूर्ण व्यय की जा चुकी है ; और

(ग) यदि हां तो १९५५-५६ में कितने स्कूलों को सहायता मिली है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) ३०.१० लाख रुपये।

(ख) जी हां।

(ग) ६८ हाई स्कूल।

†**श्री स० चं० सामन्त :** जिन स्कूलों को वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के लिये सहायता मिली थी क्या वह बहुप्रयोजनीय निधि में से उन्हें मिला था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कितनी ही योजनाओं के लिये हम अनुदान दे रहे हैं। हाई स्कलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित करने की योजनायें हैं। कुछ योजनाओं में विज्ञान के विकास के पाठ्यक्रमों के लिये भी हम अनुदान देते हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में सभी हाई स्कूल, बहुप्रयोजनीय स्कूल बन जायेंगे और यदि नहीं तो बहुप्रयोजनीय स्कूलों से निकले विद्यार्थी तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम किस प्रकार पूर्ण करेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** स्थिति यह है कि हमने विश्वविद्यालय तथा सैकेन्डरी शिक्षा की समस्त पद्धति का पुनर्गठन करने के लिये राज्य सरकारों को लिखा है। हमने अंतर्वर्ती काल के लिये कुछ उपायों के सुझाव दिये हैं, जिससे बहुप्रयोजनीय स्कूलों से निकले विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। विभिन्न राज्य, उत्तर देने के लिये कार्य कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये उपायों के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री म० कु० मैत्र :** इन स्कूलों में से कितने देहाती क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** क्या माननीय सदस्य पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ?

†**श्री० म० कु० मैत्र :** जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं देहाती तथा नागरी क्षेत्रों के अलग अलग आकड़े नहीं बता सकता हूं।

†**श्री नि० बि० चौधरी :** क्या सरकार का विचार हाई स्कूलों का हायर सैकेन्डरी स्कूलों में परिवर्तन रोक कर केवल बहुप्रयोजनीय स्कूलों को स्थापित करने का है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं सभी हाईस्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तन करना संभव नहीं ह। मुझे आशा है कि कुछ साधारण हायर सैकेन्डरी स्कूल भी रहेंगे। परन्तु सरकार की नीति जितने संभव हो उतने बहुप्रयोजनीय स्कूल स्थापित करने की है जिससे विभिन्न गुण वालों तथा विभिन्न योग्यताओं वालों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध किया जा सके।

†**श्री वीरस्वामी :** मद्रास राज्य में बहुप्रयोजनीय स्कूल कितने है तथा इन स्कूलों को कितना अनुदान दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न पश्चिमी बंगाल के संबंध में है।

†**श्री म० कु० मैत्र :** पश्चिमी बंगाल में स्थापित इन प्रत्येक स्कूलों में औसतन कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा सकता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विद्यार्थियों की औसत संख्या शिक्षा विभाग निश्चित करता है। इसलिये मैं अभी यह जानकारी नहीं दे सकता हूं।

विद्यार्थी शिशिक्षुता योजना

†*६८६. **श्री झूलन सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थी शिशिक्षुता योजना के कार्यकरण का क्या अनुभव रहा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** अपेक्षित जानकारी देने का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१)**

†**श्री झूलन सिंह :** क्या ये सुविधायें इन सभी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों को दी जायेंगी जिन्होंने इस योजना के अधीन सुविधाओं के लिये आवेदन पत्र भेजे ह ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** क्या माननीय सदस्य का आशय नियुक्ति के प्रश्न से है अथवा छात्रवृत्तियां देने के संबंध में ?

†**श्री झूलन सिंह :** मै इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के संबंध में पूछ रहा हूं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** व्यवस्था यह है कि हम विश्वविद्यालयों से नाम मांगते हैं। प्रविधिक संस्थायें तथा विभिन्न अन्य प्रकार की संस्थायें नामों का सुझाव देती हैं। हम यह देखते हैं कि यथासंभव विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाये क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के लिये हमारे पास समिति स्थान हैं। आवेदन पत्र भेजने वाले सभी विद्यार्थियों की व्यवस्था करना संभव नहीं है, परन्तु हम यह अवश्य देखते हैं कि निर्यादित जगहें प्राप्त हों।

†**श्री झूलन सिंह :** इस योजना के अधीन कुल कितने विद्यार्थियों को सहायता मिलती है तथा अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास १९५३ से १९५६ तक के आंकड़े हैं। क्या मैं इनको सभा पटल पर रख सकता हूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां।

†**श्री म० कु० मैत्र** : क्या जो विद्यार्थी इस शिक्षा योजना में भाग ले रहे हैं उनको नौकरी मिलने में कठिनाई होती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं। हमारी सूचना यह है कि प्रशिक्षित इंजीनियरों तथा प्रविधियों की बहुत मांग होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी सामान्यतः बेकार नहीं रहते हैं।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

† *६८७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व भारत में, विशषतया हैदराबाद में, बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्रजन आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके आने का क्या उद्देश्य है ;

(ग) उनके वीसा की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् उनमें से कितने व्यक्ति रूके हुए हैं ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के भारत प्रवेश का क्या उद्देश्य है ?

†**श्री दातार** : अन्य कामों के साथ-साथ अपने सम्बन्धियों से मिलना।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने भारतीय नागरिकता के लिये आवदन पत्र दिये हैं तथा यदि हां, तो क्या उनको नागरिकता दी जायेगी ?

†**श्री दातार** : नागरिकता अधिनियम अभी नया नया लागू किया गया है तथा उस अधिनियम के अधीन नियम हाल ही में जारी किये गये हैं। यह अब विचार करने का प्रश्न है। जब आवेदन पत्र आयेंगे तब उन पर विचार होगा।

†**डा० राम सुभग सिंह** : कुछ दिन पूर्व की हैदराबाद तथा भोपाल की दुर्घटनाओं को दृष्टि में जो कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के भड़काने के कारण हुई बतायी जाती हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रियों के प्रवेश, ठहरने तथा घूमने को विनियमित करने पर विचार कर रही है ?

†**श्री दातार** : नागरिकता अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के अधीन सरकार को इन व्यक्तियों को भारत का नागरिक बनने की अनुमति देने से पूर्व, इनके पुराने कार्यों तथा परिस्थितियों की जांच का पूर्ण अधिकार है।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार का ध्यान, जम्मू तथा काश्मीर राज्य के मुख्य मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद द्वारा केवल तीन दिन पूर्व अमृतसर में दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है कि व्यापारियों के भेष में वहां पाकिस्तानी एजेन्ट मौजूद हैं तथा वह भारत में भड़काने वालों तथा पाकिस्तान में उनके स्वामियों के मध्य सम्पर्क बनाये रखने वाले एजेन्टों का कार्य कर रहे है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां, समाचार पत्रों में उस वक्तव्य को देख लिया गया है। हम और आगे इसकी जांच करेंगे। मेरे लिये और जांच किये बिना यह बताना कठिन है कि सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

वैज्ञानिक जनशक्ति समिति

†*६९०. **श्री रा० प्र० गर्ग :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक जन शक्ति के विकास के लिये वैज्ञानिक जन शक्ति समिति की सिफारिशों का किस सीमा तक उपयोग किया जा चुका है ;

(ख) क्या कथित समिति की कोई सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा तथा उनको अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंन्ध संख्या २२**]

†**श्री रा० प्र० गर्ग :** क्या समिति की सिफारिश के अनुसार, वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारियों का रजिस्टर बना लिया गया है और यदि नहीं, तो यह कब तक तैयार होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** काम अभी हो रहा है। यह कहना बड़ा कठिन है कि यह कब पूर्ण होगा ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग :** सरकार के राष्ट्रीय रजिस्टर में कितने प्रविधिक तथा वैज्ञानिक कर्मचारी हैं जो सरकारी सेवा में लिये जा सकते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस बारे मे, मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग :** १९४९ से, रजिस्टर रखा जा रहा है। फिर भी माननीय मंत्री कर्मचारियों की संख्या नहीं जानते हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यह कई सौ पृष्ठों का छपा हुआ ग्रंथ है। माननीय सदस्य संख्या जानना चाहते हैं। उसमें लाखों नाम हैं। कुछ नौकरी में हैं और कुछ नहीं हैं। उनके सही आंकड़े रखना कठिन है।

मैं सभा को सूचित कर देना चाहता हूं कि इस पर विचार करते समय हम यह करना चाहते हैं कि न केवल वैज्ञानिक व्यक्तियों का पूर्ण रजिस्टर ही न हो, प्रत्युत एक प्रकार से इन व्यक्तियों की समूची सूची रहे जिसमें ऐसे व्यक्ति भी हों जिनको एकदम नियुक्त न किया जा सके। जिससे कि वह प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त करें तथा अवसर आने पर उनको नौकरी मिल जाये। इस विषय पर विचार किया जा यहा है।

†**डा० रामा राव :** इस समिति ने पहला प्रतिवेदन १९४७ में प्रस्तुत किया था। तब से देश में इंजीनियरिंग कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ गई है। क्या केन्द्रीय सरकार का विचार, इस मांग को पूरा करने के लिये एक इंजीनियरिंग कालेज प्रारम्भ करने का है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** केन्द्रीय सरकार प्रविधिक संस्थानों के विकास के लिये विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को सहायता दे रही है। केन्द्रीय सरकार की भी चार प्रादेशिक संस्थाओं के विकास के लिये एक योजना है जिनमें एक स्थापित की जा चुकी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में तीन और स्थापित करने का विचार है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में प्रविधिक शिक्षा के विकास के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है। प्रथम योजना में प्रविधिक शिक्षा के लिये आवंटित २८ करोड़ रुपये मे से हमने केवल १४ करोड़ रुपया व्यय किया है।

---

†मूल अंग्रजी में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं यह कहूंगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, प्रविधिक संस्थाओं के विकास पर अधिक बल दिया गया है। प्रथम योजना में, अधिक बल कृषि उत्पादन पर दिया गया था इसलिये प्रविधिक संस्थाओं के विकास पर वह बल नहीं दिया गया था। परन्तु यदि माननीय सदस्य द्वितीय योजना के प्रारूप को देखें तो उनको जानकारी हो जायेगी कि प्रविधिक संस्थाओं के विकास पर निश्चित रूपसे बल दिया गया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** खोले जाने वाले चार उच्च प्रविधिक संस्थाओं में से केवल एक खड़गपुर में खोली गई है। क्या ऐसी कोई आशा ह कि अन्य तीन द्वितीय योजनावधि में खुल जायेंगी।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जैसा कि मने बताया, शेष तीन संस्थायें द्वितीय योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली गई हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** वह प्रथम योजना में भी सम्मिलित थीं।

सेल्फ लोडिंग राइफलें

† *६९१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३१ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में सेल्फ लोडिंग राइफलों को प्रारम्भ करने के बाद तब से कोई निर्णय कर लिया ह ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) और (ख). प्रश्न पर अब भी विचार किया जा रहा है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** भारतीय सेनाओं में प्रारम्भ करने के लिये प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन ने, इस सम्बन्ध में किस प्रकार की राइफलों की जांच की है ?

†**श्री त्यागी :** हमारा वैज्ञानिक संगठन तथा प्रविधिक सेवा अपनी एक राइफल के आविष्कार की समस्या की जांच कर रही है। मेरा विचार है कि वह पर्याप्त रूप से सफल हुये हैं।

†**सरदार इक़बाल सिंह :** भारतीय सेना में प्रयोग की जाने वाली वर्तमान. ३०३ राइफल की गोली चलाने की कितनी शक्ति है तथा नवीन राइफल में, जो सरकार प्रारम्भ करना चाहती है, तथा इस राइफल में क्या अन्तर है ?

†**श्री त्यागी :** नवीन राइफल को अभी प्रारम्भ करने का विचार नहीं है। सेल्फ लोडिंग राइफल का नमूना बनाया गया है। इसको शिघ्र प्रारम्भ करने का विचार नहीं है।

†**सरदार इक़बाल सिंह :** जब सभी सभ्य देशों ने अपनी प्रतिरक्षा सेवाओं में सेल्फ लोडिंग राइफलें प्रारम्भ कर दी हैं तब सरकार ने भारतीय सेना में ऐसी राइफलें को किन कारणों से प्रारम्भ नहीं किया है ?

†**श्री त्यागी :** मैं समझता हूं कि नाटो के सभी देशों ने भी सेल्फ लोडिंग राइफलों को जारी नहीं किया है। ब्रिटेन ने जारी नहीं किया है। परन्तु जारी करने के लिये वह भी इस राइफल की जांच कर रहे हैं। हमारे निर्णय में देरी का यह कारण है कि वर्तमान राइफल को वापस लेने में तथा नई लागू करने में १० करोड़ रुपये का खर्चा होगा।

†**सरदार इक़बाल सिंह :** क्या यह सच है कि भारतीय सेना में इस राइफल को चालू करने से हमारी आक्रमणात्मक शक्ति बढ़ जायेगी तथा इस प्रकार प्रतिरक्षा व्यय में बचत होगी ?

---

†मल अंग्रेजी में।

†**श्री त्यागी :** यह ठीक है। यह निश्चित रूप से अच्छी राइफल है। परन्तु गोली फेंकने की शक्ति में कोई अन्तर नहीं है। सेल्फ लोडिंग राइफल में गोली दागने के परिणामस्वरूप बनी गस से अपने आप गोली के भर जाने में सहायता मिलेगी। अब मनुष्य को यह स्वयं करना पड़ता है। यही अन्तर है ; अन्यथा दोनों में कोई अधिक अन्तर नहीं है।

शिक्षितों की बेकारी

†***६९३. सरदार अकरपुरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में शिक्षितों की बेकारी को कम करने की योजना किस प्रकार कार्यान्वित की गई थी ;

(ख) उपर्युक्त काल में इस योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) क्या परिणाम निकले ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३**]

†**सरदार इक़बाल सिंह :** वे राज्य कौन-कौन से हैं जो सारी आवंटित राशि व्यय कर चुके हैं और वे राज्य कौन-कौन हैं जो आवंटित कुल राशि व्यय नहीं कर सके हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वह एक लम्बी सूची है। क्या मैं उस विवरण को सभा पटल पर रख सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सूची में देख सकते हैं।

†**डा० रामा राव :** विवरण देखने से पता लगता है कि आन्ध्र के लिये ४,२१,००० रुपये की स्वीकृति दी गयी है। किन्तु सरकार यह नहीं जानती कि कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है। क्या सरकार को विदित है कि इस ४,२१,००० रुपयों मे से आन्ध्र सरकार ने कितनी राशि ली है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं विवरण सभा पटल पर रख दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उसमें कोई ऐसा मद है जिसमें यह दिखाया गया हो कि आवंटित राशि में से इतनी धन राशि वास्तव में व्यय की जा चुकी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां। जो विवरण मैं सभा पटल पर रखने का विचार कर रहा हूं उसमें राज्य का नाम, १९५५-५६ के लिये स्वीकृत राशि और कालम २ में दिखाई गई राशि में से राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई राशि होगी।

†**डा० रामा राव :** क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि आन्ध्र सरकार ने कितनी र.f । उपयोग किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उसमें इसका कालम है।

†**डा० रामा राव :** सरकार यह नही जानती कि आन्ध्र सरकार ने कितनी राशि का उपयोग किया है जब कि सरकार यह जानती है कि आन्ध्र सरकार ने इतनी राशि निकाली है। राशि निकालना उसके उपयोग से भिन्न चीज है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** आन्ध्र राज्य के लिये ४,२१,२०० रुपये स्वीकृत किये गये थे और कालम २ में दिखाई गई उक्त सरकार द्वारा उपयोग की गई राशि २,२२,००० रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री नि० बि० चौधरी :** इस सम्बन्ध में दी गई केन्द्रीय सहायता में क्या अध्यापकों के वेतन सम्भावित व्यय, और उपकरण आदि का व्यय भी सम्मिलित है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** उसमें कुछ उपबन्ध है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इस योजना से कितने प्रतिशत बेकार शिक्षितों को सहायता मिली है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं कई बार कह चुका हूं कि इस योजना का क्षेत्र बड़ा सीमित है । इससे बेकारी की सारी समस्या हल नहीं हो सकती । इसको शिक्षित लोगों को रोगजार देने के लिये आकस्मिक उपाय के रूप में चलाया गया था और यह योजना उस हद तक सफल भी रही है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** हम जानते हैं कि इसका क्षेत्र सीमित है । हम जानना यह चाहत हैं कि इससे बेकारी में कहां तक कमी हो जायेगी । क्या इसका कोई अनुमानित प्राक्कलन किया गया है अथवा आंख बन्द कर यह कार्य यों ही किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** योजना में ८०,००० ग्राम अध्यापक और ८,००० समाज शिक्षा कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई हैं । मेरे पास बेकार शिक्षितों की संख्या के सही-सही आंकड़े नही हैं । इसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि शिक्षित बेकारों को काम में लगाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना धन मांगा है और मंत्री महोदय कब तक यह विवरण सभा के पटल पर रखेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** स्टेटमैंट (विवरण) को देखना चाहिये ।

†**श्री डाभी :** इस योजना से कितने शिक्षितों को वास्तव में रोज़गार मिला ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं सारा विवरण सभा-पटल पर रख दूंगा ।

तेल

† *६९५. **श्री ब० द० पांडे :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र की घाटी मोरन मे तेल पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं, खुदाई कार्य किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राहम ग्रीन की गिरफ्तारी

† *६९६. **डा० रामा राव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीमापुर में २८ जून, १९५६ को गिरफ्तार किये गये तथा कथित ब्रिटिश पत्रकार ग्राहम ग्रीन के प्राक्चरित और उद्देश्य का पता सरकार लगा सकी है ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उनके पास पार-पत्र वीज़ा अथवा अन्य आवश्यक कागजात हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) वह नागा क्षेत्रों में क्या करते रहे हैं और कितने समय से वहां हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) उपलब्ध जानकारी से जान पड़ता है कि श्री ग्राहम ग्रीन के बहुत से नाम ह और कलकत्ता बम्बई, पूना, दिल्ली, आगरा, बनारस, लखनऊ, मेरठ और ननीताल के अनेक अपराधिक अभियोगों म उनकी जरूरत है।

(ख) डुकलिंजिया चाय बाग़ के मैनेजर के घर से टाइपराइटर तथा अन्य वस्तुएं चुराने के अपराध में उन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा ३८० के अधीन अभियोग चलाया जा रहा है । उन्होंने और भी जो अपराध किये होंगे उनके लिये भी उन पर अभियोग चलाने के बारे म आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) नागा पहाड़ियों को जाते समय दीमापुर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

†**डा० रामा राव** : वह किस राष्ट्र के नागरिक हैं ?

†**श्री दातार** : यह भी सन्देह की चीज है। वह अपने को ब्रिटिश नागरिक बताते थे ; किन्तु उनकी जाति अभी तक पहचानी नहीं जा सकी है।

†**डा० रामा राव** : क्या नागा उपद्रव में भी उनका कुछ हाथ है ?

†**श्री दातार** : सारी चीज की जांच की जा रही है ; अब वह जेल में सुरक्षित हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या नागा पहाड़ियों में जाने के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता होती है ; और यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी अनुज्ञा नियमों का उल्लंघन करने के लिये उन पर कोई अभियोग लगाया गया है ?

†**श्री दातार** : नागा पहाड़ियों में जाने से पहिले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

†**श्री गिडवानी** : वह भारत में कैसे घुसे ?

†**श्री दातार** : भारत में वह बड़ा धोखा देकर घुसे। उनके पास पार-पत्र आदि जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तत्पश्चात् उन्होंने सरकार के सम्मुख कुछ जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था।

नाहरकटिया में तेल के कुएं

†***६९७. श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में नाहरकटिया के तेल के कुएं की खुदाई का कार्य इस वर्ष पूरा हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तेल को साफ करने का कार्य १९५६ में आरम्भ हो जायेगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४**]

लौह अयस्क

†***६९८. श्री म० रं० कृष्ण** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद राज्य के उन क्षेत्रों का कोई परिमाप किया गया है और विशेषकर करीमनगर जिले का, जहां विश्वास किया जाता है कि काफी मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी हां राज्य के भूतत्वीय परिमाप विभाग में निक्षेपों का परिमाप किया गया है। भारत के भूतत्वीय परिमाप ने इस कार्य को हाथ में लिया है जो सामान्य नक्शे बनाने का कार्य कर रहा है। इस काम के दौरान में नानडेड और मेडाक जिलों में कुछ निक्षेपों का पता चला है।

†**श्री म० रं० कृष्ण** : क्या यह सच है कि हैदराबाद में उपलब्ध लौह अयस्क का उपयोग यदि वहां उपलब्ध होने वाले इंजन के कोयले के साथ धीमी गति से चलने वाले धुरे की प्रक्रिया से किये जाने पर लोहा और इस्पात तैयार किया जा सकेगा ? इस प्रक्रिया को अपनाने और लोहा तथा इस्पात तैयार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा। यह तो उत्पादन मंत्रालय में पूछा जाना चाहिये।

†**श्री म० रं० कृष्ण** : प्रथम पंच वर्षीय योजना में खनिज पदार्थों की खोज के लिये २-१/२ करोड़ रुपये अलग रख दिये गये थे। उसमें से हैदराबाद राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हैदराबाद में खनिज पदार्थों की खोज के लिये सुनिश्चित कार्यक्रम है जो हाल ही में खनिज मंत्रणा बोर्ड के सम्मुख रखा गया था और हम उसी कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हैदराबाद राज्य के लिये इन २-१/२ करोड़ रुपयों में से खनिज पदार्थ विस्तार कार्यक्रम पर कितनी धन राशि व्यय होगी इसके बारे में माननीय सदस्य को बता सकना कठिन है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि पिछले साल टेहरी-गढ़वाल में लोहे और तांबे की जो एक लम्बी खान मिली थी, उसकी खोज के लिये सरकार ने क्या कर्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न हैदराबाद राज्य के सम्बन्ध में था; क्या वह हैदराबाद का भाग है?

जीवन बिमा निगम

† *७०१. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम की स्थापना कब तक हो जायेगी ;

(ख) निगम की शीघ्र ही स्थापना करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसका मुख्यालय कहां होगा ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) निगम के १ सितम्बर १९५६ से स्थापित हो जाने की आशा की जाती है।

(ख) निगम को यथा समय के अन्दर स्थापित करने लिये विधि अनुसार आवश्यक कार्य वाही की जा पही है। जीवन बीमा व्यवसाय को संगठित करने के लिये भी प्रबन्ध किये जा रहे हैं जिससे निगम के स्थापित हो जाने पर नये व्यवसाय की गति अथवा बीमा कराने वालों को सेवा करने में कम से कम गड़बड़ी अथवा अव्यवस्था हो।

(ग) मुख्यालय बम्बई में रखने का निश्चय किया गया है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : वे स्थाद कौन-कौन से हैं जिनकी ओर से निगम के मुख्यालय के सम्बन्ध में मांग की गई थी और अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे? मेरा तात्पर्य बम्बई के अतिरिक्त अन्य स्थानों से है।

†**श्री म० च० शाह** : मुख्यालयों के प्रधान कार्यालय ?

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : मुख्यालय।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री म० च० शाह :** निगम का मुख्यालय बम्बई में होगा और पांच क्षेत्रीय पदाधिकारी तथा डिवीज़नल कार्यालय भी होंगे। पहले ३० का हमारा विचार है और बाद में जब हम देखेंगे कि व्यवसाय अधिक है तो डिवीज़नल कार्यालयों की संख्या बढ़ा देंगे। हमारा १८० शाखा (ब्रांच) कार्यालय रखने का विचार है ; यह पहले ही निश्चय किया जा चुका है। सारे देश में ३५० शाखायें होंगी अर्थात् प्रत्येक ज़िले में एक-एक शाखा होगी।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** मैं कुछ अन्य स्थानों के नाम जानना चाहता था जहां से निगम के शाखा अथवा अन्य कार्यालय के लिये नहीं अपितु मुख्यालय खोलने की मांग की गयी थी।

†**श्री म० च० शाह :** कलकत्ता ने मांग की थी कि मुख्यालय वहां होना चाहिये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** गत अप्रैल में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा जनता को दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि जीवन-बीमा निगम कार्यालय का मुख्यालय कलकत्ता में हो, क्या मैं यह जान सकता हूं कि वह वक्तव्य स्वयं मुख्य मंत्री का था अथवा उन्होंने भारत सरकार से परामर्श किया था जिसका भिन्न परिणाम निकला ?

†**श्री म० च० शाह :** पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखे थे। मुख्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित सभी कारणों पर पूर्णरूपेण विचार कर लिया गया था और विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है कि मुख्यालय बम्बई में होना चाहिये। मेरे पास वह है जो दो लम्बे-लम्बे पृष्ठों में है। यदि अनुमति दी जाये तो मैं सारा पढ़कर सुना दूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** स्वेच्छा से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग :** क्या बीमा निगम की स्थापना हो जाने पर विभिन्न बीमा कम्पनियों द्वारा दो वर्ष पूर्व भर्ती किये गये सारे कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायेगा ?

†**श्री म० च० शाह :** जैसा कि हमने संसद् के दोनों सदनों को आश्वासन दिया है, जो लोग उन विभिन्न बीमा कम्पनियों के कर्मचारी हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, उन्हें नये निगम में ले लिया जायेगा और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी बीमा कप्पनी में १९-१-५६ को सेवामें था, उसकी छंटनी नहीं की जायेगी। स्थायीकरण के प्रश्न पर निगम और विभिन्न शाखा कार्यालयों की स्थापना हो जाने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

†**श्री साधन गुप्त :** निगम की स्थापना हो जाने के पश्चात् क्या कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के बारे में कोई निर्णय किया जायेगा क्योंकि विदित हुआ था कि स्वयं मंत्री जी ने यह कहा है कि इनके वेतन-क्रम सरकारी वेतन-क्रमों के आधार पर होंगे ?

†**श्री म० च० शाह :** पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के सम्बन्ध में पता लगने के लिये हमने विशेष समितियां नियुक्त की हैं। निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के सम्बन्ध में अन्तिम तो नहीं वरन् अस्थायी निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। किन्तु जहां तक उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमने निर्णय किर लिया है जो उन वेतन-क्रमों से कम होगा जो विभिन्न बीमा कम्पनियों में था।

विश्वविद्यालयों का शताब्दी समारोह

†*७०२. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों को प्रत्येक को उनके शताब्दी समारोहो के लिये एक-एक करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि के व्यय करने का विस्तृत ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में व्यय स्थायी प्रकार के विकास कार्यों तथा भवनों का निर्माण अथवा विस्तार प्राध्यापकत्व की स्थापना, तथा छात्रवृत्तियां आदि देने में किया जायेगा और अनुदान का कुछ भी अंश केवल समारोह पर व्यय नहीं किया जायेगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : ये निधियां क्या विश्वविद्यालय् अनुदान आयोग निधि से ली गई हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : अनुदान की ये धनराशियां क्या उस राशि के अतिरिक्त हैं जो विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन तीन विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसका उत्तर देने के लिये म पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**श्री म० कु० मैत्र** : क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी है कि इन अनुदानों में से २५,००,००० लाख रुपया रक्षित निधि के रूप में अलग रख दें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे ऐसी कोई बात नहीं मालूम ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या सन् १९५६-५७ का बजट बनात समय इस खच का ख्याल किया गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह मुझे भलीभांति विदित नहीं है कि बजट म यह था या नहीं किन्तु हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक साथ राशि दे देत ह और आयोग जसे चाहे उसको वितरित करने के लिये मुक्त है ।

†**श्री ति० सु० आ० चेट्टियार** : उपमंत्री जी ने कहा कि यह प्राध्यापकत्व की स्थापना, छात्र-वृत्तियां देने आदि पर निर्भर है। क्या मैं यह समझूं कि यह राशि आवर्ती व्यय पर खर्च नहीं की जायेगी अपितु ऐसे अन-आवर्ती व्यय पर खर्च की जायेगी जो कि इमारतों के सुधार के लिये आवश्यक है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह व्यय स्थायी प्रकार के विकास कार्यों जैसे भवनों का निर्माण अथवा विस्तार, प्राध्यापकत्व की स्थापना, छात्रवृत्तियों इत्यादि पर होगा। हमने विश्वविद्यालयों से यह भी कहा है कि केवल समारोह पर कोई खर्चा नहीं किया जायेगा।

अगरताला में बाढ़

†*७०३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरताला नगर त्रिपुरा के निवासियों को हाल की बाढ़ आने से पूर्व हावड़ा नदी को चढ़ता देखकर बचाव के उपाय करने के बारे में कोई चेतावनी दी गई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण थे ; और

(ग) कितने दिनों अथवा घंटों तक सरकारी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकारी व्यवस्था लगातार काम करती रही।

†**श्री दशरथ देव** : क्या यह सच नहीं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, मेरा तात्पर्य है उच्च पदाधिकारी, बाढ़ के पहले, दूसरे या तीसरे दिन तक दिखाई नहीं दिया और अगरताला के लोग बिल-कुल असहाय अवस्था में छोड़ दिये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार :** यह बात सही नहीं है। वास्तव में जैसे ही यह आशंका हुई कि बाढ़ आएगी वैसे ही जिलाधीश तथा अन्य पदाधिकारियों जीपों में पहुंचे और जितने लोगों को वे चेतावनी दे सकते थे, चेतावनी दी।

†**श्री दशरथ देव :** क्या सरकार इस मामले की अर्थात् अगरताला में बाढ़ों के बढ़ने की न्यायिक जांच कराएगी ?

†**श्री दातार :** इस मामले में न्यायिक जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जिला पदाधिकारियों को कब चेतावनी दी गई थी और क्या लोगों को जाकर यह बताने के अलावा कि बाढ़ आ रही है, और भी कोई बचाव के उपाय उन लोगों ने किये थे ?

†**श्री दातार :** पहले तो चेतावनी दी गई थी और ज्यों ही जल चढ़ने लगा, जो कुछ स्थानों में ६-७ फीट तक था, तो पदाधिकारियों ने प्रयत्न करके बहुत से लोगों को डूबने से भी बचाया।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या इन मुसीबत के दिनों में दिन और रात में कोई बांध भी बनाये गये थे ?

†**श्री दातार :** वहां एक बन्ध था और मैं सभा को बता दूं कि नगर के दक्षिणी भाग में जो बांध था वह कई जगह से टूट चुका था और इसी कारण इतना अधिक जल चढ़ता जा रहा था।

†**श्री बीरेन दत्त :** क्या अगरताला नगर में फौजदारी और दीवानी न्यायालय १७ दिनों तक बन्द रहे थे अथवा नहीं ?

†**श्री दातार :** हो सकता है कि बन्द रहे हों क्योंकि हमने लोगों को बाढ़ से बचाने और सरकारी कार्यालयों में उन्हें एक सप्ताह तक रखने का प्रबन्ध किया था।

†**श्री बीरेन दत्त :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई और विद्युत मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि बाढ़ों के कारण वहां लगभग एक करोड़ रुपयों के मूल्य की सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुई तो फिर माननीय मंत्री यह कैसे कहते हैं कि तीन करोड़ रुपये की क्षति हुई और कुछ लेख्य तथा पत्र खो गये।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है। मैंने पिछले सप्ताह ही सभा में बताया था कि लगभग ३,६४,८१६ रुपये की मूल्य की सरकारी सम्पत्ति की हानि हुई है, ३ करोड़ रुपयों की नहीं।

†**श्री दशरथ देव :** माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा कि बाढ़ों के बारे में सरकार पूर्ण सतर्क थी और उसने लोगों से बचाव के उपाय करने के लिये कह दिया था। ऐसी दशा में इतनी सम्पत्ति की हानि कैसे हुई और यहां तक कि न्यायालयों से दस्तावेज़ और लगान सूचियां कैसे खो गईं ?

†**श्री दातार :** ऐसा इसलिये हुआ कि कुछ तिजूरियों तथा अन्य चीजों में सरकारी स्टाम्प रखी हुई थीं। जब वहां इतने अधिक समय तक वर्षा हुई तो उनका खराब हो जाना स्वाभाविक ही था। जितनी हानि का उल्लेख मैंने किया है उसमें से ये सब सम्मिलित हैं।

अल्प बचतें

† *७०४. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐच्छिक अल्प बचतों के लिये राष्ट्रव्यापी पैमाने पर आन्दोलन हाल ही में सरकार द्वारा द्वितीय पंच वर्षीय योजना की वित्त व्यवस्था करने के लिये प्रारम्भ किया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक जनता ने कहां तक सहयोग दिया है ; और

(ग) १, अप्रैल, १९५६ से ३० जून, १९५६ तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) ऐच्छिक अल्प बचतों के लिय राष्ट्रव्यापी आन्दोलन अनेक वर्ष हुये तभी आरम्भ किया गया था और प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में उसकी गति और भी तीव्र कर दी गयी। यह आन्दोलन एक सतत प्रक्रिया है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में केन्द्र में एक उच्च सत्ता मंत्रणा समिति की नियुक्ति करके तथा कुछ अन्य उपायों के द्वारा इस आन्दोलन को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आशा है।

(ख) तथा (ग). संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है और १ अप्रैल, १९५६ से ३० जून, १९५६ तक लगभग १६.८ करोड़ रुपये एकत्र किये जा चुके हैं जब कि पिछले वर्ष के उसी काल में यह राशि १२.८ करोड़ रुपये थी।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय मंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में विभिन्न उपाय किये गये थे। मैं जानना चाहूंगा कि प्रथम पंच वर्षीय योजना की तुलना में अल्प बचतों से अंशदान प्राप्त करने के बारे में हमें अपने प्रयत्नों में कहां तक और सहायता मिली है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैंने यह नहीं कहा कि विभिन्न उपाय किये गये हैं अपितु मैंने तो यह कहा था कि विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। यदि माननीय सदस्य की दिलचस्पी हो और वे चाहते हो तो मैं उनसे पत्र व्यवहार कर सकता हूं और सारा ब्योरा बता सकता हूं। निश्चय ही मैं इस सम्बन्ध में सभा के सदस्यों का सहयोग चाहूंगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : वह तो हम दे ही रहे हैं। ज़िला मुख्यालय जो इस योजना का आधार हैं, से सुदूर गांवों में इस कार्य के बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह भी कहना ठीक नहीं है। हमारी ग्राम बचत योजना भी है और उसे हम विभागातरिक्त पोस्टमास्टरों के द्वारा चला रहे हैं। तीन-चार राज्यों में हमने ग्राम पंचायत बोर्डों तथा अन्य लोगों के द्वारा गांवों में धन संग्रह करने की प्रणाली भी जारी कर दी है। हम प्राइमरी अध्यापकों को अधिकृत अभिकर्ताओं के रूप में ऐसे संग्रह करने के लिये भर्ती करने के निमित्त एक योजना आरंभ करने वाले हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि कार्यकर्ताओं के अभाव में सरकार की यह योजना ठीक तरह से नहीं चल रही है ? उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में हैडक्वार्टर में एक आदमी रखा हुआ है और वही चम्पारन और दूसरे ज़िलों का काम देखता है।

श्री अ० चं० गुह : हर एक ज़िले की बाबत मैं नहीं बोल सकता। बहुत से प्रान्तों में ऐसा प्रबन्ध है और इंटीरियर (अंदरूनी भागों) में भी अथाराइज्ड (अधिकृत) एजेन्ट रखे हुए हैं और एक्स्ट्रा-डिपार्टमेंटल पोस्ट मास्टर्ज हर जगह यह काम देखते हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या यह दावा सही है कि अभी भी इन बचतो का अधिकांश भाग बम्बई का होता है, और यदि हां तो इस योजना के भारत के अन्य भागों में लोगप्रिय न बनने का क्या कारण है?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं समझता हूं कि यह कहना भी सही नहीं है। अधिकांश भाग बम्बई का नहीं है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बम्बई कुछ अमीर होने के कारण वहां अन्य राज्यो से अधिक राशि एकत्र की गई है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राशि भी बहुत काफी है अर्थात् लगभग १० करोड़ रुपये और बंगाल में गत वर्षों में ८ करोड़ रुपये एकत्रित किये गये हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या लक्ष्य के रूप में कोई विशेष अवधि निश्चित की गयी है यदि हां, तो राशि कितनी है और लक्ष्य कितनी अवधि का निश्चित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री अ० चं० गुह :** प्रथम पंच वर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य २२५ करोड़ रुपया था और वस्तुतः हमने उससे भी अधिक राशि संग्रहीत की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हमनें २५५ करोड़ रुपये संग्रह किये थे। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य ५०० करोड़ रुपये संग्रह करने का है।

†**श्रीमती जयश्री :** इस योजना को आरम्भ करने पर क्या सरकार गावों में और अधिक डाक-घर खोलने का विचार करती है?

†**श्री अ० चं० गुह :** गांवों में डाकघरों की संख्या बढाकर बचत बैंक की सुविधायें देना योजना की मदों में से एक है।

सांस्कृतिक गतिविधियों का उन्नयन

*७०५. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में सांस्कृतिक गतिविधियों का उन्नयन और संगठन करने के लिये मंत्रालय में एक पृथक डिवीजन खोला गया है ;

(ख) यदि हां तो उसका संगठन क्या है और उसमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या इस डिवीजन ने अभी तक कोई योजना का कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ग) जी हां।

(घ) देश देश की योजनायें तथा कार्यक्रम भिन्न होते हैं।

श्री श्रीनारायण दास : इस विवरण से पता चलता है कि इस विभाग के डिप्टी एजूकेशनल एडवाइज़र (उप शिक्षा सलाहकार) हिन्दी विभाग के भी हेड (प्रधान) हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि दोनों विभागों में बहुत कम काम है जिससे कि एक अफ़सर से ही दोनों का काम चलाया जा सकता है?

डा० का० ला० श्रीमाली : काम तो काफ़ी है लेकिन अफ़सर धीरे धीरे बढ़ाये जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसको बिल्कुल स्वतंत्र कर पायें और इसकी धीरे धीरे कोशिश की जायेगी। यह डिवीज़न अभी स्थापित हुआ है और मुझे आशा है कि जैसे जैसे काम बढ़ता जायेगा, वैसे वैसे एक स्वतंत्र डिप्टी सैक्रेटरी की आवश्यकता होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बुद्ध जयन्ती समारोह

†*६७९. **श्री कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुद्ध जयंती समारोह के अवसर पर सरकार ने राजनीतिक तथा अन्य प्रकार के बन्दियों को छोड़ने का आदेश दिया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के कितने बन्दियों के लिये यह आदेश था ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ग) इस विशेष राष्ट्रव्यापी समारोह पर मानवों तथा पशुओं के लियें कौन कौन से विशेष कार्य सरकार द्वारा किये गये अथवा करने के आदेश जारी किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ऐसी किसी विशेष कार्य के लिये आदेश नहीं दिये गये थें।

बन्दूकों का निर्यात

†*६८१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ बोर की दुनाली और एकनाली शिकार के काम में आने वाली बन्दूकों को विदेशों में बेचने के लिये निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों में उनका निर्यात किया जा रहा है ; और

(ग) १९५५ और १९५६ में देश में उनकी कितनी बिक्री हुई ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारत में १९५५ में २,६६४ शिकार के काम में आने वाली (दुनाली) बन्दूकें और १९५६ में (जून, १९५६ तक) १,३१८ बन्दूकें बिकी थीं।

तेल सर्वेक्षण

†*६८५. **श्री रामकृष्ण** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ३० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८०८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा विशेषज्ञ दल द्वारा जैसलमेर में किये गये तेल के वायुचुम्बनीय सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताये क्या हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). प्रतिवेदन की अभी भी प्रतीक्षा है।

भारतीय केन्द्रीय जड़ी बूटी संगठन

†*६८८. **डा० सत्यवादी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ९ अप्रैल १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९२ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय केन्द्रीय जड़ी बूटी संगठन की स्थापना करने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन में कौन कौन व्यक्ति हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** :(क) तथा (ख). यह विषय विचाराधीन है।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में लगान की वसूली

†*६८९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्या के चार ज़िलों में "कुथाकापट्टम" लगान का जो बकाया इकठ्ठा हो गया है उसकी कुल प्राक्कलन राशि कितनी है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ख) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में किसानों से बकाया लगान वसूल करने के लिये जब्ती आरम्भ कर दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ५·०९ लाख रुपये।

(ख) जी नहीं।

ग्राम्य उच्चतर शिक्षा

†*६९२. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री २० फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में शिक्षा के विकास के लिये ग्राम्य उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिशद् ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९५५-५६ में तदर्थ अनुदानों पर १० चुनी हुई संस्थाओं के लिये अनुमति दी गई थी और उन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में ग्राम्य संस्थाओं के रूप में उनका विकास करने के लिये २ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विवरण पत्रिकाएं तैयार की गई हैं और स्वीकृत हो गई हैं।

गरीब छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की योजना विचाराधीन है।

नई कोयला खानें

†*६९४. **श्री धूसिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, १९५६ तक कितनी नई कोयला खानें पाई गई हैं और वे कहां-कहां हैं ;

(ख) ये खानें कितने क्षेत्र में फैली हुई हैं ;

(ग) इन खानों का प्राक्कलित उत्पादन कितना है ; और

(घ) वास्तविक उत्पादन कब से आरम्भ होगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). पश्चिमी बंगाल के बांकुरा ज़िले में कोयले वाली चट्टान के एक छोटे टुकड़े में खुदाई करके हाल ही में कोयला पाया गया है। यह क्षेत्र दामोदर नदी के दक्षिणी तट पर, दुर्गापुर बांध, दामोदर घाटी निगम से ४ मील दूर है। निक्षेप की मात्रा अथवा खान खोदने की सम्भावनाओं के बारे में कुछ कहना अभी से सम्भव नहीं है।

हिन्दी को लोकप्रिय बनाना

*७००. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी को लोक प्रिय बनाने के लिये सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्या कार्यक्रम अपनाने जा रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]**

"पिकराइट कोरडाइट"

†*७०६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रविधिक विकास स्थापना के भारतीय अफसरों ने प्रमाणित किया है कि जल सेना के लिये 'पिकराइट कोरडाइट' अरवेकडू स्थित कोरडाइट फैक्टरी में तैयार किया जा सकता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वित न किये जाने का क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) इस विषय संबंधी जानकारी सभा पटल पर बताना लोकहित में नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मंत्रालयों में अतिरेक कर्मचारियों को खपाना

†*७०७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :
श्री गिडवानी :

क्या **वित्त** मंत्री २९ मई १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों में पदों के घटाये जाने के परिणाम स्वरूप जो कर्मचारी अतिरेक हो जायेंगे, उनको सरकार किस प्रकार वैकल्पिक कारोबार पर लगाने का विचार कर रही है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार जो लोग छंटनी में आ गये हैं या विशेष पुनर्गठन एकक की सिफारिशों के फलस्वरूप जिनकी सेवा में छंटनी में आने की संभावना है, उनको केन्द्रीय सरकार के अधीन पुनः नौकरी प्राप्त करने के लिये अधिभूत प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

मैं यह भी कह दूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में और बहुत से विभागों में सरकारी कार्रवाइयों की हाल की वृद्धि के कारण कर्मचारियों की संख्या में कोई वास्तविक कमी होने की आशंका नहीं है। तथापि विशेष पुनर्गठन एकक की सिफारिशें, पहले से उपलब्ध अतिरेक कर्मचारियों को मालूम करने और सरकारी तंत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में उसका उचित उपयोग करने की दृष्टि से लाभदायक हैं।

विद्यार्थियों में बेचैनी

†*७०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री २८ फरवरी १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों में बेचैनी को रोकने और दूर करने के लिये कोई और कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७**]

अध्यापक

†*७०९. **श्री डाभी** : क्या **शिक्षा** मंत्री २८ फरवरी १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रमों में सुधार करने के प्रस्ताव संबंधी ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

सैन्य प्रशिक्षण

*७१०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३५ के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक किन किन स्थानों में नागरिकों को प्रारम्भिक सैन्य शिक्षा देने की व्यवस्था की जा चुकी है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक में अब तक कितने युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ; और

(ग) अन्य किन किन स्थानों में १९५६-५७ में इस योजना को चालू करने का विचार किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**

वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण

†*७११. **पण्डित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के तेल पैदा करने वाले क्षेत्रों का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण का एक प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब शुरू होगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश और बिहार में वायु-चुम्बनीय सर्वेक्षण, जो कनेडा से आये दल द्वारा किया गया था ; १७ अप्रैल १९५६ को आरम्भ हुआ था और २२ अप्रैल १९५६ को पूरा हो गया था।

सोने का तस्कर व्यापार

†*७१२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के ८ मुसलमानों को ११ जून, १९५६ को अमृतसर में गिरफ्तार किया गया था, जब कि वे अपने पेटों के अन्दर सोना छिपाकर पश्चिम पाकिस्तान से लाये थे ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) :** जी, हां। यह सच है कि उत्तर प्रदेश के ८ मुसलमानों को ११ जून १९५६ को गिरफ्तार किया गया था, जब कि उनके पास चोरी से लाया गया सोना पकड़ा गया था, जो वह अपने पेडू में छिपाकर पश्चिम पाकिस्तान से लाये थे।

पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्तियां

†*७१३. **श्री मादिया गौडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्तियां देने में नगर क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के हितों के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जैट और विमानों के इंजिन

†*७१४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या ८९१ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी वायुयान फैक्टरी या विमान इंजन उत्पादन एकक की स्थापना करने के प्रस्ताव अन्तिम रूप में तैयार हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक

*७१५. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वातंत्र्य आन्दोलन के नेताओं के स्मारक उन जेलों में, जहां उनको कैद रखा गया था, बनाने की एक योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि सम्बन्धित जेल में पत्थर या अन्य धातु पर नेताओं के नाम और उस जेल में उन के रहने का समय अंकित करके किसी विशिष्ट स्थान पर लगाया जाए ।

त्रिपुरा में विकास योजनायें

†*७१६. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर साहाय्य अनुदान में से इस कार्य के लिये त्रिपुरा की विकास योजनाओं की कार्यान्वित पर १९५५-५६ में कितना धन खर्च हुआ है ?

(ख) क्या कुछ धन व्यपगत हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ;

(घ) यदि १९५४-५५ में कुछ धन व्यपगत होने दिया गया था, तो कितना; और

(ङ) क्या यह राशि बाद में कल्याण योजनाओं के निमित्त दे दी गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९५५-५६ में मंजूर १२·०४ लाख रुपये की राशि में से ११·२८ लाख रुपये ।

(ख) जी हां।

(ग) प्रविधिक कर्मचारियों का अभाव।

(घ) १९५४-५५ में कोई धन व्यपगत नहीं हुआ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मेलबोर्न ओलम्पिक खेल

†*७१७. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मैलबोर्न ओलम्पिक खेलों में भाग लने वाली भारतीय टीमों को कोई अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर अनुदान दिया गया था ; और

(ग) टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो वास्तव में खेलों में भाग नहीं ले रहे हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भारतीय ओलम्पिक असोसिएशन से पूरा ब्योरा नहीं मिला है ।

पुस्तकों की प्रदर्शनी

*७१८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **शिक्षा** मंत्री १६ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी के तत्वावधान में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रदर्शनी के स्थान, तारीख और कार्यक्रम आदि का विवरण क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) भारत की प्रत्येक भाषा की प्रदर्शित की जाने वाली पुस्तकों की सूचियां, सम्बन्धित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के सहयोग से अकादमी द्वारा निदर्षित की जा रही हैं ।

(ख) प्रदर्शनी नई देहली में नवम्बर, १९५६ के पहले दो सप्ताहों में, उद्योग-प्रदर्शनी मैदान के सेमिनार हाल में होगी ।

राज्य उपक्रमों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन

†*७१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री १२ मार्च १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य उपक्रमों के संचालन के संबंध में विस्तारपूर्वक वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: (क) तथा (ख). प्रश्न विचाराधीन है ।

खनिज तेल

†*७२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश के किन किन स्थानों पर तेल पाये जाने की आशा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उन क्षेत्रों का अधिक निश्चित और गहन सर्वेक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पंजाब में ज्वालामुखी, नूरपुर, जानौरी और धर्मशाला तथा हिमाचल प्रदेश में विलासपुर जिला।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विस्तारपूर्वक भूतत्वीय मानचित्र तैयार करना और गहरी तथा संरचनात्मक खुदाई आरंभ की जायेगी।

बाढ़ से पीड़ित राज्यों को सहायता

†*७२१. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने १९५५-५६ में बाढ़ ग्रस्त प्रत्येक राज्य को सहायता, अनुदान, अर्थ सहायता और दूसरी प्रकार की सहायता के रूप में कितना कितना धन दिया है ; और

(ख) क्या उन सभी राज्यों ने इस संबंध में अपने लेखे दे दिये हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ख) राज्य सरकारों द्वारा किये गये पक्के प्राक्कलनों के आधार पर सहायता दी गई थी। वास्तविक व्यय के अन्तिम आंकड़े अभी नहीं प्राप्त हुए हैं।

युद्ध सामग्री तथा प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थापन

†**३८३. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में युद्ध सामग्री तथा प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थापनों में इस समय कितने विदेशी कर्मचारी काम कर रहे हैं, और उनके पृथक् पृथक् अभिधान, नियोजन स्थान, राष्ट्रीयता और प्रत्येक के वेतन क्या हैं ; और

(ख) प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थापनों में इस समय ब्रिटिश-कर्मचारियों की संख्या क्या है, जिन्हें उनकी मूल अवधि की समाप्ति के उपरांत सेवा की अवधि में विस्तार दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) ५३। अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१**]

(ख) हिन्दुस्तान एयरक्रफ्ट लिमिटेड में दो।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†**३८४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने १९५४ और १९५५ में पंजाब की कितनी अर्जियां नामंजूर की हैं ;

(ख) १९५४ और १९५५ में पंजाब की विभिन्न संस्थाओं को किस उद्देश्य के लिये अनुदान दिये गये थे और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(ग) किन शर्तों पर अनुदान दिये गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) क्या शर्तें पूरी की गई हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) केवल वित्तीय वर्षों के लिये जानकारी उपलब्ध है।

यह इस प्रकार है :—

१९५४-५५	४
१९५५-५६	१७

(ख) तथा (ग). वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के संबंध में अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२**]

(घ) जी, हां, अधिकतर मामलों में शर्तें पूरी की गई थीं।

तस्कर व्यापार

३८५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शराब की ६७४ बोतलें हाल ही में चोरी-छिपे पुर्तगाली बस्ती दामन से लायी गयी थीं और सूरत के सीमा शुल्क विभाग की पुलिस को इस संबंध में डंडी में गोली चलानी पड़ी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) : (क) और (ख). यह सही है कि विदेशी शराब की ६७४ बोतलें, जो पुर्तगाली बस्ती दामन से चोरी-छिपे लायी गयी थीं, बड़ौदा के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क-संग्रह कार्यालय के अधिकारियों ने मार्च १९५६ में विभिन्न तारीखों को दांडी में पकड़ीं। पर इनके पकड़े जाने के समय गोली नहीं चलानी पड़ी। गोली चलाये जाने की घटना बहुत बाद में, ९ जून १९५६ को रात के नौ बजे और साढ़े ग्यारह बजे के बीच हुई। इस घटना का विवरण नीचे दिया गया है—

यह सूचना मिलने पर कि एक मकान के सहन के नीचे से छिपाई हुई शराब की कुछ बोतल हटायी जाने की आशंका है, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क-विभाग का एक दल उस गांव में गया। सिपाही कुछ दूरी पर खड़े हो गये और दल के पर्यवेक्षक तलाशी के लिये सहन के निकट गये। लाठियों, धारियों और रस्सियों से लैस दो-तीन सौ ग्राम-वासियों ने, जिनमे स्त्रियां भी थीं, उन्हें घेर लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। पर्यवेक्षकों को झकझोरा गया। गांव के पुलिस पटेल ने भीड़ से हट जाने की प्रार्थना की, पर भीड़ ने नहीं माना। हथियारबन्द सिपाहियों को, जो दूसरी जगह खड़े थे, इस गम्भीर स्थिति का पता लगा और वे कर्मचारियों की सहायता के लिये घटना-स्थल पर पहुंचे। स्थिति को काबू से बाहर जाते देख पर्यवेक्षकों ने सिपाहियों को हवा में गोली चलाने का आदेश दिया। हवा में पांच गोलियां चलायी गयीं पर कोई घायल नहीं हुआ। किन्तु गोली चलाने के बाद भी पत्थर फेंके जा रहे थे, इसलिये अन्त में तलाशी का काम छोड़ देना पड़ा। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सूरत के जिला पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट और ओलपद के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट ने घटना-स्थल का निरीक्षण किया। भारतीय दण्ड-संहिता की धारा १४७, १४८ और ३५३ के अनुसार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है और तहकीकात जारी है।

युद्ध सामग्री कारखाने

†**३८६. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के अन्त में भारत के युद्ध-सामग्री कारखाने की ओर कितने आर्डर निलंबित थे, जिनका निपटारा नहीं हुआ था ;

---

†मूल अंग्रजी में।

(ख) किन किन कारखानों को आर्डर दिये गये थे और अनुमानत: कितने समय से आर्डर निलंबित पड़े हैं ;

(ग) किस प्रकार के माल और सामान के आर्डर दिये गये थे ;

(घ) आर्डरों को पूरा करने में विलंब होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार ने विलंब को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के अन्त में युद्ध सामग्री कारखानों के पास १०८७० आर्डर निलंबित थे।

(ख) सब युद्ध-सामग्री कारखानों को आर्डर दिये गये थे। सबसे पुराना आर्डर १९४५-४६ से निलंबित पड़ा है। किन्तु बहुत थोड़े आर्डर ही कुछेक वर्षों से अधिक समय से निलंबित हैं।

(ग) आर्डर विभिन्न प्रकार के सैन्य सामान, उपकरण, शस्त्रों और उनके पुर्जों के बारे में हैं।

(घ) प्रत्येक मामले में विलंब के कारण विस्तारपूर्वक बताना संभव नहीं है। जहां नई वस्तुएं हाथ में ली जाती हैं, कई बार प्रारंभिक कार्य अर्थात् औजारों, गेज और जिग, आदि के डिजाइन बनाने और उनके निर्माण आदि में पर्याप्त समय व्यतीत हो जाता है।

(ङ) आर्डर देने वालों को फैक्टरियां समय समय पर रिपोर्ट देती हैं और इस प्रकार प्रगति का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक मांगों के बारे में फैक्टरियों से विशेष रिपोर्टें मांगी जाती हैं। जब कभी आवश्यक होता है फैक्टरियों द्वारा सूचित कठिनाइयों को दूर करने के लिये कार्रवाई की जाती है।

युवकों का पर्यटन

†**३८७. पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली योजना अवधि में युवकों के पर्यटन पर सरकार ने कितना धन खर्च किया है ; और

(ख) इस रियायत का (राज्यवार) कितने विद्यार्थियों ने लाभ उठाया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ८७,३०० रुपये।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३**]

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद्

†**३८८. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४, १९५५ और १९५६ में क्रमश: अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की कितनी बैठकें हुई हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अक्तूबर १९५४ में एक बैठक हुई थी

विदेशी धर्म प्रचारक

†**३८९. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५५ और १९५६ में अब तक कितने विदेशी धर्म प्रचारक आयें हैं ; और

(ख) वे किन किन राज्यों में काम कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) भारत में वास्तव में जो विदेशी धर्म-प्रचारक आये हैं उनकी संख्या संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु १९५५ में ४३५ दृष्टांक और जून १९५६ के अन्त तक १४८ दृष्टांक अधिकृत किये गये थे।

(ख) देश के प्राय: सभी राज्यों में।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मनिपुर में अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस

†३९०. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ बटालियन आसाम राइफल्स के दो मेजरों को मनीपुर के मुख्य आयुक्त ने मनीपुर के माओ और उखरूल सब डिवीजनों में सहायक सुपरिटेंडेंट पुलिस नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको सहायक सुपरिटेंडेंट पुलिस नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) नहीं। चतुर्थ आसाम राइफल्स के दो सहायक कमांडेंटों को पुलिस अधिनियम १८६१ के अन्तर्गत कुछ शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में मोटर दुर्घटनायें

†३९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) मार्च १९५५ से फरवरी १९५६ तक की कालावधि में और मार्च १९५६ से जून १९५६ तक की कालावधि में दिल्ली में कितनी मोटर दुर्घटनायें हुई;

(ख) दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे; और

(घ) इनको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) क्रमश: ११०१ और ३३९।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(ग) १३३।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५**]

भारत-पाकिस्तान वित्तीय विवाद

†३९२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री २५ मई १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २५२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक तय नहीं किये गये आर्थिक मामलों को निबटाने के लिये भारत और पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों की बैठक कब होगी ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

होशियारपुर में कल्याण विस्तार परियोजनायें

†३९३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होशियारपुर (पंजाब) जिले में खोली जाने वाली कल्याण विस्तार परियोजनाओं की संख्या कितनी है ; और

(ख) वे कहां कहां खोली जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तीन।

(ख) अभी उनके स्थान निश्चित नहीं किये गये हैं।

रेडियो

†३९४. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूर्य शक्ति अथवा उच्च शक्ति के विद्युत् बल्बों से काम करने वाले रेडियो का आविष्कार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे भारत में उपलब्ध हैं ; और

(ग) क्या सूर्य शक्ति से काम करने वाली अन्य वस्तुओं का भी आविष्कार किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ग). हां । कहा जाता है कि कुकर, बॉयलर, रेफरीजरेटर आदि बहुत सी अन्य वस्तुएं सूर्य शक्ति से काम करती हैं ?

(ख) सौर रेडियो अभी भारत में उपलब्ध नहीं है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

†३९५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित करने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के मुख्य कार्य क्या होंगे ;

(ग) यह आयोग कब स्थापित किया जायगा ; और

(घ) प्रस्तावित आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). यह विषय विचाराधीन है।

भूतपूर्व भारतीय सेना के स्मारक

†३९६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भूतपूर्व भारतीय सेना के कितने स्मारक हैं ;

(ख) वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार उनको ठीक स्थिति में रखने के लिये कोई अंशदान देती है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना रुपया दिया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (घ). इस प्रश्न के उत्तर के लिये सूचना एकत्र करने में जो श्रम और खर्च होगा वह उस उत्तर से पूरे होने वाले उद्देश्य की अपेक्षा कहीं अधिक होगा।

भारतीय खान ब्यूरो

†३९७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अलौह धातुओं के भंडार का मूल्यांकन करने के लिये किन

†मूल अंग्रेजी में।

क्षत्रों में छेदन प्रयोग किये जा रहे हैं ; और

(ख) १९५६ में अभी तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अलौह धातुओं के भंडार का मूल्यांकन करने के लिये अभी तक कोई छेदन प्रयोग नहीं किये गये हैं।

राष्ट्रीय अभिलेखागार

†३९८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री पंजाब और पेप्सू सरकारों द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को उपहार के रूप में दिये गये महत्वपूर्ण अभिलेखों का विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : पंजाब सरकार के रिकार्ड दफ्तर ने १९५४ में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मुद्रित और हस्तलिखित लगभग २९२ अरबी और फारसी की पुस्तक उपहार रूप में भेजीं। इनमें से निम्नलिखित केवल १८ पुस्तकें राष्ट्रीय अभिलेखागार के मतलब की पाई गईं और वे ही रखी गईं, शेष पुस्तकें पंजाब सरकार की इच्छानुसार जामिया मिल्लिया इस्लामिया को भेज दी गईं :—

१. शुजाए-हैदरी
२. तुहफतुल-मोमिनीन
३. तिब्बी फीरोज़-शाही
४. सुलेख के नमूने (अरबी)
५. क़सैदी-ज़हूरी
६. फवाइदूल-असरार
७. नज़हतुल-अरवाह
८. मफर्रीहुल-क़ुलुब
९. शीफौल-मर्ज़
१०. कशफुल-महजूब
११. अख़लाक़ी-मुहसिनी
१२. करीमा
१३. क़ुरान शरीफ
१४. क़ुरान शरीफ
१५. शरहुल-अहदीस
१६. क़रब अदीनी-क़ादिरी
१७. जवाहिरी-ख़मसा
१८. क़िरानूस-सादैन

पेप्सू सरकार से कोई उपहार प्राप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

विदेशो में भारतीय विद्यार्थी

†३९९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा में पढने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें विदेशी सरकारों तथा भारत सरकार से छात्रवृत्तियां पाने वाले विद्यार्थियों की क्रमशः संख्या कितनी है ; और

(ग) किस प्रकार की छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब की अनुसूचित आदिम जातियों को अनुदान

†४००. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९५६-५७ में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अनुदान बढ़ाने के हेतु भारत सरकार से निवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष का कुल अनुदान कितना है ; और

(ग) इस कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) १९५५-५६ में दिये गये ५·७७ लाख रुपयों की अपेक्षा इस वर्ष ८·५६ लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(ग)

योजना	१९५६-५७ में स्वीकृत धन राशि
	रुपये
१. कृषि	११,०००
२. पशु चिकित्सा	३७,४००
३. वन	३१,०००
४. सिंचाई	१९,०००
५. उद्योग	२०,०००
६. संचार (सड़क)	६,३६,०००
७. शिक्षा	८५,०००
८. चिकित्सा	१३,५००
९. सार्वजनिक स्वास्थ्य	२,९००
	८,५६,३०० रुपये
	अथवा लगभग ८,५६,००० रुपये

†मूल अंग्रेज़ी में।

फर्मों में सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों का नियोजन

†४०१. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री गिडवानी :

क्या **गृहकार्य** मंत्री २३ मार्च १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे अफसरों की संख्या कितनी है जिन्होंने गैर सरकारी फर्मों में अपने लड़कों और रिश्तेदारों को नियोजित करने के लिये सरकार की इजाजत मांगी है ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : अभी तक गृहकार्य मंत्रालय के पास केवल चार मामले आये हैं।

औद्योगिक वित्त निगम

†४०२. { श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल १९५२ से ३१ मार्च १९५६ तक पंजाब और पेप्सू राज्यों से औद्योगिक वित्त निगम से सहायता पाने के लिये प्रति वर्ष कितने आवेदन पत्र आये ;

(ख) प्रत्येक स्वीकृत आवेदन पर कितनी रकम दी गई ; और

(ग) अभी तक कितनी रकम दी जा चुकी है ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) पंजाब राज्य से :—

१९५२–५३—२
१९५३–५४—शून्य
१९५४–५५—४
१९५५–५६—४

पेप्सू से—शून्य

(ख) और (ग). सूचना नीचे दी गई है :—

कम्पनी का नाम	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
१. एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, सोनीपत . .	७,५०,०००	७,५०,०००
२. सरस्वती शुगर सिंडीकेट, लिमिटेड, यमुनानगर .	४०,०० ०००	कम्पनी ने ऋण अस्वीकार कर दिया
३. एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, सोनीपत .	५,००,००० (अतिरिक्त)	५,००,०००
४. दी पंजाब क्लाथ मिल्स लिमिटेड, भिवानी . . .	१७,००,०००	शून्य
५. जनता कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, भोगपुर .	३५,००,०००	१५,००,००० (अंतरिम)

†मूल अंग्रजी में ।

कम्पनी का नाम	स्वीकृत राशी	दी गई राशी
६. दी हरियाना कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, रोहतक	३५,००,०००	२५,००,००० (अंतरिम)
७. भवानी कॉटन मिल्स लिमिटेड, हिसार .	२१,००,०००	शून्य
८. अरुण टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, खन्ना . .	२०,००,०००	शून्य

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतन स्तर

†४०३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आई० ए० एस० कर्मचारियों के वेतन स्तर की उपरि सीमा बढ़ाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुलिस प्रशिक्षण संस्था

†४०४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य में कोई पुलिस प्रशिक्षण संस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई संस्था खोलना चाहती है ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) नहीं।

(ख) नहीं।

क्रिकेट

†४०५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में क्रिकेट की उन्नति का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख) शिक्षा मंत्रालय की प्रशिक्षण योजना के अधीन अक्टूबर १९५५ में राजकोट में विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के क्रिकेट प्रशिक्षकों का एक प्रशिक्षण केम्प लगा था। इसके अतिरिक्त, सरकार नौजवानों को ब्रिटेन में क्रिकेट प्रशिक्षण के लिये धन देने को राजी हो गयी है।

निषिद्ध माल

†४०६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में गोआ की सीमा पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कितना निषिद्ध माल पकड़ा गया है ;

(ख) वह माल किस प्रकार का है ;

(ग) उक्त समय में इस माल का किस प्रकार निबटारा किया गया है ;

(घ) उसमें से कितना माल गोदाम में पड़ा हुआ है ; और

(ङ) बेचे गये माल का क्या मूल्य है ?

---

†मूल अंग्रजी में।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) गोआ की सीमा पर १९५६ में (३०-६-१९५६ तक) कस्टम प्राधिकारियों द्वारा २,३३,२३८ रुपये के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया है।

(ख) सोना, चांदी, कपड़ा आदि जवाहिरात और अन्य विविध वस्तुयें।

(ग) जब्त किया गया माल या तो सम्बन्धित व्यक्तियों को विमोचन जुर्माना अदा करने पर वापिस दे दिया गया है या ऐसा न करने पर नीलाम के द्वारा बेच दिया गया है। जब्त किया गया सोना और चांदी सरकारी टकसाल में भेज दी गई है। कुछ और वस्तुएं ऐसी भी हैं जो छीनी जाने पर विमुक्त नहीं की जाती हैं।

(घ) १,०८,८०९ रुपये के मूल्य का माल अभी तक कस्टम विभाग के पास है।

(ङ) अभी तक बेचे गये माल का मूल्य १,२४,४२९ रुपये है।

सहायक छात्र सेना

†४०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में सहायक छात्र-सेना पर कितना व्यय किया गया ; और

(ख) इस अवधि में राज्य-वार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५**]

सचिवालय के असिस्टेंट

†४०८. **श्री नेसवी** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट परीक्षा दिसम्बर १९५५ में जो परीक्षार्थी बैठे थे उन में से अधिकांश लोग केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चतुर्थ श्रेणी में रखे जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिसम्बर १९५१ की संघ लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चतुर्थ श्रेणी में अभी स्थायी नही बनाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो १९५६ में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को किस आधार पर वरीयता दी गई है ; और

(घ) जो असिस्टेंट १९५१-५२ में उत्तीर्ण हुए थे उन्हें अभी तक स्थायी न बनाने का क्या कारण हैं ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) और (घ). नवम्बर १९५५ की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कोई वरीयता नहीं दी जा रही है। विद्यमान अस्थायी असिस्टेंटों के स्थायीकरण के लिये १९५१-५२ में परीक्षा ली गई थी और केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चतुर्थ श्रेणी की रचना के उपबन्धों के अनुसार इस परीक्षा फल के आधार पर कुछ स्थानों की पूर्ति का निश्चय किया गया था। इसके विपरीत नवम्बर १९५५ की परीक्षा एक मुक्त प्रतियोगिता के रूप में थी तथा सीधी भर्ती के द्वारा जितने स्थायी स्थानों की पूर्ति किये जाने का उपबन्ध है उतने स्थान सफल परीक्षार्थियों को दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

†४०९. **श्री मादिया गौडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में प्रत्येक देशीय भाषा में कितनी पुस्तकें रखी गई हैं ; और

(ख) १९५४-५५ तथा १९५५-५६ के वर्षों में प्रत्येक देशीय भाषा की कितनी तथा कितने मूल्य की पुस्तकें इस पुस्तकालय में जोड़ दी गई हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) तथा (ख). दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६**]

माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग

†४१०. **श्री न० मा० लिंगम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान हाई स्कूलों को हायर सैकंड्री तथा बहुप्रयोजनीय स्कूलों में बदलने के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के कार्य में कहां तक प्रगति हुई है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७**]

आयकर आयुक्तों के लिये मंत्रणा समिति

†४११. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर जांच आयोग की इस सिफारिश पर विचार तथा निश्चय किया गया है कि प्रत्येक आयकर आयुक्त के साथ गैर-सरकारी सलाहकारों की एक छोटी मंत्रणा समिति नियुक्त की जाये ; तथा

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निश्चय किया गया है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** (क) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

त्रिपुरा में मतदाताओं की सूची

†४१२. **श्री दशरथ देव :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के कमलपुर डिवीज़न में १९४९ में अथवा उससे पहले भारत में आये हुये विस्थापित व्यक्तियों को मतदाताओं की सूची में दर्ज नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; तथा

(ग) क्या सरकार उनका नाम मतदाताओं की सूची में शामिल करने का विचार रखती है ?

†**विधि मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) :** (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रखा जायेगा।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

मासिक-भत्ता

४१४. श्री खू० चं० सोधिया : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कठिन परिस्थितियों में पड़े हुए उन व्यक्तियों के जिन को शिक्षा मंत्रालय की ओर से सन् १९५५-५६ में मासिक भत्ता दिया गया नाम, निवासस्थान और योग्यतायें क्या थीं ;

(ख) इनमें से किन-किन व्यक्तियों का मासिक भत्ता चालू वर्ष में भी कायम रखा गया ; और

(ग) इन व्यक्तियों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है और भत्ते को चालू रखने की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८**]

(ग) यह अनुदान प्रार्थना करने पर ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो पांडित्य, कला तथा जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में विशिष्टता रखते हैं, परन्तु उनकी दरिद्रता तथा प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। मासिक भत्ते के नवीकरण के लिये उनकी दरिद्रता का जारी रहना आवश्यक है।

[शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ६१७–३८

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६७३	अन्दमान जाने के लिये टिकटों में चोर बाजारी	६१७–१८
६७४	बैंकों का संघ	६१८–१९
६७५	साधारण श्रेणी के सैनिकों के क्वार्टर . .	६१९
६७६	विनियोजन प्रत्याभूति योजना .	६२०
६७७	विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी .	६२१
६७८	विश्वविद्यालयों में भाषाओं का अध्ययन .	६२१–२३
६८०	नेपाल को सहायता . . .	६२३–२४
६८२	नागा पहाड़ियों में सेनापति का दौरा	६२४
६८३	डी० डी० टी० . . .	६२४–२५
६८४	बहुप्रयोजनीय स्कूल . .	६२५–२६
६८६	विद्यार्थी शिशिक्षुता योजना .	६२६–२७
६८७	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	६२७
६९०	वैज्ञानिक जनशक्ति समिति . .	६२८–२९
६९१	सेल्फ लोडिंग राइफलें .	६२९–३०
६९३	शिक्षितों की बेकारी . .	६३०–३१
६९५	तेल	६३१
६९६	ग्राहम ग्रीन की गिरफ्तारी .	६३१–३२
६९७	नाहरकटिया में तेल के कुएं .	६३२
६९८	लौह अयस्क . . .	६३२–३३
७०१	जीवन बीमा निगम . .	६३३–३४
७०२	विश्वविद्यालयों का शताब्दी समारोह . .	६३४–३५
७०३	अगरताला में बाढ़	६३५–३६
७०४	अल्प बचतें . . .	६३६–३८
७०५	सांस्कृतिक गतिविधियों का उन्नयन	६३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ६३८–५६

तारांकित प्रश्न संख्या		
६७९	बुद्ध जयंती समारोह . . .	६३८–३९
६८१	बन्दूकों का निर्यात	६३९
६८५	तेल सर्वेक्षण	६३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६८८	भारतीय केन्द्रीय जड़ी बूटी संगठन .	६३९
६८९	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में लगान की वसूली	६३९–४०
६९२	ग्राम उच्चतर शिक्षा . .	६४०
६९४	नई कोयला खानें . .	६४०
७००	हिन्दी को लोकप्रिय बनाना	६४०
७०६	"पिकराइट कोरडाइट" . . .	६४०–४१
७०७	मंत्रालयों के अतिरिक्त कर्मचारियों को खपाना . .	६४१
७०८	विद्यार्थियों में बेचैनी	६४१
७०९	अध्यापक	६४१
७१०	सैन्य प्रशिक्षण .	६४२
७११	वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण	६४२
७१२	सोने का तस्कर व्यापार .	६४२
७१३.	पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्तियां	६४२
७१४	जैट और विमानों के इंजिन	६४३
७१५	राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक	६४३
७१६	त्रिपुरा में विकास योजनायें	६४३
७१७	मैलबोर्न ओलम्पिक खेल	६४४
७१८	पुस्तकों की प्रदर्शनी . .	६४४
७१९	राज्य उपक्रमों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन	६४४
७२०	खनिज तेल .	६४४–४५
७२१	बाढ़ से पीड़ित राज्यों को सहायता .	६४५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३८३	युध्द सामग्री तथा प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थापन	६४५
३८४	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड . . .	६४५–४६
३८५	तस्कर व्यापार	६४६
३८६	युद्ध सामग्री कारखाने	६४६–४७
३८७	युवकों का पर्यटन . . .	६४७
३८८	अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद .	६४७
३८९	विदेशी धर्म प्रचारक . . .	६४७
३९०	मनीपुर में अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस	६४८
३९१	दिल्ली में मोटर दुर्घटनायें . .	६४८
३९२	भारत पाकिस्तान वित्तीय विवाद .	६४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३९३	होशियारपुर में कल्याण विस्तार योजनायें . .	६४८–४९
३९४	रेडियो	६४९
३९५	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	६४९
३९६	भूतपूर्व भारतीय सेना के स्मारक	६४९
३९७	भारतीय खान ब्यूरो .	६४९–५०
३९८	राष्ट्रीय अभिलेखागार . .	६५०
३९९	विदेशों में भारतीय विद्यार्थी . .	६५१
४००	पंजाब की अनुसूचित आदिम जातियों को अनुदान .	६५१
४०१	फर्मों में सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों का नियोजन	६५२
४०२	औद्योगिक वित्त निगम . . .	६५२–५३
४०३	भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतन स्तर . .	६५३
४०४	पुलिस प्रशिक्षण संस्था .	६५३
४०५	क्रिकेट .	६५३
४०६	निषिद्ध माल .	६५३–५४
४०७	सहायक छात्र सेना	६५४
४०८	सचिवालय के असिस्टेंट . .	६५४
४०९	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता .	६५५
४१०	माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग . .	६५५
४११	आयकर आयुक्तों के लिये मंत्रणा समिति . .	६५५
४१२	त्रिपुरा में मतदाताओं की सूची .	६५५
४१४	मासिक भत्ता . .	६५६

भा. स. मु. ना.–वि.३–१८३ लोकसभा ५६–२-७-५७--१९०.

खण्ड ५ अंक १५
३ अगस्त, १९५६, (शुक्रवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५६

(१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६)

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

भाग २—वाद-विवाद, खण्ड ६—१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

देश में बाढ़ें १

संसद् भवन के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध . . . २

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २–४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४–५

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ५

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक . ५–६

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ७, ८–१९

सभा का कार्य ७–८

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १९–३५

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . ३५–४०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४०

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४०–४४

दैनिक संक्षेपिका ४५–४७

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४९

राज्य पुनर्गठन के बारे में याचिका . . ४९

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४९–६७

खंडों पर विचार—

खंड २ से १३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र . . ६७–८१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८१–८५

दैनिक संक्षेपिका . . ८६

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८७

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ८८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन ८८

कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . . ८८

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक —
विचार करने का प्रस्ताव ८८–१२०

दैनिक संक्षेपिका १२१

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
सरकार की वस्त्र सम्बन्धी नीति तथा हथकरघा उद्योग का भविष्य . १२३–२५

सभा का कार्य १२५

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—
खंड २ से १४ और १ . . . . . १२५–३५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५–३८

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३८–४३

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन १४३

आय-कर विभाग के कार्य-संचालन की जांच के बारे में प्रस्ताव . . १४३–६४

संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में संकल्प १६४

दैनिक संक्षेपिका १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
विशाखापटनम् बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना १६७–६८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८

कार्य-मंत्रणा समिति—
अड़तीसवां प्रतिवेदन १६८–६९

सभा का कार्य १६९

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १६९–२०५

दैनिक संक्षेपिका २०६–०७

अंक ६, मंगलवार, २४ जूलाई, १९५६ पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

विशाखापटनम बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना . . . २०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१०–११

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन २११–१३

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१३–२३

खण्ड २ से ३३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र २२३–७६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . २७६

दैनिक संक्षेपिका . २७७

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९–८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन २८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कच्छ में भूकम्प २८०–८१

श्री चिं० द्वा० देशमुख द्वारा मंत्री पद से त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य . २८१–८५

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८५–३३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३३३

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५, अंग १ . . . ३३५

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) के विधेयक के बारे में याचिका ३३५

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३३५–७८

दैनिक संक्षेपिका ३७९

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
संसद् भवन के पास प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध	३८१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३८१–८२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	३८२
राज्य पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन)	
विधेयक के बारे में याचिकायें	३८२–८३
सभा का कार्य	३८३
राज्य पुनर्गठन विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३८३, ३८३–४००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छप्पनवां प्रतिवेदन	४००–०३
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक . . .	४०४
भारतीय बालक दत्तक ग्रहण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०४–०८
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकदमेबाजी विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	४०८–१०, ४११–१२
संसद् भवन के पास प्रदर्शन	४१०–११
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१२–१३
खण्ड २, ३ और १	४१३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	४१४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१५
दैनिक संक्षेपिका	४१८-२०
अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६	
लोक लेखा समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	४२१
सभा का कार्य	४२१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	४२२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	४२२–५७
दैनिक संक्षेपिका	४५८

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६ — पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५९

अनुपस्थिति की अनुमति ४५९–६०

समिति के लिये निर्वाचन—

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ४६०

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक ४६०

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४६०–५०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५०३

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५०५

राज्य-सभा से सन्देश ५०५

राष्ट्र-मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन तथा अपनी विदेश यात्रा के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . . ५०६–०९

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . ५०९–१०

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५११–४८

खंड २ से १५ . . . ५४८–५२

दैनिक संक्षेपिका ५५३

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५५–५६

राज्य-सभा से सन्देश ५५६–५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ५५७

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५ अंक २ और ३ . . ५५७

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५५७–६००

खंड २ से १५ . . . . . ५५७–६००

दैनिक संक्षेपिका ६०१–०२

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

१२ मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में संशोधन

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ०/१६३७ दिनांक २८ जुलाई, १९५६ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-२८३/५६**]

खदान अनुमोक नियम

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री०के० द० मालवीय)**: मैं खदान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत खदान अनुमोक नियम, १९४९ के कतिपय संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई०-१५९(४)।५५, दिनांक ४ अगस्त, १९५५

(२) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई०-१५२(२६९)।५३, दिनांक २५ जनवरी, १९५६

(३) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई०-१५९(१५)।५५, दिनांक १ फरवरी, १९५६

(४) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई०-१५२(३२)।५४, दिनांक १० फरवरी, १९५६

(५) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई०-१५९(१३)।५४, दिनांक २३ मई, १९५६

(६) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई०-१५९(७)।५६, दिनांक २८ मई, १९५६

(७) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई०-१५२(२७)।५६, दिनांक ३० जून १९५६

(८) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई०-१५९(१०)।५५, दिनांक ११ जुलाई, १९५६

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-२८४।५६**]

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से ६ अगस्त १९५६ के प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये विधान-कार्य के क्रम की घोषणा कर रहा हूं । राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित होने के पश्चात अगले सप्ताह निम्न लिखित विधेयक प्रस्तूत करने का विचार है :

विचार तथा पारण के लिये विधेयक

नदी बोर्ड विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, और
अन्तर्राज्य जल विवाद विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में

लोक सभा की प्रवर समिति को सौपने के लिये विधेयक

मोटार गाड़ी (संशोधन) विधेयक

चूंकि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैं बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों में हस्तान्तरण) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक की संभावित तिथि बताऊं, मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक परविचार तथा उसका पारण संभवतः १३ अगस्त अथवा उसके आस पास और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक को २४ अगस्त अथवा उसके आस पास किया जायेगा ।

राज्य पुनर्गठन विधेयक—जारी

खण्ड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा भारत के राज्यों के पुनर्गठन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खण्डवार विचार करेगी ।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री आज उत्तर दें ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० व० पंत)** : यदि अनुमति हो तो मैं सोमवार को उत्तर दे दूं । यह सभा के लिये भी सुविधाजनक रहेगा । चूंकि अन्य खण्डों पर विचार आरम्भ हो चुका हैं वह जारी रह तो अच्छा है ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखापटनम्) : खंडों का प्रथम समूह राज्यों से सम्बन्धित है और दूसरों क्षेत्रीय परिषदों से । अतः जब तक हम माननीय गृह मंत्री के विचार न जान लें सभा के सदस्य वाद विवाद में कोई रचनात्मक भाग नहीं ले सकेंगे ।

†**श्री गाडगिल** (पूना मध्य) : मैं सुझाव दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सुझाव की आवश्यकता नहीं हैं । खण्ड १६ से ४९ के लिये चर्चा के सम्बन्ध में हमारे पास पांच घंटे और हैं । गैर सरकारी कार्य आज साढ़े तीन बजे आरम्भ होगा और इन सभी खंडों पर आज चर्चा समाप्त नहीं होगी अतः वह दूसरे दिन जारी रहेगा । सोमवार को दो घंटे का समय मिलेगा । इसी बीच गृह-कार्य मंत्री अन्य खंडों पर वक्तव्य दे सकते हैं क्या सभा की अनुमति है कि गृह-कार्य मंत्री अपना उत्तर सोमवार तक के लिये स्थगित कर दें ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री सोमवार को उत्तर देंगे ।

अनुसूची १ से ३ के खण्ड १६ से ४९ में चुने हुए संशोधनों की एक सूची कल रात सदस्यों को परिचारित की गई थी । सदस्यों द्वारा इन संशोधनों को प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की गई हैं:

खंड संख्या	संशोधन की संख्या
१७	२७, ३०४
१८	३०५, ४४६, २९, ३०६,३०७ ३०८, ३०
१९	३०९, ९५, ३१
२३	३१०, ३२, ३११
२४	२६७
२४क (नया)	१४५, ३१२
२५	२३४, २३५, २३६, ७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५
२६	१९५, १९६, १९७, १९८, १९९ २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६
२७	१०६, २०७
२९	१२४
३०	३८१
३१	३३,८
३१क (नया)	४४८
३२	३४५
३३	३४६
३४क (नया)	२४७
३७	२४८
३८	४४९
४१	३४७
४६	३४, ४८२ (३४ की भांति) २४९, ३५, ३६, १७९, १८०
४८	३४८
४९	२५१, २५२, २५३
तीसरी अनुसूची	३४२

निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :

खण्ड १७—क्षेत्रीय परिषद की स्थापना

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट)	२७
श्री न० रा० मुनिस्वामी (वान्दिवाश)	३०४

खण्ड १८—परिषदों की रचना

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
श्री र० द० मिश्र (जिला बुलन्द शहर)	३०५
श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)	४४६
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	२९, ३०
श्री न० रा० मुनि स्वामी	३०६, ३०७, ३०८

खण्ड १९—परिषद की बैठकें

श्री न० रा० मुनिस्वामी	३०९
श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा)	९५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	३१

खण्ड २३—परिषद के कृत्य

श्री न० रा० मुनिस्वामी	३१०, ३११
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	३२

खण्ड २४—क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठकें

श्री न० रा० मुनिस्वामी	२६७

नया खंड २४ क

श्री रा० ना० सिं० देव (कालाहांडी-बोलनगिर)	१४५
श्री र० द० मिश्र	३१२

खंड २५—संविधान की चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

श्री गाडलिंगन गौड़ (कुरनूल)	२३४, २३८
श्री र० द० मिश्र	२३५, २३६, २३९ से २४५ १९५ से २०६
डा० रामा राव (काकिनाडा)	७

खंड २७—उप-निर्वाचन आदि

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१०६
श्री र० द० मिश्र	२०७

खंड २९—विद्यमान-सदन (लोक-सभा के संबंध में उपबन्ध)

श्री राघवाचारी	१२४

खंड ३०—रचना आदि में परिवर्तन

श्री र० द० मिश्र	३८१

खंड ३१—आंध्र में निर्वाचन के लिये विशेष उपबन्ध आदि

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	३३
डा० रामा राव	८

नया खंड ३१ क

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४४८

खंड ३२—विधान सभाओं की अवधि

श्री र० द० मिश्र	३४५

खंड ३३—अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

श्री र० द० मिश्र	३४६

नया खंड ३४ क

श्री रा० च० शर्मा : (मुरैना-भिंड) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ १३ में, पंक्ति १३ के बाद निम्नलिखित रखा जाय :

[34A. (1) As from such date as the President may by order appoint, there shall be a Legislative Council for the new State of Madhya Pradesh.

2 In the said Council there shall be 72 seats of which—

(a) the numbers to be filled by persons elected by the electorates referred to in sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) of article 171 shall be 24, 6 and 6 respectively,

(b) the number to be filled by persons elected by the members of the Legislative Assembly in accordance with the provisions of sub-clause (d) of the said clause shall be 24, and

(c) the number to be filled by persons nominated by the Governor in accordance with the provisions of sub-clause (e) of that clause shall be 12.

Madhya Pradesh Legislative Council.

(3) As soon as may be after the commencement of this Act, the President, after consultation with the Election Commission, shall by order determine :

(a) the constituencies into which the said new State shall be divided for the purpose of elections to the Council under each of the sub-clauses (a), (b) and (c) of clause(3) of article 171;

(b) the extent of each constituency; and

(c) the number of seats allotted to each constituency.

(4) As soon as may be after the appointed day, steps shall be taken to constitute the said Council in accordance with the provisions of this section and the provisions of the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951:

[श्री र० च० शर्मा]

Provided that the election referred to in clause (b) of sub-section (2) shall be held only after the general election to the Legislative Assembly of the new State of Madhya Pradesh has been held."]

३४क (१) उस तिथि से, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करें नये मध्य प्रदेश राज्य के लिये एक विधान परिषद् होगी।

(२) उपरोक्त परिषद् में ७२ स्थान रहेंगे जिन में से—

(क) अनुच्छेद १७१ के खंड (३) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित निर्वाचित मंडलों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या क्रमशः २४, ६ और ६ होगी,

(ख) उक्त खंड के उपखंड (घ) के उपबंधों के अनुसार विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यवितयों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या २४ रहेगी, और

मध्य प्रदेश विधान परिषद्

(ग) उक्त खंड के उपखंड (ङ) के उपबन्धों के अनुसार राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या १२ रहेगी।

(३) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पश्चात यथाशीघ्र राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के उपरान्त, आदेश द्वारा

(क) वे निर्वाचित क्षेत्र जिनमें अनुच्छेद १७१ के खंड (३) के उपखंड (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत परिषद् के निर्वाचनों के लिये नया राज्य बांटा जायेगा,

(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा, और

(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्धारित स्थानों की संख्या निर्धारित करेंगे।

(४) निर्धारित तिथि के पश्चात् यथाशीघ्र, यह धारा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के उपबन्धों के अनुसार परिषद के गठन के लिये कार्यवाही की जायेगी, परन्तु शर्त यह ह कि उपधारा (२) के खंड (ख) में उल्लिखित निर्वाचन, मध्य प्रदेश के नये राज्य की विधान सभा के लिये सामान्य निर्वाचन होने के पश्चात् ही किये जायेंगे।

इस के पश्चात निम्नलिखीत और संशोधन प्रस्तुत किये गये :

खंड ३७—मैसुर विधान परिषद

सदस्य का नाम	**संशोधन संख्या**
श्री गाडलिंगन गौड़	२४८

खंड ३८—पंजाब विधान परिषद

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव)	४४९

खंड ४१—लोक-सभा में स्थान नियम करना

श्री र० द० मिश्र	३४७

खंड ४६—सह-सदस्य

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	३४, ३५, ३६
श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन)	४८२
श्री रा० चं० शर्मा	२४९
श्री वें० पि० पवार (दक्षिण सतारा)	१७९, १८०

खंड ४८—परिसीमन के बारे में प्रक्रिया

श्री र० द० मिश्र	३४८

खंड ४९—विशेष उपबन्ध आदि

श्री गाडलिंगन गौड़	२५१ से २५३
श्री बीरेन दत्त	३४२

†**अध्यक्ष महोदय :** यह संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

†**पंडित सु० चं० मिश्र** (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : राज्य पुनर्गठन के प्रश्न पर हमारे देश में एक बड़ी अशांती फैल गई थी ; वह अशांति अभी समाप्त नहीं हुई है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि राज्यों के पुनर्गठन जैसे साधारण प्रश्न पर इतना तूफान क्यों उठा।

भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के विचार का पोषण प्रधान मंत्री के शब्दों में "भारतीय क्रांति" के दौरान में हुआ था। धीरे-धीरे यह विचार जनता के दिलों मे जमाया गया और सभी लोगों ने उसका समर्थन किया। पर आज जब इस पर विचार को कार्यान्वित करने का अवसर है तो वही लोग जो इसके प्रचारक थे, इस बात को दबाना चाहते हैं।

हमारे प्रधान मंत्री को आन्ध्र के बारे में शिक्षा मिल चुकी है। मुझे आशा है कि महाराष्ट्र के मामले में भी उन्हें शिक्षा मिलेगी। इस बीच में कितना रक्त पात हो रहा है। अतः मैं गृह-कार्य मंत्री, सरकार और इस सभा से प्रार्थना करता हूं कि वे इस झगड़े के संबंध में सावधान हो जायें। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि यदि उनको हल नहीं किया जायेगा तो वह बार बार उत्पन्न होंगे और देश की शान्ति को खतरे में डालेंगे। मैं समझता हूं कि अभी समय है और बम्बई की जनता की इच्छानुसार राज्य बनाय जाना चाहिये। मैंने माना कि वहां पर लोगों ने, शिष्ट व्यवहार किया है पर हमारे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार आन्दोलन और हिंसा के अलावा अन्य किसी प्रकार से किसी बात को सुनती ही नहीं। अतः इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों के लिये सरकार स्वयं ही उत्तरदायी है। कांग्रेस ने निश्चय किया था कि बम्बई राज्य अलग होगा। यदि बम्बई को महाराष्ट्र में नहीं मिलाया जाता तो उसे नगर राज्य बना दिया जाय। पर बम्बई को केन्द्र द्वारा प्रशासित भाग 'ग' राज्य बनाना वहां की जनता के प्रति एक अत्याचार करना है।

बम्बई और महाराष्ट्र की जनता ने भरसक प्रयत्न किया कि सरकार उनकी इस मूलभूत मांग को स्वीकार कर ले। पर उनकी मांग की सुनवाई नहीं हुई। मैं बम्बई में हुई हिंसात्मक कार्यवाहियोंका समर्थन नहीं करता पर वास्तव में जनता की अपेक्षा सरकार की ओर से अधिक हिंसा हुई है। इस बात का मुझे बहुत दुख है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि स रकार को चाहिये कि वह ठीक रास्ते पर चले।

अपने सामने जो दोनों समस्यायें हैं उन दोनों का एक ही आधार है। समाजवादी दल ने कई बार कहा ह कि मतभेद के मामले में जनमत गणना करके जनता की इच्छा का पता लगाना चाहिये पर यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मैं बम्बई, महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों के उन व्यक्तियों का समर्थन करता हूं जो अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित सु० चं० मिश्र]

ऊपर मैंने जिक्र किया है कि दो समस्याओं—बम्बई और बिहार—का हल नहीं किया जा सका है। मैं प्रान्तीयतावादी या साम्प्रदायिक नहीं हूं। बिहार और बंगाल के बीच यह झगड़ा है कि बंगाल किसी भाग को मांगता है पर बिहार का कहना है कि वह भाग हमारे क्षेत्र में रहेगा। इस समस्या को कैसे हल किया जाय। यदि यह मामला जनता की इच्छा से तय किया जाय तो किसी भी दल को शिकायत नहीं रहेगी। इस संबंध में दोनों सदनों में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों को मैंने ध्यान से पढ़ा है। यदि इस मामले को इस तरह तय किया जायेगा, जैसा कि प्रस्ताव किया गया है, तो बाद में लोग शिकायत करेंगे कि वें फिर से अपना हक प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है चाहे बिहार का कोई भाग बंगाल या आसाम या उड़ीसा में मिला दिया जाय। पर सरकार को या हमारे प्रधान मंत्री को चाहिये कि जनता की इच्छानुसार ही यह मामला हल किया जाय अन्यथा बाद में गड़बड़ी पैदा करने के लिये उपयुक्त अवसर पाते ही लोग गड़बड़ी पैदा करेंगे। इस प्रकार खतरे का डर हमेशा बना रहेगा। अतः मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह हमारे बड़े नेताओं से निवेदन करें कि इस मामले को बिना किसी पक्षपात के तय करें।

बंगाल के पक्ष में माननीय सदस्यों ने कहा है कि विभाजन के कारण बंगाल को बड़ी हानि उठानी पड़ी है। पर बिहार राज्य का कहना है कि पूर्निया जिला केवल इसलिये पाकिस्तान में नहीं जा सका कि वह बिहार में था अतः उनका कहना है कि पूर्निया जिले को उन्होंने बचाया है। ऐसी अवस्था में पूर्निया को बिहार के लोगों से क्यों छीना जा रहा है। इसके अलावा बिहार राज्य के प्रत्येक शहर और गांव में बंगाली रहते हैं और वे डाक्टर, प्रोफेसर, अध्यापक या बड़े बड़े वकील आदि हैं। परन्तु जो बिहारी और भोजपुर बंगाल में हैं वे अधिकतर दरबान, चपरासी या मजदूर आदि हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अब खंडों के उस वर्ग को लें जिस पर चर्चा हो रही है। अब हम खंड १६ से ४९ पर विचार कर रहे हैं।

†**पंडित सु० चं० मिश्र :** मैं बिल पर होने वाली सामान्य चर्चा के समय अनुपस्थित था अतः मैं कुछ सामान्य बातें कहना चाहता हूं बाद में मैं खंड १६ से ४९ पर आऊंगा।

मैं माननीय मंत्री श्री दातार से कह रहा था कि बिहार से बंगाल को या बंगाल से बिहार को किसी राज्य क्षेत्र के हस्तान्तरण के मामले पर तभी विचार किया जाय जब वहाँ के ६० प्रतिशत लोग हस्तान्तरण की मांग करें। ६० प्रतिशत न सही, ५५ या ५१ प्रतिशत ही सही ; पर यदि आप इस मामले को जनमत गणना के अलावा अन्य किसी प्रकार हल करते हैं तो बाद में गड़बड़ी जरूर पैदा होगी और दोनों राज्यों के बीच एक पराजय या दूर्व्यवहार की भावना बनी रहेगी।

कोई न्यायाधीश कभी अपने निर्णय की वकालत या उसका समर्थन करने के लिये न्यायालय में नहीं जाता पर राज्य पुनर्गठन आयोग के एक सदस्य राज्य-सभा में पूरे जोश के साथ अपने निर्णय का समर्थन कर रहे थे। अतः मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह ऐसा कार्य करें जो उन्हें करना चाहिये और जो ठीक हो न कि वह यह कहें कि वह तो आयोग के प्रतिवेदन को ठीक मान कर उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि आयोग की अनेक सिफारिशों को नहीं माना गया है।

अभी हाल में जब मैं बिहार गया था तो वहां के लोगों ने हमसे पूछा कि मैं उनके लिये, उनको बचाने के लिये क्या कर रहा हूं। मैं बम्बई और बिहार की जनता के लिये जो कुछ भी कर सकता हूं कर रहा हूं। पंडित नेहरू उसे सुनें या न सुनें। बम्बई के लोगों ने तो अशिष्ट व्यवहार किया था पर बिचारे सीधे-सादे बिहारी लोगों ने क्या किया है। यह सब तो अधिकारियों के बहाने हैं।

मैं अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय तथा माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बातों को सुना। शब्दों द्वारा मैंने वहां की जनता की मांग का समर्थन किया है और अब मैं उनके समर्थन में १५ दिन की भूख हड़ताल प्रारम्भ करने जा रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने माननीय सदस्य को भूख हड़ताल न करने की राय दी है पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने अलग-अलग रास्ते और विचार होते हैं। मैं यह बात माननीय सदस्य पर ही छोड़ता हूं।

†**श्री चिं०द्वा० देशमुख :** (कोलाबा) : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया। उस दिन मैंने कहा था कि मैं सीमा आयोग के पक्ष में हूं। इस सभा के लिये यह संभव नहीं कि वह ऐसी छोटीछोटी बातों का निर्णय कर सके। खण्डीय परिषदों के लिये इन बातों का हल निकालना कठिन होगा क्यों कि उनकी अपनी अनेक समस्यायें होंगी। सीमा आयोग के पास पर्याप्त अधिकार होंगे और उसके निर्णय को कुछ महत्व भी दिया जायेगा। अतः मुझे आशा है कि सीमा आयोग के कार्य की शर्तों के संबंध में सुसंगत संशोधन सभा द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

मैं ने अपने उस दिन के भाषण में बताया था कि मैं बड़े द्विभाषी बम्बई राज्य के पक्ष में हमेशा रहा हूं। सभा में भी इस प्रस्ताव के पक्ष में काफी सरगर्मी मालूम पड़ती है।

मैं समझता हूं कि इन बातों पर विचार करते समय हमें एक दूसरे के प्रति प्रान्तीयता या भाषा संबंधी हठधर्मी का दोषारोपण नहीं करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत में अधिकतर एक-भाषाभाषी रज्यों की आवश्यकता है। एक-भाषा-भाषी राज्य के शासन तथा राजनीति दोनों दृष्टियों से सुविधा रहती है। ऐसे स्थानों में जहां तामिल और मलयालम दोनों भाषायें बोली जाती हैं उस प्रदेशों के रहने वाले व्यक्तियों को ही निश्चय करना पड़ेगा।

द्विभाषा-भाषी राज्य की प्रस्थापना वहां पर लागू नहीं होगी जहां दो भारतीय आर्य भाषायें सीमान्त पर मिलती हैं जैसे मराठी और गुजराती तथा मराठी और हिन्दी। अब द्विभाषा-भाषी राज्य की कोई समस्या नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश को हमने बांट ही दिया है। अब हम गुजराती और मराठी की सीमाओं को लेते हैं। दोनों की वर्णमालायें लगभग एक सी हैं। इस दृष्टिकोण से बम्बई को एक द्विभाषी राज्य बनाया जा सकता है। संयुक्त महाराष्ट्र की मांग केवल भाषा संबंधी आधार पर नहीं थी, बल्कि मुख्यतया आर्थिक तथा राज्य-क्षेत्र संबंधी थी।

मेरा विचार है कि द्विभाषा-भाषी बम्बई राज्य के आर्थिक हित को कोई हानि नहीं होगी, यदि उस राज्य का संगठन उस प्रकार किया जायगा। बम्बई नगर के अतिरिक्त आय से शेष क्षेत्रों का भला हो जाता है। गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि वित्त आयोग बम्बई की अतिरिक्त आय का एक विशिष्ट प्रकार का वतरण करेगी पर समय समय पर मिलने वाली अतिरिक्त आय की बजाय एक स्वाभाविक और अधिक आय का होना ज्यादा अच्छा है। कन्नड़ प्रदेश के लोगों को छोड़ कर जो अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं, अन्य लोगोंको इस विचार का समर्थन करना चाहिये। मेरा अभिप्राय यह है कि बड़ा द्विभाषी बम्बई राज्य बनने से किसी उपभाग को आर्थिक हानि नहीं होनी चाहिये। साधारण व्यक्ति अपने मन में द्वेष नहीं रखता ; द्वेष तो वे रखते हैं जो न्यासी होते हैं। साधारण व्यक्ति को इस बात से कोई खास अन्तर नहीं पड़ता एक बम्बई महाराष्ट्र में मिलाया जाता है या नहीं। बम्बई और पूना के व्यापारियों को इससे कोई मतलब नहीं कि बम्बई किस राज्य में मिलाया जाये। गुजराती और महाराष्ट्रीय साथ साथ रह कर अधिक सुखी होंगे। उनके भय आदि की बातें निराधार हैं।

अपने पहले भाषण में मैंने नेताओं का जिक्र किया था। एक माननीय सदस्य ने उसका अर्थ गुजराती नेता समझा है। पर वास्तव में मेरा अभिप्राय गुजराती नेताओं से नहीं वरन् महांराष्ट्रीय नेताओं से है। विदर्भ प्रदेश के लोग एक द्विभाषी राज्य से अभी मुक्त हुए हैं वे दूसरे द्विभाषी राज्य में शामिल नहीं होना चाहते। नागपुर के लोग समझते हैं कि बम्बई महाराष्ट्र में नहीं लिया जायगा इस प्रकार नागपुर राजधानी बनेगा। इस प्रकार की अनेक बातें सोची जा रही हैं। इस सभा का

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री चि० द्वा० देशमुख]

यह कर्तव्य है कि सब लोगों की बातें सुनने के बाद एक ऐसा काम करें या ऐसा कदम उठायें जिससे देश में एकता बढ़े। राष्ट्रीय एकता के लिये केवल शाब्दिक सहानुभूति प्रकट करना और देशको टुकड़ों में बांटना ठीक बात नहीं है। इस प्रकार तो आप देश को विगठित कर रहे हैं। मैं तो इस बात के लिये तैयार हूं कि मैं महाराष्ट्र का दौरा करके वहां के लोगों को समझाऊं कि बड़ा द्विभाषी महाराष्ट्र राज्य उनके लिये लाभदायक सिद्ध होगा।

यदि आप किसी क्षेत्र को तीन भागों में बांटते हैं तो तीन मंत्रिमंडल होंगे, तीन मुख्य मंत्री और तीन वित्त मंत्री आदि होंगे। फिर इन क्षेत्रों में प्रशासन तथा राजनीति की दृष्टि से अधिक कुशल लोगों का भी अभाव है। मैं समझता हूं कि बड़ा द्विभाषी राज्य भारत का एक सबसे अच्छा राज्य होगा। गरीब तथा छोटे छोटे क्षेत्रों की अपेक्षा बड़े क्षेत्रों के लोग अधिक आसानी से अधिक कर दे सकते हैं। यदि छोटे छोटे क्षेत्र होंगे तो इनको एक समान आर्थिक स्तर पर लाने के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को काफी कठिनाई उठानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को किन्हीं हिस्सों में न बांट कर यह एक बहुत समझदारी का काम किया गया है। इसी कारण मैं बड़े बड़े एककों के पक्ष में हूं। मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह संशोधन ४६२ का समर्थन करे। मैं कांग्रेस दल से निवेदन करूंगा कि वह कांग्रेस दल के सदस्यों को इस संबंध में स्वतंत्रतापूर्वक अपने मत देने की छूट दे।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : इस संबंध में मैंने दो संशोधन रखे हैं। पहले मैं संशोधन संख्या २४७ के बारे में निवेदन करूंगा।

जो ड्राफ्ट री-आर्गनाइज़ेशन बिल (राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रारूप) तैयार हुआ था, उसमें नए मध्य प्रदेश के लिये लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधान परिषद्) की व्यवस्था की गई थी। लेकिन मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि संयुक्त प्रवर समति ने उस क्लाज़ को बिल में से निकाल दिया है और मध्य प्रदेश के लिये जो लेजिस्लेटिव कौंसिल की व्यवस्था रखी गयी थी, उसको हटा दिया गया है। जब स्टेट्स री-आर्गनाइज़ेशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, तो मध्य प्रदेश के सदस्यों ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य बनाया जा रहा है—वह चार राज्यों से मिलकर बन रहा है, जहां कि पहले चार विधान सभायें थीं और हिन्दुस्तान में क्षेत्रफल की दृष्टि से वह हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यह आवश्यक है कि वहां भी लेजिस्लेटिव कौंसिल की स्थापना हो। साथ ही हमारे चार चीफ मिनिस्टरों ने भी आकर भारत शासन से यह निवेदन किया कि और वहां की जनता नें भी और कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्षों ने भी यह आकांक्षा और इच्छा प्रकट की कि इस नए राज्य के लिये एक लेजिस्लेटिव कौंसिल की व्यवस्था की जाय और यही कारण है कि पहले बिल में मध्य प्रदेश के लिये लेजिस्लेटिव कौंसिल की व्यवस्था क्लाज़ ३१ में की गई थी। इस संबंध में उक्त बिल के पृष्ठ ६० पर क्लाज़ ३१ विषयक नोट में लिखा गया था कि यह सुझाव दिया जाता है कि मध्य प्रदेश का जो नया राज्य वर्तमान चार राज्यों के सविलय से बनाया जा रहा है उसका यथासंभव शीघ्र द्विसनीय विधान मंडल बनाया जायेगा।

चूंकि यह राज्य चार राज्यों को मिला कर बनाया जायेगा और इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल होगा, इसलिये शासन न यह जरूरी समझा कि इस में दो हाउसेज़ (सदन) हों और इसलिये बिल में उनकी व्यवस्था की गयी। मध्य प्रदेश जिन राज्यों से मिलकर बनने वाला है जब यह बिल उसन राज्यों की धारासभाओं में गया तो उन क्लाज़ेज को पास कर दिया गया। मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल इन चारों राज्यों की विधान सभाओं ने इन क्लाजेज़ (खंडों) के लिये अपनी सहमति दी। लेकिन मुझे बडा ताज्जुब हुआ कि ज्वाइंट (संयुक्त समिति) ने इस क्लाज़ को निकाल देने की दलील दी है। वह ज्वाइंट कमेटी रीपोर्ट के पेज ६, क्लाज़ ३५ में यह बतलाते हैं कि क्योंकी आन्ध्र और मध्य प्रदेश के किसी भाग में विधान परिषद्

नहीं है अतः यह अधिक अच्छा है कि ये राज्य स्थापित होने के पश्चात् संविधान के अधान कार्यवाही करें। अव्वल तो यह ह कि क्या यह आवश्यक ह कि कांस्टीट्यूशन (संविधान) के अनुसार जबतक वहां की धारा सभायें पास न करें क्या भारत सरकार को अधिकार नहीं ह कि वह कांस्टीट्यूशन के संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश को लेजिसलेटिव काउंसिल दे दे। यह एक कानूनी प्रश्न है। मैंने इसका अध्ययन किया है और विशेषज्ञों से भी इसके बारे में चर्चा की है, और इसके परिणाम स्वरूप मे इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि जब तक वहां की लेजिस्लेटिव असेम्बली (विधान सभा) इस पर अपना मत प्रकट न कर दे और अपनी इच्छा प्रकट न करे तब तक केन्द्रीय सरकार मध्य भारत को लेजिस्लेटिव काउंसिल (विधान परिषद्) नहीं दे सकती। आर्टिकल १६८ में बतलाया गया है कि कौन कौन से राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी, और जब कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट (संवधानिक संशोधन) बिल लाकर संविधान में संशोधन किया जा रहा है, तो यह आवश्यक नहीं है कि आर्टिकल (अनुच्छेद) १६९ के अनुसार स्थानीय लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा भी उसे पास किया जाये। हो सकता है कि यह मान भी लिया जाये कि स्थानीय असेम्बली द्वारा प्रस्ताव पास होना चाहिये, तो मैं कहूंगा कि इस विषय के प्रावीजन मध्य भारत, मध्य प्रदेश, भोपाल और विन्ध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेम्बलीज़ के सामने गये थे और उनको उन्होंने पास किया था। इस प्रकार धारा १६९ जो कार्यवाही होनी चाहिये वह भी हो चुकी है। इसलिये म नहीं समझता कि यह क्यों आवश्यक होना चाहिये कि जब नया मध्य प्रदेश बने तो उसकी असेम्बली फिर इसको पास करे। जो चीज़ पहले ही पास हो चुकी है उसको बिला वजह फिर क्यों पास कराया जाये, क्योंकि नये मध्य-प्रदेश की असेम्बली के मेम्बर अभी वहीं होगे जो कि उसको बनाने वाले चार राज्यों के मेम्बर थे। इन्हीं मेम्बरों ने कुछ समय पहले यह पास किया था कि नये मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश को लेजिस्लेटिव काउंसिल देने के मार्ग में क्या रुकावट पैदा हो सकती है।

मुझे ज्वाइंट कमेटी (संयुक्त समिति) की एक और कार्यवाही पर आश्चर्य हुआ। वह यह है कि मध्य प्रदेश के लिये तो उसने बिल में से लेजिस्लेटिव असेम्बली देने का प्रावीजन निकाल दिया है और महाराष्ट्र को लेजिस्लेटिव असेम्बली देने का नया प्रावीजन जोड़ दिया है। बम्बई राज्य में जो बिल भेजा गया था उसमें महाराष्ट्र के लिये लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। महाराष्ट्र को लेजिस्लेटिव काउंसिल देने का जो कारण ज्वाइंट कमेटी ने बतलाया है वह यह है कि क्योंकि महाराष्ट्र का राज्य बम्बई राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी राज्य है और वहां पहले से विधान परिषद् है अतः इस विधेयक में यह उपबन्ध कर दिया जाय कि भविष्य में राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित तिथि को वहां विधान परिषद् स्थापित की जाय।

मैं समझता हूं कि यदि ज्वाइंट कमेटी उस कार्रवाई पर इसके पहले विचार कर लेती जो कि इस बिल के संबंध में बम्बई लेजिस्लेचर में हुई है, तो वह शायद इस नतीजे पर न पहुंचती। एक वर्ष पूर्व बम्बई लेजिस्लेटिव असेम्बली ने सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था कि बम्बई की लेजि-स्लेटिव काउंसिल को समाप्त कर दिया जाये, और वह प्रस्ताव आर्टिकल १६९ के अनुसार भारत सरकार के पास भेजा गया। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की है। इतना ही नहीं। जब यह स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन बिल (राज्य पुनर्गठन विधेयक) बम्बई लेजिस्लेचर के सामने पहुंचा, तो वहां की लेजिस्लेटिव काउं-सिल में कुछ सदस्यों ने एक अमेंडमेंट दिया कि महाराष्ट्र के लिये लेजिस्लेटिव काउंसिल रखी जाये। लेकिन उसका जो परिणाम आया वह भी मैं हाउस को बतला देना चाहता हूं। मिस्टर खेर ने एक अमेंडमेंट दिया था, वह इस प्रकार है कि सभा सिफारिश करती है कि विधेयक के भाग ४ में उपबन्ध किया जाय कि महाराष्ट्र के नये राज्य में विधान परिषद् स्थापित की जाय। बम्बई की लेजिस्लेटिव असेम्बली में यह संशोधन आता है। इस अमेंडमेंट पर वहां के मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि क्योंकि विधान सभा ने एक मत होकर विधान परिषद तोड़ने का संकल्प पारित किया था अतः जब तक संसद उस संकल्प को वापस न भेजे वह स्थायी है।

[श्री राधे लाल व्यास]

और इसके बाद वह अमेंडमेंट वापस ले लिया गया। बम्बई की लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिबेट्स की आफिशियल रिपोर्ट, ४ अप्रेल सन् १९५६, के पेज ३७ पर यह दिया हुआ है :

"संशोधन अनुमति द्वारा वापस लिया गया।"

इसके एक साल पहले बम्बई लेजिस्लेटिव असेम्बली में एक साल पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त करने का प्रस्ताव पास हो चुका था। जब स्टेट्स रिआर्गनाइज़ेशन बिल बम्बई लेजिस्लेटिव असेम्बली के सामने गया तो उस समय उसमें महाराष्ट्र को लेजिस्लेटिव काउंसिल देने की व्यवस्था नहीं थी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इस संबंध में अमेंडमेंट दिया जाता है वह पास नहीं होता। एक तरफ तो हम यह देखते हैं कि बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेम्बरों की राय के खिलाफ ज्वाइंट कमेटी ने महाराष्ट्र को लेजिस्लेटिव काउंसिल देने की व्यवस्था की, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को बनाने वाले चारों राज्यों की इस विषय में सहमति होने पर भी नवीन मध्य प्रदेश को लेजिस्लेटिव काउंसिल देने की व्यवस्था नहीं की गयी है। जो नहीं चाहते उनको दी जा रही है, जिन्होंने इस विषय के अमेंडमेंट को भी स्वीकार नहीं किया उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल दी जा रही है, पर मध्य प्रदेश को नहीं दी जा रही। यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। यह फैसला न न्याय संगत है और न कानून संगत है। मैं जानता हूं कि अगर वहां के सदस्य चाहें तो महाराष्ट्र को लेजिस्लेटिव काउंसिल दी जा सकती है क्योंकि वह बड़ा राज्य होगा और उसमें आर्टिकल १६९ बाधक नहीं हो सकता। इसी तरह से मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश के मामले में भी वह आर्टिकल बाधक नही हो सकती और मध्य प्रदेश को लेजिस्लेटिव काउंसिल दी जानी चाहिये। जो चारों राज्य मध्य प्रदेश को बनाने वाले हैं उनके मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट और कांग्रेस कमेटियों के जितने सदस्य हैं वे यहां मिले थे और उन्होंने एक सर्वसम्मत मेमोरेंडम (ज्ञापन) माननीय गृहमंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को पेश किया है और उसमें यही चाहा है कि मध्य प्रदेश को लेजिस्लेटिव काउंसिल दी जानी चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं गृहमंत्री जी से अपील करूंगा कि वे इस प्रश्न पर विचार करें।

मैं यह समझ सकता हूं कि चूंकि महाराष्ट्र में असंतोष है और नाराजगी है इसलिये शायद शासन ने महाराष्ट्र के लिये जल्दी से लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मंजूर कर ली है और वहां की असेम्बली के मेम्बरों की संख्या भी बढ़ा दी ताकि उनको संतोष हो जाये, और इसीलिये ज्वाइंट कमेटी ने भी जल्दी से वहां की असेम्बली के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी और वहां के लिये लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसका देश में सर्वत्र स्वागत हुआ है। सभी लोगों का उस के बारे में यह मत है कि हिन्दुस्तान में अगर सबसे अच्छा राज्य कोई बनने वाला है तो वह मध्य प्रदेश ही है।

वहां की जनता ने भी बड़े हर्ष से उसका स्वागत किया है और कोई झगड़ा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। क्या यह जरूरी नहीं है कि जिस प्रदेश के लोग शासन का साथ दे रहे हों और शासन के काम का समर्थन कर रहे हों, उनकी एक छोटी सी इच्छा भी शासन स्वीकार न करे ? मैं समझता हूं कि हाउस के सामने मध्य प्रदेश के लोगों का चरित्र, जो उनके इस बिल के संबंध में विचार है और जो उनका कंडक्ट (व्यवहार) है, वह हाउस के सामने है और मैं इस हाउस और शासन से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के लोगों की, मध्य प्रदेश के शासन की और वहां की तमाम पार्टीज की जो यह इच्छा है कि मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिये, उसे स्वीकार करेंगे और मैंने जो अमेंडमेंट दिया है उसको स्वीकार करेंगे।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट यह है कि मेम्बर्स की संख्या बजाय ५ के ७ कर दी जाय। मध्य प्रदेश में सारी कांस्टीटुएंसीज़ (निर्वाचन क्षेत्र) बदलने वाली हैं, एक एक निर्वाचन क्षेत्र बदलने वाला है तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश जहां कि ४ राज्य हैं और जहां पार्लियामेंट और असेम्बली के सदस्यों के प्रतिनिधि हों वहां ५ की संख्या तो क्या ७ भी कम होती है और इसीलिये मैंने

अपने अमेंडमेंट में कहा है कि कम से कम ७ तो होनी ही चाहिये । मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन भी स्वीकार किया जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

सरदार अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : जो ३६७ नम्बर का संशोधन मेरे मित्र श्री भूपेन्द्र-नाथ मिश्र लाये हैं और जो २४७ नम्बर का संशोधन श्री राधेलाल व्यास, श्री राधे चरण शर्मा, श्री राम सहाय तिवारी और सेठ गोविन्द दास लाये हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी नो जो रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश की है और जिस पर कि हम इस समय विचार कर रहे हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं । उसका कारण यह है कि जब स्टेट्स रिआर्गनाइज़ेशन का १९५६ का बिल यहां पर पेश हुआ था और जिस पर कि सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) बनी थी, उस ने मध्य प्रदेश के साथ इंसाफ नहीं किया । जब स्टेट्स रिआर्गनाइज़ेशन बिल यहां पर पेश हुआ था तो उस ओरिजनल बिल के सफा १४ पर ३१ वीं धारा में लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में ऐसा लिखा हुआ था :

"उस तिथि से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निश्चित करें मध्य प्रदेश के नये राज्य में एक विधान परिषद् स्थापित होगी ।"

इस नये मध्य प्रदेश के लिये लेजिसलेटिव कौंसिल की स्थापना होगी । इस तरह की चीफ स्टेट्स रिआर्गनाइज़ेशन बिल में जब कि यह सेलेक्ट कमेटी में गया था उस वक्त थी लेकिन सेलेक्ट कमेटी में जाने पर उसमें से यह चीज निकाल दी गई । महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव कौंसिल बनेगी, मद्रास में लेजिस्लेटिव कौंसिल बनेगी, मैसूर में लेजिस्लेटिव कौंसिल बनेगी और पंजाब में लेजिस्लेटिव कौंसिल बनेगी लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इन दो चीजों को क्यों निकाला जा रहा है । जहां तक कि कांस्टीट्यूशन का सवाल है मैं कांस्टीट्यूशन का कोई बड़ा पंडित तो नहीं हूं, अलबत्ता मैंने एक विद्यार्थी की तरह उसका अध्ययन जरूर किया है और यहां पर सीखने के लिये आया हूं और अगर वह कांस्टी-ट्यूशन के मुताबिक चलना चाहते हैं तब भी मैं उनको कहूंगा कि उन्हें मैसूर के लिये इस कांस्टी-ट्यूशन को बदलना पड़ेगा । मैं हाउस के सामने कांस्टीट्यूशन की दफा १६८ को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो कि इस प्रकार है :

"प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल तथा पंजाब पश्चिमी बंगाल, बिहार मुंबई और युक्त प्रदेश के राज्यों में दो सदनों से ; अन्य राज्यों में एक सदन से मिल कर बनेगा ।"

ठीक है, यह दो हाउसेज रहेंगे लेकिन कहीं पर भी मैसूर के बारे में इसका जिक्र नहीं आता है और यदि मैसूर के बारे में आप इस विधान में बदलाव करना चाहते हैं तो मैं होम मिनिस्टर साहब से बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि आप मैसूर को इसमें डालना चाहते हैं और उसके लिये कांस्टी-ट्यूशन में तबदीली करना चाहते हैं तो फिर इस नये मध्य प्रदेश ने कौन सा अपराध किया है कि आप उसमें से निकाल देना चाहते हैं ।

यदि यह नहीं हो सकता है तो उसके लिये मैं आपका ध्यान दफा १६९ की तरफ दिलाना चाहता हूं यह चीज इसके खिलाफ आती है, मैं यह मानने के लिये तैयार हूं लेकिन क्या मैं आपसे अर्ज कर सकता हूं कि इस सदन के अधिकार विधान द्वारा प्राप्त हैं और मध्यप्रदेश की धारासभा ने जबकि अपने यहां यह प्रस्ताव पेश किया कि १४ हिन्दी भाषी जिलों के महाकोशल, विंध्यप्रदेश, मध्य भारत और भोपाल को मिला कर एक नया मध्यप्रदेश राज्य बनाया जाय ।

[सरदार अ० सिं० सहगल]

जो हमारी रिपोर्ट थी और हाउस में जब स्टेट्स रिआर्गनाइज़ेशन बिल के ऊपर बहस हुई थी और वह तमाम स्टेट्स के जरिए से पास हो कर के आया था और यदि आप वहां की धारा सभा के आखिरी प्रस्ताव को देखेंगे जो कि उसने इस बिल के संबंध में पास किया था तो आप इस चीज को समझ जायेंगे

मेरे कहने की मंशा यह है कि आप देखेंगे कि विन्ध्य प्रदेश की धारा सभा ने भी अगर आप वहां की प्रोसीडिंग्स को देखेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि उन लोगों ने एक मत से स्टेट्स रिआर्गनाइज़ेशन कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर किया है। इसके साथ ही साथ यदि आप मध्य भारत की लेजिस्लेटिव असेम्बली की प्रोसीडिंग्स (कार्यवाही) को देखेंगे तो आप पायेंगे कि उन्होंने इस तरह का रेजोल्युशन (संकल्प) पास किया है। :

"यह सभा राज्य पुनर्गठन आयोग पर विचार करने के पश्चात् उक्त विधेयक से सहमत होती है।"

यह चीजें हैं जो कि वहां की लेजिस्लेटिव असेम्बली ने पास कर दी हैं।

†**सरदार अ० सिं० सहगल :** मैंने यह नहीं कहा कि मैसूर में विधान परिषद नहीं है किन्तु संविधान के अधीन हमें परिवर्तन करना चाहिये। यदि सरकार कोई परिवर्तन करे तो मध्य प्रदेश को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्तावित मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। अतः तुलना ठीक नहीं है।

†**सरदार अ० सिं० सहगल :** मैं आपसे सहमत हूं किन्तु संविधान के अनुसार दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके एक विधान परिषद बनाई जा सकती है।

लेकिन मैं इसके साथ ही साथ आपसे यह कहूंगा कि जब कि आपके कमीशन की रिपोर्ट हर एक प्राविंस में भेज दी गई और यह जो न्यू मध्य प्रदेश बन रहा है उन लोगों ने पूरे कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया है, ऐसी हालत में यह कहना कि वहां से निकाल दी जाय क्योंकि कांस्टीट्यूशनल डिफीकल्टीज (संवैधानिक कठिनाइयां) आपके सामने दरपेश हैं और उनकी वजह से आप उसको निकालना चाहते हैं, कुछ मुनासिब नहीं जंचता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश के लिये किसी परिषद की सिफारिश की थी ?

†**श्री अ० सिं० सहगल :** जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** तब फिर उसको क्यों निकाल दिया गया ?

†**श्री अ० सिं० सहगल :** जहां तक मैं समझता हूं, संयुक्त समिति के सदस्यों ने इसको समिति के सामने रखने का ध्यान नहीं रखा।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : क्या संयुक्त समिति के सदस्यों पर माननीय सदस्य का दोषारोपण करना उचित है ?

†**श्री अ० सिं० सहगल :** मैं समिति पर दोषारोपण नहीं करता, परन्तु अपने कुछ मित्रों पर आरोप लगा रहा हूं जो वहां थे और जिन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इस खंड को उसमें से निकाला न जाये। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि नये मध्य प्रदेश के लिये विधान परिषद की स्थापना करने का सुझाव स्वीकार कर लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके साथ ही, नये मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना न कर सकने के लिये जो कारण बनाये गये हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि संविधान में जो संशोधन किया जा रहा है उसी में मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना करने की बात जोड़ी जा सकती है।

†**श्री मुहीउद्दीन :** जिस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं उसके भाग ३ के अधीन क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जायेगी और इन परिषदों का अन्य कार्यों के अतिरिक्त एक कार्य सीमा-संबंधी विवादों का निबटारा करना भी होगा।

सीमा संबंधी विवादों का निबटारा करने के लिये विधेयक में केवल यही एक उपबन्ध किया गया है और मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा और कुछ और उपबन्धों की व्यवस्था करना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि यदि सरकार सीमा आयोग की नियुक्ति करने से सहमत नहीं होती तो सीमा-विवादों का पंच निर्णय कराने के लिये उसको कुछ और ढंग निकालना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि सीमा-आयोग की नियुक्ति करने से इस विषय का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो जायेगा, परन्तु साथ ही, यदि दो सरकारें अपने किसी विवाद को पंच निर्णय के सुपुर्द करने को तैयार हो जायें तो उसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बड़ी संख्या में विवादों को हल किया जा सकेगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सीमा विवादों को हल करने के लिये कोई न कोई सिद्धांत तो अवश्य ही निश्चित किया जाना चाहिये। अब तक कठिनाई यही रही है कि यद्यपि अनेक माननीय सदस्यों ने एक जिले अथवा फिरके को एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरित करने के संबंध में अनेक संशोधन प्रस्तुत किये परन्तु यह किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं थे। एक जिले को एक राज्य से दूसरे को हस्तांतरित करने में उन "अन्य व्यक्तियों" का बिलकुल भी ध्यान नहीं रखा जाता जो किसी भी भाषा समूह के नहीं होते और उनकी इच्छाओं की पूरी तरह अवहेलना की जाती है। किसी क्षेत्र को केवल इसीलिये हस्तांतरित कर दिया जाता है क्योंकि उसके बहुमत निवासी कोई विशेष भाषा बोलने वाले होते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि एक सिद्धांत निश्चित कर दिया जाना चाहिये और वह यह है कि यदि किसी क्षेत्र के ६०-७० प्रतिशत किसी विशेष भाषा के बोलने वाले हों, तब तो उसको हस्तांतरित किया जाये, परन्तु यदि बहुमत "अन्य व्यक्तियों" की श्रेणी में आने वाले लोगों का हो तो यथा स्थिति कायम रहने देनी चाहिये और उसको हस्तान्तरित नहीं करना चाहिये। साथ ही इस समय सीमा सबंधी विवादों को हल करने की जो व्यवस्था की गयी है वह वैधानिक नहीं है। इस-लिये मेरा सुझाव है कि ऐसी कोई कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे कोई पंच अथवा आयोग शीघ्र निर्णय कर सके और वह सिद्धांत निर्धारित कर दिये जाने चाहिये जिनके आधार पर निर्णय किया जा सके।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मैं खण्डीय परिषदों की स्थापना करने के विचार का तो स्वागत करता हूं, परन्तु मैं समझता हूं कि इस समय प्रत्येक राज्य की जो हालत है, और सीमा संबंधी विवादों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शान्त चित्त से निर्णय किया जाना जिस प्रकार असंभव प्रतीत हो रहा है, उसको देखते हुए खंडीय परिषदें शायद उनका निबटारा करने में सक्षम सिद्ध नहीं हो सकेंगी। इस लिये खण्ड २३ (२) (ख) में से "सीमा विवाद" शब्दों को निकाल देना चाहिये। सीमा संबंधी विवादों को हल करने का एकमात्र तरीका यही है कि उनको बहु-उल्लिखित संविहित सीमा-आयोग के सुपुर्द कर दिया जाये। मैं इस संबंध में अधिक कुछ न कह कर केवल यही कहूंगा कि इस कार्य के लिये सीमा-आयोग नियुक्त किये जाने का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

खण्ड १९ के उपखण्ड (४) में कहा गया है कि खण्डीय परिषद की बैठक में निर्णय बहुमत से किये जायेंगे। साधारणतया अधिकांश प्रश्नों का निर्णय तो विशेष मत-भेद से ही किया जा सकेगा परन्तु यदि किसी प्रश्न पर मतभेद हो ही जाये, तो मैं नहीं समझता हूं कि केवल बहुमत से ही उसका

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

निर्णय कर लेना पर्याप्त होगा। क्योंकि इस प्रकार तो सभापति को "निर्णायक मताधिकार" के रूप में बहुत अधिक अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं। इसलिये एक संशोधन मे मैंने यह सुझाव दिया है कि निर्णय साधारण बहुमत से नहीं वरन् दो तिहाई बहुमत से किया जाना चाहिये।

सामान्य चर्चा के समय मैंने कुछ नये बनने वाले राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना करने का जिक्र किया था। यदि सरकार यह समझती है कि किसी राज्य के लिये विधान परिषद आवश्यक है तो उनको मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के लिये भी आप से आप विधान परिषद् का उपबन्ध करना चाहिये था।

खण्डीय परिषदों के लिये आवश्यक कर्मचारियों के संबंध में खण्ड २१(१) में एक संयुक्त-सचिव का भी उपबन्ध किया गया है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि उन्होंने इतने बड़े कार्यालय की कल्पना किस प्रकार से कर ली जिसके लिये एक संयुक्त सचिव की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूं कि सचिवालय यथा संभव अधिक से अधिक ऊंचे ऊंचे पदों की स्थापना कर रहा है जिससे उनपर उसके लोग आरूढ़ हो सकें वास्तव में आरम्भ में तो कार्यालय छोटे छोटे होंगे और संयुक्त-सचिव की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु यदि आगे चल कर काम में वृद्धि हो तब संयुक्त सचिव की नियुक्ति उचित हो सकती है। इस समय तो मैं इसको अनावश्यक और फालतू समझता हूं।

तीसरी अनुसूची के संबंध में मैं सामान्य चर्चा के समय ही यह बता चुका हूं कि लोक-सभा में अलग-अलग राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। साथ ही मैंने कहा था कि लोक-सभा के सदस्यों की संख्या की तुलना में स्थानीय विधान-सभाओं के सदस्यों का अनुपात भी एक सा नहीं है। इस अन्तर को दूर किया जाना चाहिये।

मैं एक बार पुनः कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि सीमा संबंधी विवादों को हल करने के लिये एक संविहित आयोग की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है और सरकार को इसके बारें में दिये गये संशोधनों को स्वीकार करने का तरीका ढूंढ़ना होगा। मुझे विश्वास है कि यदि सदस्यों को इस प्रकार के प्रश्नों पर इच्छानुसार मतदान करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाये तो वे निश्चय ही सीमा-आयोग अथवा सीमा संबधी विवादों को हल करने के लिये आयोग के पक्ष में ही मत देंगे।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा-पूर्व) : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हम सभी जानते हैं कि यह संशोधन त्रिपुरा, मनीपुर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सभा के सदस्य अपने अपने राज्यों में विधान सभाओं की स्थापना की मांग करते रहे हैं। परन्तु उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। भूत-पूर्व गृह-कार्य मंत्री डा० काटजू, प्रधान मंत्री तथा वर्तमान गृह-कार्य मंत्री पंडित पंत के आश्वासनों के बाद भी इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं रखी गयी है जिससे मनीपुर तथा त्रिपुरा की शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता हो। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को भी, जो काफी दिनों तक विधान सभाओं से लाभान्वित होती रही, अब इन से वंचित किया जा रहा है। यह अनुचित है। हमारे संविधान में यहां तक उपबन्ध किया गया है कि भाग 'ग' के जिन राज्यों में विधान-मंडल न हों उनमें संसद् विधि द्वारा विधान मंडलों की स्थापना कर सकती है। परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि ४१/२ वर्षों केबाद भी सरकार ने इन राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना करने की दिशा में कुछ भी नहीं किया है। इतना ही नहीं, वह हमारे राज्यों में असैनिक प्रशासन के लिये सैनिक-अधिकारियों को भेज देते हैं। यह लोग जनता में अपनी सैनिक नौकरशाही का प्रदर्शन करने में सफल भले ही हुए हों, परन्तु ये असैनिक प्रशासन करने के योग्य नहीं हैं। हमारे राज्यों में इस प्रकार का प्रशासन कायम नहीं रहने दिया जाना चाहिये।

---

†मल अंग्रेजी में :

आज सभा में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पूर्णत: सतर्क है और अधिकारी-गण बाढ़ द्वारा की गई क्षति का निरीक्षण और जनता की सहायता करने घूम रहे हैं। दूसरी ओर सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने एक विवरण छपवा कर सदस्यों को भेजा है जिसमें स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि बाढ़ इतने अचानक ढंग से आयी कि उसकी चपेट में आने वाले व्यक्तियों को कोई चेतावनी नहीं दी जा सकी। इस प्रकार की परस्पर विरोधी खबरें क्यों दी जाती हैं? वहां पर आप ऐसी शासन-प्रणाली कायम रखे हुए हैं जिससे आपको कभी भी सही खबरें नहीं प्राप्त हो सकती हैं। त्रिपुरा यहां से एक हजार से भी अधिक मील दूर है और उसपर यहां से बैठ कर शासन नहीं किया जा सकता। वहां आपको ऐसा प्रशासन रखना होगा जिसमें जनता भी प्रभावकारी ढंग से भाग ले सके।

विकास आयुक्तों के पांचवे सम्मेलन में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जनता का योग प्राप्त करने की बात कहते समय प्रधान मंत्री भी न जाने त्रिपुरा और मनीपुर को कैसे भूल गये। क्या वह यह नहीं समझते हैं कि जनता द्वारा सीधे भाग लिये गये बिना सामुदायिक विकास कार्यक्रम अथवा राष्ट्रीय विकास कार्य त्रिपुरा और मनीपुर में प्रगति नहीं कर सकते हैं अथवा सफल नहीं हो सकते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

क्या मैं यह जान सकता हूं कि त्रिपूरा और मनीपुर में, जहां न विधान मंडल है, न निर्वाचित नगरपालिकायें हैं, न जिला अथवा स्थानीय बोर्ड ही हैं, यहां तक कि जहां ग्राम पंचायतें तक भी नहीं हैं, ऐसे विकास कार्यों में जनता द्वारा भाग लिये जाने के लिये कौन सा रास्ता खुला रख रहे हैं। इस-लिये सभा से मेरा अनुरोध है कि हमारे मामले पर विचार किया जाये क्योंकि हमीं सबसे अधिक त्रस्त हैं।

एक बात और भी है। परियोजना-क्षेत्रों में सिंचाई और भूमि फिर से प्राप्त करने के संबंध में किये जाने वाले कार्य और आदिम निवासियों को तथा शरणार्थियों के पुनर्वास के कार्य को ठीक ढंग से नहीं किया गया है। प्रत्येक स्थान पर हम देखते हैं कि इन कार्यों के लिये मंजूर किये गये धन का उपयोग नहीं किया गया है और उस धन को केन्द्र को लौटा दिया गया है।

इसलिये मेरा आग्रह है कि हमारे, मामले पर फिर से विचार किया जाये और हमारे लिये विधान मंडल स्वीकार किया जाये। मेरा यह भी अनुरोध है कि हिमाचल-प्रदेश और दिल्ली के प्रश्न पर भी फिर से विचार किया जाये ओर उनको विधान सभा के रूपमें जो अधिकार प्राप्त है उनको न छीना जाये।

अंत में मैं खंडीय परिषदों के प्रश्न पर आता हूं। मैं खंडीय परिषदों के बनाये जाने के विरुद्ध हूं। मैं समझता हूं कि इन से कोई भी लाभ नहीं होगा। इसके साथ इन खंडों में विधान परिषद् की स्थापना के बारे में भी कहा गया है। विधेयक में नये राज्यों के लिये जिन विधान परिषदों की परिकल्पना की गयी है उनको मैं बिलकुल अनावश्यक समझता हूं। यदि आप उनको समाप्त कर दें तो बहुतेरा खर्च बचा सकते हैं और आपके काम में कोई भी हर्ज नहीं होगा।

अत: सभा से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले पर भी विचार करे। अन्य राज्यों से जिनमें लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था है, आने वाले इस सभा के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह भाग 'ग' के अपने भाइयों के मामले पर विचार करें और इस बात की व्यवस्था करें कि वह अपने अधिकारों से वंचित न रह जायें। यही कारण है कि मैं सभी सदस्यों से इस संशोधन के पक्ष में मत देने का अनुरोध करता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपने दो संशोधनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनका संबंध उन खंडीय परिषदों के अधिकारों से जिनका उल्लेख राज्य पुनर्गठन विधेयक के खंड २३ में किया गया है। परन्तु संविधान (नवां संशोधन) विधेयक में इनका किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता। संविधान में भी खंडीय परिषदें नहीं हैं, केन्द्र और राज्यों के बीच ही शक्तियों का विभाजन किया गया है।

अब खंडीय परिषदों की स्थापना की जा रही है और उनको कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं। परन्तु मुझे इसका कोई वैधानिक आधार नहीं मिलता है। मैं जानता हूं कि यह अधिकार केवल परामर्श देने के संबध में नहीं है, परन्तु किसी भी ऐसे निकाय से परामर्श नहीं लेना चाहिये जो संविधान सम्मत न हो। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जहां तक खंडीय परिषदों का संबध है, उनके अस्तित्व और अधिकारों को वैधानिक रूप दिया जाना चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि जहां तक इन अधिकारों का संबंध है, खंड २३ में एक ऐसा उपबन्ध जोड़ दिया जाना चाहिये जिससे कि यदि कभी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें खंडीय परिषदों को अपने कुछ कार्य सौंपें तो वह प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसार अपना कार्य कर सकें और केवल परामर्शदातृ-निकाय ही न बने रह जायें। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि खंडीय परिषदों में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री राज्य के मुख्य मंत्री और दो अन्य मंत्रियों के रहते हुए भी इसको केवल परामर्शदातृ पद दिया जा रहा है। मैं तो यह चाहूंगा कि इस निकाय को कम से कम केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा तक तो कार्यकारिणी के अधिकार प्राप्त होने ही चाहिये।

जहां तक कि परामर्श का संबंध है, मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को ही परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। परन्तु ऐसा कोई उपबन्ध न किये जाने से उसको कठिनाई हो सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि खंड २३(२) में एक उपखंड और जोड़ दिया जाय जिससे यदि केन्द्रीय या राज्य सरकारें यदि चाहें तो इस निकाय को निर्देश करें और वह भी उनको परामर्श दे सके। इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा।

हमें खंडीय परिषदों के कार्य का कोई अनुभव नहीं है। और हम यह नहीं जानते हैं कि यह किस रूप में विकसित होंगी। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि उनको जो अधिकार दिये गये हैं वह बहुत ही उलझे हुए हैं और हमको इससे बचना चाहिये। क्योंकि इसमें यह संभव है कि एक ही विषय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय किया जाये और उसी पर खंडीय परिषद् का निर्णय हो, जो केन्द्रीय सरकार के निर्णय का स्थान ले लेगा। अब ऐसे में हम यह कैसे कह सकते हैं कि परामर्श देने में वह केन्द्रीय सरकार से भी अधिक योग्य और सक्षम है। जहाँतक ऐसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के लिये, जो अल्प संख्या में हैं, परित्राणों का संबंध है, उनका परामर्श उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता जितना केन्द्रीय सरकार का होगा।

सीमान्त विवादों के बारे में मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि सीमान्त विवादों संबधी खंड परिषद के विनिश्चयों से उतना विश्वास प्राप्त न किया जा सकेगा जितना केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक संस्था से होगा। हम जानते हैं कि बेकारी और अन्य स्थानों के मामलों के लिये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे। उनके विनिश्चयों से साधारणतया जनता का विश्वास प्राप्त किया जा सका। ऐसे मामलों में हमें ऐसी व्यक्ति नियुक्त करना चाहिये जिसका मामले से कोई संबध न हो। परन्तु यदि आप विवादग्रस्त राज्यों को विवादों का निबटारा करने का अधिकार दे देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सीमान्त विवादों का ठीक विनिश्चय न किया जा सकेगा। यदि आप इन खंड परिषदों को सीमान्त न्यायाधिकरण नियुक्त करने का अधिकार दे देते हैं, तो अच्छा होगा। ऐसे मामलों में उच्चतम अधिकारियों पर भी वे प्रभाव, पक्षपात, आदि का आरोप लगाया जाता है। अतः यह अत्याधिक महत्वपूर्ण है कि हम इन मामलों का विनिश्चय करने के लिये सर्वाधिक स्वतंत्र, सच्चे और निष्पक्षी व्यक्ति रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने एक संशोधन पंजाब के लिये विधान परिषद के बारे में भी रखा है। विधेयक के अनुसार विधान परिषद पंजाब के नये राज्य के बन जाने के बाद बनेगी। परन्तु पंजाब में तो पहिले से ही विधान परिषद है और उसके ४० सदस्य हैं। राज्य पुनर्गठन के बाद यह संख्या ४६ हो जायेगी। परन्तु पंजाब के बारे में मेरा निवेदन है कि विधान परिषद के लिये नये निर्वाचन नहीं होने चाहिये। संविधान में उपबन्ध है कि पांच वर्ष के बाद राज्यों की विधान सभायें और लोक-सभा का विघटन हो जायेगा परन्तु राज्य परिषद और राज्य विधान परिषदें बनी रहेंगी। पंजाब में केवल छः मास पहिले एक तिहाई सदस्य परिषद् की सदस्यता से निवृत हुए थे तथा १४ नये सदस्य यथोचित निर्वाचन द्वारा परिषद के सदस्य चुने गये थे। ये सज्जन केवल छः मास तक ही सदस्य रह पायेंगे जब कि उन्हें छः वर्ष तक रहना चाहिय। मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस सिद्धांत के आधार पर यह निर्णय बना रहे हैं कि पंजाब के नये राज्य बनने परिषद का पुनः गठन होगा। मद्रास के बारे में एक भिन्न नियम बनाया गया है। इसका कोई कारण नहीं है कि इस मामले में पंजाब और मद्रास में भेदभाव रखा है। अतः मेरा निवेदन है कि पंजाब परिषद् के विद्यमान सदस्यों को पुनः निर्वाचन लड़ने के लिये बाध्य न किया जाय। पेप्सू के बारे में मेरा प्रस्ताव है कि विधान परिषद के लिये छः सदस्य चुनने होंगे। हमारे वर्तमान उपबन्ध के अनुसार परिषद में एक चौथाई सदस्य होंगे परन्तु संविधान के नवें संशोधन के अनुसार यह संख्या एक तिहाई होगी। मेरे माननीय मित्र श्री मिश्र ने संशोधन रखा है कि पहिले संविधान (नवां संशोधन) विधेयक स्वीकार किया जाय और तत्पश्चात् राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक पर विचार किया जाय। मैं समझता हूं कि यह कहीं अच्छा होता। अन्यथा वही प्रश्न फिर उठाया जायेगा तथा जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं वे पूर्ण लाभ भी न उठा सकेंगे। उदाहरणार्थ, हमारे ४८ सदस्य होते जब कि अब ४६ सदस्य होंगे।

अब मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के मामलों पर आता हूं। मेरा निवेदन है कि आप किसी न्यायाधीश को नियुक्त करते समय उसे इतने समय के लिये नियुक्त करते है जितने समय के लिये वह अपने जीवन में उस पद पर कार्य कर सके। यदि आप अपनी इच्छा से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से निवृत करते हैं तो यह बात न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार मैं नहीं चाहता कि परिषदों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों से इस अन्तरिम काल के लिये अपने पद त्यागने और पुनः निर्वाचन लड़नेके लिए कहा जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से तो और स्थानों पर भी काम लिया जा सकता है, परन्तु अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से नहीं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** उदाहरणार्थ पंजाब में एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अपने अपने पद पर नियुक्त रहने दिया जाना चाहिये तथा पेप्सू में अध्यक्ष को पंजाब में उपाध्यक्ष के पद पर लिया जाना चाहिये। जब कि हम इस बात पर तुले हैं कि साधारण सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये, तो यह बात इन सम्मानित व्यक्तियों पर तो और भी अधिक लागू होती है। वास्तव में यह मेरा ही विचार नहीं है। पंजाब विधान सभा के सदस्यों ने राज्य पुनर्गठन विधेयक पर विचार करते समय यह प्रश्न उठाया था और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके विचार केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिये जायेंगे। मुझे विश्वास है कि वे विचार सरकार की सिफारिशों सहित केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिये गये होंगे। अतः मुझे विश्वास है कि मेरे निवेदन पर उचित विचार किया जायेगा और इस बात से सम्बद्ध मेरा संशोधन स्वीकार किया जायेगा।

†**श्री मोहनलाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : आरम्भ में ही मैं एक बड़े और द्विभाषी बम्बई राज्य के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करने के लिये श्री देशमुख को बधाई देता हूं।

खंड परिषदों के बारे में मैंने सुझाव दिया था कि केवल परामर्शदात्री खंड परिषदों से काम नहीं चलेगा। सरकार और संयुक्त समिति मेरे मत से सहमत न हो सकीं। मैं अब भी महसूस करता हूं कि यदि कभी भाषावार राज्य समाप्त होंगे और भारत में द्विभाषी या बहुभाषी राज्य बनेंगे, तो ये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

खंड परिषदें ढांचे का काम करेंगी। अतः मैंने और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक संशोधन रखा है कि ये परिषदें परामर्शदात्री संस्थायें होने के अतिरिक्त उन शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेंगी जो इन्हें संघ या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित की जायेंगी। खाद्य मंत्रालय की तो अब भी अपना काम करने के लिये एक प्रकार की खंड परिषदें हैं। सम्भव है कि अन्य मंत्रालयों के काम में भी खंड परिषदें उपयुक्त व सहायक सिद्ध हों।

मैंने एक और भी संशोधन की पूर्व सूचना दी है। आजकल उपबन्ध यह है कि खंड परिषदें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के केवल सामान्य हित के मामलों पर चर्चा कर सकती हैं और उन्हें परामर्श दे सकती हैं। परन्तु ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें खंड परिषदों का परामर्श प्राप्त कर सकें। अतः मैंने इस संबंध में एक संशोधन रखा है और आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार कर सकेगी। राज्यों के मत जानने के लिये दिल्ली या किसी पहाड़ी नगर में सम्मेलन करने की बजाय कभी ऐसी किसी संस्था की बैठक करना कहीं अच्छा होगा जिससे विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों का ज्ञान हो। कार्यकुशलता व अच्छे प्रशासन के लिये यह कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। खंड परिषदों के बारे में मैंने एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया है। लोगों में उत्तेजना और संदेह की भावना होने के कारण इस समय विधेयक के उपबन्धों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का करना सम्भव नहीं है। मेरा विचार है कि कुछ समय में मतभेद समाप्त हो जायेगा और उत्तम विचारधारायें उत्पन्न होंगी। मैं विधेयक-क्रम में गड़बड़ी करना नहीं चाहता, परन्तु यदि मेरा संशोधन बाद में भी स्वीकार कर लिया जाता है तो वे खंड परिषदों से पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सभा मेरे संशोधन पर इस दृष्टि से विचार करे।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन** (टेल्लिचेरी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं भाषावार राज्यों के न तो पक्ष में हूं और न ही उनका विरोधी हूं। मेरा मत है कि जहां कहीं भाषावार राज्यों की स्थापना सम्भव व उचित हो, वहां वे बनायें जाने चाहिये अन्यथा नहीं। पुनर्गठन के बाद केरला राज्य समूचे भारत में सबसे छोटा राज्य होगा। हम सबने अपने गानों मे सुना है और इतिहास में पढ़ा है कि केरला गोकरणम से कन्या कुमारी तक फैला हुआ है। परन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग ने केरला का गोकरणम से कसरगोद तक का क्षेत्र तथा कन्याकुमारी से नैयातिकरण तक क्षेत्र पृथक कर दिया है। यदि केरला राज्य एक ऐसा बहुभाषी राज्य होता जिसमें कम से कम आधी जन संख्या कन्नड़ भाषी, कुछ वर्ग तुलु भाषी, दूसरा वर्ग तामिल भाषी और पर्याप्त जनसंख्या मलयालम भाषी होती, तो मुझे बहुत पसंद होता। दक्षिण कनारा और मलाबार जिले एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ हैं। मेरी भावना केवल यह है कि यदि कुछ कन्नड़ लोगों को प्रस्तावित केरला राज्य में रहने दिया जाता है तो इससे हम मद्रास राज्य में अपने दीर्घकालीन संबंधों की स्मृति बनाये रखेंगे। हमारा राज्य सबसे छोटा राज्य होगा तथा हमारे सामने अधिक जनसंख्या और भूमि के अभाव की दो महत्वपूर्ण समस्यायें होंगी। अतः कसरगोद के एक छोटे से भाग के केरला में मिलाये जाने के बारे में मेरे करनाटकवासी मित्रों को धैर्यहीन न होना चाहिये।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सभा में और सभा के बाहर एक बड़े द्विभाषी बम्बई राज्य का भाव विद्यमान है। मेरा ख्याल है कि इस समय दक्षिण में एक बड़े द्विभाषी या यहां तक कि त्रि-भाषी राज्य का होना बहुत ही अच्छा रहेगा। मद्रास, मैसूर और केरला के प्रस्तावित राज्यों को मिला कर एक बहुत ही प्राकृतिक सुन्दर तथा शक्तिशाली राज्य बनेगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या आप आन्ध्र नहीं चाहते ?

†**श्री नत्तूर प० दामोदरन** : आन्ध्र को मिलाने से राज्य बहुत बड़ा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त मैं पहिले ही बता चुका हूं कि जो राज्य भाषावार राज्य रह सकते हे उन्हें रहने दिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित मु० बि० भार्गव** (अजमेर–दक्षिण) : सर्वप्रथम मैं भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री चिं०द्वा० देशमुख द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ हार्दिक सहमति प्रकट करता हूं, तथा बड़े द्विभाषी बम्बई राज्य का हृदय से समर्थन करता हूं। बम्बई का ख्याल अब कोई प्रादेशिक सवाल नहीं है अपितु राष्ट्र का सवाल है। बम्बई का एक बड़ा द्विभाषी राज्य होना देश की दृढ़ता और एकता के लिये अनिवार्य है।

१६ से २५ तक के खंडों में कुछ खंड परिषदें बनाने का उल्लेख है। देश को पांच खंडों में विभक्त करने और एक खंड में सम्मिलित राज्यों में परामर्श व सहकार करने का उपबन्ध करने का है। खंड २३ में बताया गया है कि इन परिषदों का काम सामाजिक व आर्थिक योजना, सीमावर्ती विवाद, अल्पसंख्यकों, अन्तर्राज्यीय परिवहन तथा राज्य पुनर्गठन से संबंधित और पैदा होने वाले प्रश्नों पर एक दूसरे से निरंतर परामर्श व सहकार करना है। ये कार्य बहुत ही साधारण प्रकार के हैं। इसमें प्रत्येक बात आ जायेगी और कुछ भी न आयेगा। मुझे इसमें सन्देह है कि क्या ये राज्य परिषदें कुछ लाभकारी काम कर सकेंगी। यह इस बात पर निर्भर होगा कि वे केन्द्रिय मंत्री के समायतित्व में होने वाली बठक के प्रश्नों पर कैसे चर्चा करने का विनिश्चय करते हैं। परन्तु इन सब कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों के प्रश्नों तथा सीमावर्ती विवादों को निबटाना है। परन्तु ये उपबन्ध भाषा संबंधी अल्प संख्यकों की सुरक्षा किसी भी प्रकार न कर सकेंगे। इसके लिये संविधान में कोई उपबन्ध करना पड़ेगा या कोई विशेष संसदीय विधि बनानी होगी। परिणाम-स्वरूप, इन उपबन्धों के साथ ही सीमावर्ती विवादों के निबटारे के सिद्धांत निर्धारित करने वाली विधि अवश्य पारिता की जानी चाहिये। अन्यथा, इन खंड परिषदों के लिये यह असम्भव होगा कि वे अपने इन कामों को कुशलतापूर्ण और प्रत्येक के लिये संतोषजनक ढंग से कर सकें। सामाजिक तथा आर्थिक योजना के बारे में मेरा ख्याल है कि यह बहुत ही अनिर्दिष्ट पद है तथा यदि कुछ निश्चित उद्देश्य रखे जाते तो अच्छा होता।

तीसरी बात मैं भाग 'ग' राज्यों में लोकतन्त्रात्मक प्रकाशन की स्थापना के बारे में कहना चाहता हूं। यह समस्या बहुत समय से चली आ रही है। संविधान के अनुच्छेद २३९ तथा २४० संसद् को प्राधिकार देती है कि संसद् इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का लोकतन्त्रात्मक प्रशासन, यहां तक कि भाग 'क' राज्यों जैसा लोकतन्त्रात्मक प्रशासन स्थापित कर सकती है। हम भाग 'ग' के प्रतिनिधि बहुत ही अकंटक प्रयत्न करने के बाद भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम को इस संसद् द्वारा पारित करा सके थे।

राज्य पुनर्गठन आयोग का एक मुख्य उद्देश्य राज्यों के भागों, अर्थात् 'क' और 'ख' और 'ग' को समाप्त करना था। उन्होंने केवल कुछ केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों और भाग "क" राज्यों की सिफारिश की थी। परन्तु यह अजब बात है कि संयुक्त समिति ने भारत संघ के अंगभूत एककों को फिर उसी पुराने वर्गों में रखना पसंद किया है। भाग "ख" में केवल जम्मू तथा काश्मीर को रखा गया। भाग "ग" राज्यों में, अर्थात् विद्यमान हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और दिल्ली में बम्बई नगर और मिला दिया गया है। संविधान (नवां संशोधन) विधेयक को देखते हुए भारत सरकार का विचार यह जान पड़ता है कि भाग "ग" राज्यों का कोई लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था न होगी। मैं सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूं कि यह प्रतिगामी कार्यवाही है। यदि इन राज्यों को लोकतन्त्रात्मक सरकार नहीं दी जाती और दो विद्यमान राज्यों के विधान मंडल विघटित कर दिये जाते है, तो मैं पूछता हूं कि आप वह वचन कैसे पूरा करेंगे जो आपने भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और समान अवसर प्राप्त कराने के लिये सत्यनिष्ठा से दिया है? मैं सम्मानपूर्वक कहता हूं कि यह भारत के गणराज्य के संविधान से संगत नहीं है। मेरा ख्याल है कि राज्य पुनर्गठन विधेयक से इस काले दाग को धो देना चाहिये तथा उन क्षेत्रों में भाग "ग" राज्य का शासन अधिनियम के अनुसार उत्तरदायी सरकार अवश्य होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अय्युण्णि** (त्रिचूर): मैंने खंड १९ संबंधी एक संशोधन की पूर्व सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई संबंधित राज्य खंड परिषद् के विनिश्चय को स्वीकार न करें तो केन्द्रीय सरकार उस राज्य सरकार से ऐसा न करने का कारण पूछ सकती है और उसके उत्तर पाने पर या उचित समय के बाद उस मामले में अपना विनिश्चय कर सकती है। यह विनिश्चय उस संविधान सरकार को अनिवार्य रूप से मानना होगा।

मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिनका मत यह है कि राज्य पुनर्गठन की सिफारिशों पर कुछ समय तक विचार न किया जाय। परन्तु ऐसा न हुआ और हम जानते हैं कि इसका क्या परिणाम हुआ है। आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित होते ही सारे देश में आग-सी भड़क गई तथा यहां संसद् में जब प्रधान मंत्री ने देखा कि आग सी भड़की हुई है, तो उन्होंने कहा कि इससे देश का भला न होगा। यह विचार किया गया कि विभिन्न राज्यों में कुछ संबंध स्थापित हुए बिना पुनर्गठन देश की एकता व सुदृढ़ता के लिये संकटमय सिद्ध होगा। इस प्रकार खंड परिषदों का विचार उत्पन्न हुआ अब प्रश्न यह है कि अब हमें क्या करना चाहिये। यथासंभव हमें एक भाषी राज्यों की बजाय द्विभाषी या बहुभाषी राज्य बनाने चाहिये। बम्बई की घटनाओं को देखते हुए, मुझे तो यह सर्वश्रेष्ठ हल दिखाई पड़ता है। यदि खंड परिषदें पड़ोसी राज्यों में अच्छे संबंध स्थापित कर सकें तथा ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकें कि मुख्य मंत्री और खंड परिषद के अन्य सदस्य एक दूसरी की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझें, तो उससे कुछ लाभ होगा। परन्तु यह बात संदेहपूर्ण है कि क्रियात्मक रूप में उनसे कितना लाभ होगा, क्योंकि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान स्थिति यह है कि यदि कोई खंड परिषद कोई विनिश्चय करती है तो, वह खेल सिफारिश के रूप में होगा। कोई भी राज्य उसे स्वीकार तथा कार्यान्वित करने के लिये बाध्य नहीं है। मैंने अपने संशोधन में यही उपबन्ध किया है कि यदि खंड परिषद के किसी विनिश्चय को कोई राज्य न माने, तो इसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को दी जानी चाहिये तथा यदि केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से यह पूछने पर भी कि वे उसे क्यों स्वीकार नहीं कर सकतीं उस विनिश्चय से सहमत हों तो केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय संबंधित राज्यों के लिये अनिवार्य रूप से स्वीकार व कार्यान्वित किया जाने वाला आदेश होगा। अन्यथा, इन खंड परिषदों का कोई लाभ न होगा।

अतः मेरा सविनय निवेदन यह है कि इन खंड परिषदों को प्रभावी बनाने के लिये यह उपबन्ध करना आवश्यक है कि खंड परिषदों के विनिश्चयों को कार्यान्वित के संबंध में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

श्री रा० च० शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने २४७ नंबर के अमेंडमेंट (संशोधन) के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधेयक पूर्व में प्रस्तुत हुआ था उसमें धारा ३१ का जो उल्लेख था उसके अनुसार मध्य प्रदेश के वास्ते लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधान परिषद) होनी थी लेकिन सेलेक्ट कमेटी (प्रवर संमिति) में जब यह विधेयक गया तो वहां पर यह धारा ३१ नहीं रही और उसका कारण यह बतलाया गया कि यह मध्य प्रदेश की जो नई विधान सभा बनेगी वह संविधान की धारा १६९ के अनुसार दो तिहाई मत से निश्चय करेगी कि वहां पर लेजिस्वेटिव कौंसिल (विधान परिषद) होनी चाहिये तभी वह स्थापित की जायगी। यह ठीक बात है लेकिन इस राज्य पुनर्गठन विधेयक के साथ साथ संविधान में भी संशोधन होने जा रहा है और संविधान की धारा १६८ के अनुसार दूसरे प्रान्तों में भी लेजिस्लेटिव कौंसिलों की स्थापना की जा सकती है जैसा कि पूर्व बिल में प्रस्तावित किया गया था और जैसा कि महाराष्ट्र के लिये प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के लिये भी लेजिस्लेटिव कौंसिल का होना संविधान की धारा १६८ में प्रस्तावित किया जा सकता है और इस प्रदेश में लेजिस्लेटिव कौंसिल का होना आवश्यक हैं क्यों कि यह प्रदेश चार राज्यों को मिला करके बन या ज रहा है जिनमें से दो पार्ट सी० स्टेट्स रही हैं, एक विन्ध्य प्रदेश और दूसरी भूपाल। विन्ध्य प्रदेश की असेम्बली में ६० सदस्य हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

और भूपाल में ३० सदस्य हैं। आगे चल कर विन्ध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा ४० मेम्बर रह सकेंगे और भोपाल के अधिक से अधिक १० रह सकेंगे। यह प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा है कि जितने भी प्रदेश बन रहे हैं सब इससे छोटे हैं। यदि देखा जाय तो वहां पर विधान सभा की एक सीट के वास्ते लगभग ६१७ वर्ग मील का क्षेत्रफल होता है, जब कि अगर आप केरल को देखें तो वहां पर केवल १२० वर्ग मील होता है और उत्तर प्रदेश को देखें तो ज्यादा से ज्यादा २२० वर्ग मील होता है। इसलिये आवश्यक है कि इतने बड़े प्रदेश में अधिक जनप्रतिनिधि हों ताकि उनका सम्पर्क राज्य से अधिक रहे। राज्य के संचालन में उनका सहयोग रहे, इस दृष्टि से अगर वहां पर **बाइ-कैमरल लेजिस्लेचर** (द्विसदनीय विधान मंडल) रहे तो अच्छा ही है। अगर केरल को लिया जाय तो उस प्रान्त में, जहां पर बड़ी घनी आबादी है, **बाइकैमरल लेजिस्लेचर** का रखना उपयुक्त नहीं हो सकता है, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश के लिये वह बहुत ही उपयुक्त होगा। जब पूर्व में यह बिल प्रस्तुत हुआ था उसमें तो यह कहा गया था कि जितनी जल्दी हो सके, **ऐज सून ऐज पासिबल** (यथा संभव शीघ्र) यहां लेजिस्लेटिव कौंसिल होनी चाहिये। यह शब्द धारा ३१ के संबंध में जो टिप्पणी अर्थात् स्पष्टीकरण है उस में दिये गये हैं। इस लिये यदि इस समय इतने बड़े मध्य प्रदेश के लिये लेजिस्लेटिव कौंसिल का प्राविजन (उपबन्ध) नहीं रखा गया और भविष्य के लिये इसको उठा रखा गया तो इसमें काफी विलम्ब होगा। सब से पहले तो वहां की ऐसेम्बली (विधान सभा) प्रस्ताव करे, उसके बाद संविधान का संशोधन हो, और संविधान का संशोधन करने का प्रश्न न भी उठे, धारा १६९ के अनुसार उसको बनाया जाय तो भी एलेक्शन (निर्वाचन) के बाद पार्लियामेंट (संसद्) के सामने और बहुतसे काम होते है। उनको करनेके बाद कहीं जाकर हमारे यहां के लिये लेजिस्लेटिव कौंसिलका निर्माण हो सकेगा। तो जो उद्देश्य इस विधेयक में भी बताया गया है कि जल्दी से जल्दी इस काम को होना चाहिये, उस दृष्टि से भी आवश्यक है कि जो धारा ३१ थी, जिसको कि अब हटा दिया गया है, उसके स्थान पर इसी वक्त जो संशोधन मेरे द्वारा तथा कुछ और भी माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार कर लिया जाय।

एक दूसरा संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किया है वह धारा ४६ के सम्बन्ध में है। उस में यह बतलाया गया है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन (परिसीमन आयोग) होगा उसके ऐसोशिएट मेम्बर्स (सम्बद्ध सदस्यों) की संख्या पांच रहेगी। हो सकता है कि जिस प्रदेश का क्षेत्रफल थोड़ा हो, छोटा हो, उस के लिये पांच सदस्यों की संख्या काफी है, लेकिन जिस प्रदेश से मेरा संबंध है, मध्य प्रदेश, वह तो इतना विशाल है कि जिसमें चार राज्यों का समावेश है, जब पूर्व में उसका डिलिमिटेशन (परिसीमन) हुआ था तो भोपाल के ऐसोशिएट मेम्बर्स अलग थे, विन्ध्य प्रदेश के अलग थे, मध्य भारत के अलग थे और मध्य प्रदेश के अलग थे। उनके स्थान पर अब केवल पांच सदस्य लेना, और वह पांच सद य ही इतने बड़े प्रदेश की कांस्टिटुएंसीज (निर्वाचन क्षेत्र) का निर्माण करें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। तो इस दृष्टि से कि वे अधिक से अधिक सहयोग कमीशन को दे सकें और जो कांस्टिटुएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) बनाई जायें उनसे भी उन का सम्बन्ध हो, पूर्ण जानकारी हो, इससे यह बहुत जरूरी है कि यह सदस्य संख्या बढ़ाई जाय। जल्दी ही एलेक्शन होने वाला है, उसमें जल्दी काम हो, इसके लिये हमें सदस्यों के अधिक से अधिक सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं ने जो संशोधन रखा है उसका तात्पर्य यह है कि ऐसोशिएट मेम्बर्स की संख्या बढ़ा कर ९ कर दी जाय।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं इस विधेयक में है कि जोनल कौंसिल की सीट कहां होगी, इसके बारे में कौंसिल ही तय करेगी। मेरा सुझाव यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश को ही ले लीजिये तो यह प्रदेश चार राज्यों को लेकर बना है, उसमें भोपाल का कैपिटल (राजधानी) भोपाल था, विंध्य प्रदेश का कैपिटल रीवा था, मध्य भारत का कैपिटल नगर ग्वालियर और इन्दौर थे। जो यह कैपिटल के स्थान रहे हैं, अब नहीं रहेंगे, उनमें एक बड़ी परेशानी है, बेचैनी है, एक भोपाल को तो सन्तोष है, क्योंकि वहां पर कैपिटल रहने वाला है, नये मध्य प्रदेश का, लेकिन ग्वालियर में बहुत ज्यादा परेशानी है। जब महाराष्ट्र का कैपिटल बम्बई को नहीं रखा गया तो उसकी शिकायत की जाती है कि वहां के कितने ही सरकारी कर्मचारियों को हटना पड़ेगा। यही बात ग्वालियर के लिये

[श्री रा० च० शर्मा]

है, आज ग्वालियर के रहने वाले बहुत से कर्मचारियों को अपने घर छोड़ कर जाना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी गवर्नमेंट सेक्रेटेरियट (सरकारी सचिवालय) में है और उसकी पत्नी कहीं पर अध्यापिका है, अथवा किसी और जगह पर काम करती है, तो उनमें से एक तो वहीं पर रह जायगा और दूसरा वहाँ से अलग चला जायेगा। जो कठिनाई बम्बई के लिये अनुभव की जाती है जिसके लिये इतना बड़ा एजिटेशन किया गया, वही बात ग्वालियर पर लागू होने वाली है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो ऐसे स्थान हैं, जैसे ग्वालियर, वहां की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये, वहां की ऐक्टिविटीज किसी प्रकार भी कम नहीं होनी चाहिये, और असन्तोष नहीं बढ़ने देना चाहिये। इसके लिये आपको प्रयत्न करना चाहिये। गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन भी दिया है कि इस समय जो नगर राज्यों के कैपिटल हैं और आगे नहीं रहने वाले हैं उनकी उन्नति का ध्यान रखा जायेगा तो मेरा यह सुझाव है कि जो जोनल कौंसिल (प्रादेशिक परिषद्) की सीट हो, वह ग्वालियर जैसे स्थान पर ही होनी चाहिये क्योंकि वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के मध्य का स्थान है। दूसरी बातें भी कही जा सकती हैं जिनका इस विधेयक से सीधा संबंध नहीं है, जैसे कि वहां पर पी० एम० जी० का आफिस जाय, एकाउंटेंट जनरल (महालेखापाल) का आफिस जाय, लेकिन चूंकि इस विधेयक में केवल जोनल कौंसिल का ही प्रश्न आया है, इसलिये मेरा सुझाव है कि वह वहां जरूर होना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयिंकील) : मेरे संशोधन की संख्या ४८८ है। इसका अभिप्राय यह है कि नये केरला राज्य में उन सदस्यों की, जो राष्ट्रपति की विधान सभा के विघटन संबंधी उद्घोषणा से पहिले त्रावनकोर-कोचीन में मिलाये गये क्षेत्र, जिसमें अब मद्रास में मिलाया जाने वाला क्षेत्र नहीं है, के प्रतिनिधि थे, नई विधान सभा के बनने तक केरला विधान सभा बनाई जाय। इस संशोधन के साथ मैं ने एक परन्तुक भी रखा है जिसमें उल्लिखित है कि वे सदस्य, जो आजकल त्रावनकोर-कोचीन में मिले हुए उस भाग के प्रतिनिधि थे जो इस विधेयक के अन्तर्गत मद्रास में मिलाया जा रहा है, मद्रास विधान सभा के सदस्य अवश्य रहने दिये जाय।

आपको याद होगा कि पिछली बार यह सवाल उठाया था कि हमें सभा में प्रतिनिधान संबंधी विधि पारित करने का अधिकार है परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री अच्युतन ने कहा था कि यह एक अवास्तविक बात है क्योंकि वह जानते हैं नये केरला राज्य में उनके दल के लिये अपनी सत्ता बनाने की कोई संभावना नहीं है। श्री अ० म० थामस ने स्वयं मुझसे कहा था कि यह बात संयुक्त समिति में उठाई गई थी। परन्तु मेरा निवेदन है कोई भी बात इस सभा को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोकती। यदि आप अनुच्छेद ४ के अन्तिम भाग पर ध्यान दें, तो आपको यह उपबन्ध मिलेगा कि "जहां जिन के अन्तर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के, संसद् या विधान मंडल या विधान मंडलों में, प्रतिनिधित्व के बारे में उपबन्ध भी हैं"। यहां हम ऐसी ही विधि पारित कर रहे हैं और इसका प्रभाव केरला राज्य पर पड़ता है। मेरा अभिप्राय यह है कि यदि ऐसी विधि से कोई राज्य प्रभावित होता है, तो इस सभाको विधान सभा में प्रतिनिधान संबंधी कोई भी विधि पारित करने का अधिकार है।

एक तर्क यह दिया जाता है कि अब वहां राष्ट्रपति का शासन है, अतः पुनः सदस्यता दिलाना इस सभा के अधिकार में नहीं है। परन्तु राष्ट्रपति का विधान सभा को विघटित करने का आदेश भी अनुमोदन के लिये इस सभा में आता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के आदेश के मामले में भी राष्ट्रपति को नहीं अपितु इस सभा को सर्वोच्च प्रधिकार हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस बात पर गंभीरतापूर्ण विचार करें। कदाचित दूसरी ओर से दूसरा तर्क यह दिया जा सकता है कि क्योंकि राष्ट्रपति ने विधान सभा के विघटन का यह आदेश दे दिया है, इसलिये उसे दोबारा बनाना इस सभा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। मैं चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री और श्रीमान आप भी इस बात पर विचार करें कि नया केरला राज्य बनाने के बाद परिस्थिति क्या होगी। आप त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति का शासन करके उसे किसी भी समय मद्रास और करनाटक राज्य के किसी

†मूल अंग्रेजी में

भाग पर लागू नहीं कर सकते। संविधान के अन्तर्गत ऐसा करना असम्भव है। यह सभा या राष्ट्रपति केरला के होने वाले राज्यपाल को यह उच्चादेश नहीं दे सकता कि वह भार संभालते ही यह प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे कि उसे यह आशा नहीं है कि संविधान अनुसार बनी व्यवस्था कार्य कर सकेगी। और फिर यह तो उच्चादिष्ट बात है कि राष्ट्रपति केवल ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही आदेश दे सकता है कि अचानक ही गड़बड़ी हो गई है और सरकार विधि अनुसार कार्य नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मुझे इस संविधान का कोई भी ऐसा उपबन्ध दिखायें जो राष्ट्रपति को एक राज्य से एक जिला लेने का और नये राज्य के बनने पर उस जिले पर अपना शासन लागू रखने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, वह मुझे ऐसा भी कोई उपबन्ध दिखायें कि जिसमें उल्लेख हो कि राष्ट्रपति के आदेश देने के कारण इस सभा को ऐसी विधि पारित करने का अधिकार नहीं रहता है जिससे हम विधान सभा में प्रतिनिधान के बारे में विनिश्चय कर सकें। वास्तव में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। सरकार के लिये केवल एक ही रास्ता है कि यदि सरकार संविधान में उपबन्धित मूल अधिकार देना ही चाहती है, तो त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा की सदस्यता पुनः दी जाय। उस भाग, सदस्यों को, जो अब मद्रास में मिलाया जा रहा है, मद्रास विधान सभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाना चाहिये, ताकि बाद में त्रावनकोर-कोचीन के वर्तमान सदस्य और मलाबार जिले के सदस्य मिलकर सामान्य निर्वाचन होने तक विधान मंडल का कार्य कर सकें।

†**श्री ले० जो० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं नये खंड ३१ क का समर्थन करता हूं।

हमने महाराष्ट्र के प्रति द्वेषभाव के बारे में तो बहुत कुछ सुना है। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ वास्तविकता है। यदि कुछ द्वेषभाव है तो यह केवल राज्य क्षेत्रों के साथ है। इन राज्य-क्षेत्रों के लोग लोकतन्त्रात्मक अधिकारों और लोकतन्त्रात्मक सरकार बनाने के लिये लड़ रहे हैं। हमें निर्वाचित विधान मंडल बनाने देने में क्या हानि है? भारत के इन राज्य-क्षेत्रों के लोगों को अपने कामों की व्यवस्था स्वयं करने दीजिये। यदि कोई महत्वपूर्ण विधि आदि है तो उन्हें उस पर अपने स्थानीय विधान मंडल में विचार करने दीजिये। वह इस संसद् में क्यों आये? मनीपुर और त्रिपुरा के लोग विधान मंडल की बहुत वर्षों से मांग कर रहे हैं। डा० काटजू ने जब कि वह गृह-कार्य मंत्री थे, आश्वासन दिया था कि आयोग की खोजों के परिणाम विदित होने के पश्चात् मनीपुर के लोगों के लिये लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा तथा इसके पक्ष में विचार किया जायेगा। अब विधेयक हमारे सामने है और संयुक्त समिति भी इस पर विचार कर चुकी है। परन्तु संयुक्त समिति ने उपबन्धों में संशोधन नहीं किया है ताकि इन राज्य-क्षेत्रों के लोगों को लोकतन्त्रात्मक सरकार दी जा सके।

इन राज्य-क्षेत्रों में लोकतन्त्रात्मक सरकार क्यों बनाई जाय, इस संबंधमें मैं मनीपुर का उदाहरण दूंगा। इस राज्य के लोगों की भाषा और संस्कृति पड़ौसी राज्यों से भिन्न है। उन्हें बनाये रखने के लिये स्वायत्तशासी सरकार का होना आवश्यक है। आसाम के एक माननीय सदस्य ने मनीपुर को आसाम में मिलाने के बारे में कहा था। मैं फिर कहता हूं कि आसाम में एक लाख से अधिक मनीपुरी हैं और वे आसाम सरकार से मांग करते रहे हैं कि उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ने की सुविधा दी जाय, परन्तु उनकी मांगें आसाम सरकार ने अस्वीकृत कर दी हैं। आसाम राज्य में अल्पसंख्यकों की ऐसी स्थिति होते हुए यह विचार करना बकवास और अविचारणीय है कि हमारा राज्य आसाम में मिला दिया जाना चाहिये।

सरकार के सामने मैं यह बात रखना चाहता हूं कि भाग 'ग' राज्यों को जिन्हें अब 'राज्य-क्षेत्र कहा जाता है को कुछ लोकतन्त्रात्मक प्रशासन दिया जाना चाहिये। उन्हें लोकतन्त्रात्मक सरकार बनाने देनी चाहिये। हम पूर्णरूपेण विधान मंडल नहीं चाहते अपितु हम राज्य क्षेत्रीय निर्वाचित विधान परिषद चाहते हैं, ताकि स्थानीय कार्यों की व्यवस्था स्वयं वे लोग कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३ में निम्नलिखित निम्न संशोधनों को प्रस्तुत करने की इच्छा सदस्यों द्वारा प्रकट की गई है :

खण्ड संख्या	संशोधन की संख्या
१७	८८
१८	८९, ९०, ११९
१९	४९४
२१	४९५, १२१, १२२
२३	४९६, ४९९, ५००, ५०१
३१क (नया)	४८८
३५	१७६, ४९७
४५	१७७
४६	१७८ (३४ के समान) १८१, १८२
तृतीय अनुसूची	४९८

सदस्यों द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गय :

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
खन्ड १७—क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना	
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी (मैसूर)	८८
खन्ड १८—परिषदों का गठन	
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी	८९, ९०, ११९
खन्ड १९—परिषद की बैठकें	
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४९४
खन्ड २१—परिषद के कर्मचारी	
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४९५
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी	१२१, १२२
खन्ड २३—परिषद कें कृत्य	
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४९६
श्री मोहन लाल सक्सेना	४९९, ५००, ५०१
नया खंड ३१ क	
श्री वें० प० नायर	४८८
खन्ड ३५—महाराष्ट्र विधान परिषद	
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी	१७६
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४९७
खन्ड ४५—आयोग के कर्तव्य	
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी	१७७

खन्ड ४६—सह सदस्य

श्री म० शि० गुरुपादस्वामी : मेरा संशोधन संख्या १७८ श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ३४ के समान है। मैं संख्या १८१ और १८२ प्रस्तुत करूंगा।

इसके पश्चात् श्री गुरुपादस्वामी ने संशोधन संख्या १८१, और १८२ प्रस्तुत किये।

तृतीय अनुसूची

श्री र० द० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ६० में पंक्ति १३ से २६ के स्थान पर निम्नलिखित अंश रखा जाये :

"१. आंध्र प्रदेश	४५	३१५
२. आसाम	१२	१०८
३. बिहार	५७	३४२
४. गुजरात	२३	१६१
५. केरल	१९	१३३
६. मध्य प्रदेश	३७	२९६
७. मद्रास	४२	२१०
८. महाराष्ट्र	४१	२४६
९. मैसूर	२७	१८९
१०. उड़ीसा	२१	१४७
११. पंजाब	२३	१६१
१२. राजस्थान	२३	१८४
१३. उत्तर प्रदेश	८९	४४५
१४. पश्चिम बंगाल	३५	२४५"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री रिशांग किशिंग कल बाहर जा रहे हैं, इसलिये आज उन्हें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

†**श्री रिशांग किशिंग :** मेरा संशोधन संख्या ४४८ है, जिसके द्वारा एक नया खंड ३१ क को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

इस विधेयक के द्वारा भारत सरकार दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्यों के विधान मंडलों को समाप्त कर देना चाहती है।

मनीपुर राज्य में बहुत पहले से ही एक विधान मंडल था, पर उसे १५ अक्टूबर, १९४९ को समाप्त कर दिया गया था, और वहां की जनता तभी से विधान मंडल की पुनः स्थापना के लिये आन्दोलन कर रही है।

त्रिपुरा में भी विधान मंडल की मांग की जाती रही है।

डा० काटजू ने दिसम्बर १९५४ में लोक-सभा को आश्वासन दिया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन को लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाते ही मनीपुर की समस्या पर पूरे तौर से विचार किया जायेगा और जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रिशांग किशिंग]

इन चारों राज्यों की जनता और इनके सभी राजनीतिक दल जनता द्वारा चुने हुए विधान मंडलों की स्थापना के बारे में एकमत हैं। गत वर्ष भी मनीपुर की जनता ने गृह-कार्य मंत्री के सन्मुख विधान मंडल की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन, इस विधेयक में इस संबंध में इन चारों राज्यों का कोई उल्लेख भी नहीं है। सरकार और संयुक्त प्रवर समिति ने भी उनकी उपेक्षा कर दी है।

प्रधान मंत्री का कथन है कि लोकतंत्र का अर्थ आवश्यक रूप से स्थानीय विधान-सभायें स्थापित करना ही नहीं है। क्या अब वे स्थानीय स्वायत्त शासन और जिले की सीमित स्वायत्तता में विश्वास नहीं करते हैं? हमारे यहां तो प्रत्येक गांव को भी स्व-शासन का लोकतंत्रात्मक अधिकार देने का वायदा किया गया था। प्रत्येक गांव पंचायत राज्य या प्रजा राज्य की मांग भी कर रहा है, फिर इन राज्यों को स्वशासन के अधिकार से वंचित करना स्पष्ट ही एक अन्याय है।

संसद् में इन राज्यों के सदस्यों की संख्या बढ़ा देने से ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। संसद् तो अखिल भारतीय प्रकार की समस्याओं के लिये है, उसमें इन राज्यों की छोटी छोटी समस्याओं पर ब्योरेवार विचार नहीं किया जा सकता है। संसद् में इन राज्यों से संबंधित हमारे प्रश्नों के सीधे उत्तर नहीं दिये जाते हैं। हम संसद के द्वारा अपने सभी कष्टों को दूर नहीं कर सकते। इन राज्यों के स्थानीय मामलों के निबटाने का अधिकार और दायित्व स्थानीय जनता को ही सौंपा जाना चाहिये। इससे इस लोक-सभा के समय की भी बचत हो सकेगी।

भारत सरकार को इन चारों राज्यों की ४० लाख जनता को शीघ्र ही ये लोकतंत्रात्मक अधिकार दे देने चाहिये। अगले आम चुनावों के बाद से उनके अपने विधान-मंडल होने चाहिये।

मनीपुर और त्रिपुरा में जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण हैं और उनके अपने निर्वाचन-क्षेत्र भी हैं। वे जनता द्वारा चुने गये थे, पर उन्हें करने के लिये कोई काम नहीं दिया गया है। वे केवल पांच वर्षों में एक बार राज्य सभा के लिये एक सदस्य चुन देते हैं। इसके लिये इतना धन नष्ट करना ठीक नहीं है। मनीपुर और त्रिपुरा के इन ३०-३० सदस्यों को विधान-मंडल के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

मुख्य आयुक्त की सरकार और उसका प्रशासन दोनों ही मनीपुर की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। स्थानीय समस्याओं को स्थानीय व्यक्ति ही अधिक उत्तम रीति से सुलझा सकते हैं।

†**श्री सारंगधर दास :** (ढेंकनाल–पश्चिम–कटक) : मैं श्री रा० ना० सिंह देव के संशोधन संख्या १४५ का समर्थन करता हूं। शायद उसे प्रस्तुत किया गया मान लिया गया है। वह एक नये खंड २४(क) के जोड़े जाने के संबंध में है।

यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने उड़ीसा के मामले की बिलकुल ही उपेक्षा कर दी है। इस विधेयक की अन्तिम अवस्था में, जोनल (क्षेत्रीय) परिषदों के उपबन्ध का प्रश्न उठेगा। मैं नहीं समझता कि उनसे कोई भी लाभ हो सकेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें। अब हम गैर-सरकारी कार्यक्रम को लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से, जो १ अगस्त, १९५६ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है।"

यह एक बहुत सीधा सा प्रतिवेदन है और आज के लिये रखे गये संकल्पों के लिये समय के संबंध में है। मेरा सुझाव है कि सभा इसे स्वीकार करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से, जो १ अगस्त, १९५६ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा २० जुलाई, १९५६ को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर अग्रेतर विचार करेगी।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया-पूर्व) : मैंने इस संकल्प में दो सुझाव रखे हैं। पहला तो यह कि संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसके सहायक निकायों में एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये, और दूसरा यह कि सयुंक्त राष्ट्र संगठन और उसके सहायक निकायों के सभी प्रतिनिधि बालिग मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा चुने जायें, संबंधित सरकारें उन्हें नाम निर्देशित न करें। पहला सुझाव दूसरे सुझाव में उपलक्षित है, क्योंकि लोकतंत्र में समान जन संख्या को समान संख्या में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। गोरी जातियों को अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होना लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। गोरी जातियों को हमसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। भयभीत तो हमें होना चाहिये जिनका कि सदियों से शोषण होता आया है। पश्चिम के विभिन्न देशों में कई-कई जातियां एक साथ रहती हैं पर उनमें से किसी का भी किसी पर प्रभुत्व नहीं होता है।

संयुक्त राष्ट्र संगठन के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का एक संगठन बनते ही, उसकी सम्पूर्ण प्रभुता विभाजित हो जायेगी और वह लोकतंत्रात्मक आधार पर एक फेडरल सरकार की भांति हो जायेगा।

विश्व शांति और जातीय समानता के पक्ष में होने के कारण ही मैं विश्व सरकार के पक्ष में हूं। हाल में, प्रधान मंत्री ने कहा था कि उद्जन बम से छटकारे का एक ही मार्ग है और वह है एक विश्व।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं इसका समर्थन करता हूं। राष्ट्रों के आधार पर बने हुए राज्य ही युद्ध का कारण होते हैं।

युद्ध का मूल कारण विभिन्न सम्पूर्ण प्रभुताओं का अवश्म्भावी टकराव ही होता है। साम्यवाद या पूंजीवाद नहीं। इस विस्फोट को रोकने का एक ही मार्ग है—समय रहते एक विश्व संगठन की स्थापना।

विभिन्न देशों के निवासियों के राष्ट्रीय जातीय, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव केवल तभी हिंसापूर्ण युद्ध में परिणित होते जब कि उनके पीछे अलग अलग सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शक्तियां होती हैं, अन्यथा उनके इन सभी मतभेदों का निबटारा बिना युद्ध के भी किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

प्रधान मंत्री का तात्पर्य यही था कि उद्जन बम का एक मात्र उत्तर निःशस्त्रीकरण नहीं अपितु विश्व राज्य ही है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के संसार की प्रतिरक्षात्मक शक्तियों का पूर्ण अभिरक्षक बनाये जाने पर ही, राष्ट्रों के आधार बने हुए राज्य निःशस्त्रीकरण करेंगे। राजनीतिक समस्या का सैनिक आधार पर समाधान नहीं किया जा सकता। संसार की वर्तमान समस्या राजनीतिक है, और उसका राजनीतिक आधार पर ही समाधान किया जा सकता है।

प्रधान मंत्री के वक्तव्य का यही अर्थ है कि पंचशील या अन्तर्राष्ट्रीय आचारों की किसी भी संहिता का स्वीकार किया जाना ही विश्व राज्य की स्थापना की पहली शर्त है। आप संसार की गतिविधि को किसी एक स्थान पर रोक नहीं सकते। हमें दो में से एक किसी विकल्प को चुनना ही पड़ेगा—युद्ध या विश्व राज्य। और यह इसी समय किया जा सकता है, क्योंकि आण्विक युद्ध का खतरा इस समय हमारे सिरों पर मंडरा रहा है।

प्रधान मंत्री के कथन का आशय यह है कि विश्व राज्य ही एक मात्र विकल्प है ; कोई अन्य मार्ग नहीं है।

उनके कथन का अर्थ यही है कि तटस्थ राष्ट्रों का एक तीसरा गट बना कर हम शांति की रक्षा नहीं कर सकेंगे ; वह तो केवल विश्व राज्य की स्थापना के द्वारा ही की जा सकती है। राजनीतिज्ञता इसी में है कि दो बड़े गुटों को एक किया जाये, उनको और अधिक विभाजित न किया जाये। द्वितीय विश्वयुद्ध ने एक अच्छा कार्य यही किया कि उसने संसार को दो बड़े-बड़े गुटों में बांट दिया अब उनको एक में मिलाना ही इतिहास को आगे ले जाना होगा।

प्रधान मंत्री के वक्तव्य से एक और भी बात निकलती है कि आण्विक युद्ध का भय दिखाकर अधिक दिनों तक शांति की रक्षा नहीं की जा सकती है। इतिहास की गति तो रोकी नहीं जा सकती है, और यदि हम युद्धों की संभावना को समाप्त कर देते हैं तो हमें मानव समाज में परिवर्तन करने का कोई अन्य उपाय खोजना पड़ेगा, अन्यथा विश्व की प्रगति रूक जायेगी। यह नया उपाय एक विश्व राज्य की स्थापना ही है।

यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र का पुनरीक्षण नहीं किया जाता है तो फिर क्या होगा ? किसी भी प्रकार का युद्ध हो सकता है, और यदि यह भी नहीं होता है तो फिर दक्षिण-पूर्व एशिया अमरीका के प्रभाव में चला जायेगा और मध्यपूर्व एशिया रूस के प्रभाव में; और केवल यूरोप में यथापूर्व स्थिति बनी रहेगी।

एक और भी चीज़ हो सकती है कि भारत, रूस और चीन को मिला कर एक फेडरल संघ स्थापित किया जाये। उस स्थिति में तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र के पुनरीक्षण की मांग को कोई भी नहीं ठुकरा सकेगा। फिर कोई युद्ध भी नहीं हो सकेगा और फिर कभी भी अमरीका और रूस के बीच कोई राजनीतिक समझौता भी नहीं होगा, क्योंकि विश्व राज्य के आधार पर किया जाने वाला कोई भी राजनीतिक समझौता अफ्रीकी और एशियाई काली और अश्वेत जातियों के लिये ही वांछनीय है।

विश्व राज्य की स्थापना दो प्रकार से की जा सकती है—या तो एक ही बार में ही, या फिर क्रमशः। भारत, चीन और रूस को मिला कर एक फेडरल संघ की स्थापना से विश्व राज्य की स्थापना क्रमशः हो सकेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र के पुनरीक्षण द्वारा एक ही बार में की जा सकती है।

लेकिन, यदि रूस और चीन भारत के साथ एक फेडरल संघ बनाने से इन्कार करते हैं, तो भारत को समूचे एशिया और अफ्रीका को धीरे धीरे एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिये।

सीरिया और मिस्र का एक फेडरल संघ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम भी दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य पूर्व एशिया और भारत का फेडरल संघ बनाये जाने की संभावनाओं की खोज कर सकते हैं। संसार के वर्तमान राजनीतिक शून्य की पूर्ति केवल विश्व राज्य ही कर सकता है।

आजकल संयुक्त राष्ट्र संगठन में एशिया और अफ्रीका को पूरा पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। अमरीका की कुल जनसंख्या ३५ करोड़ ४० लाख है और उसके २२ प्रतिनिधि हैं। इस हिसाब से तो एशिया के ८५ और अफ्रीका के १३ प्रतिनिधि होने चाहिये। आज की तरह २० और ५ नहीं।

यूरोप की कुल जनसंख्या ५७ करोड़ ६२ लाख २४ हजार है और उसके २७ प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं। इस हिसाब से तो भारत और अफ्रीका के ६४ और १० प्रतिनिधि होने चाहिये; और उत्तरी अमरीका के १२ के स्थान पर ११, दक्षिणी अमरीका के १० के स्थान पर ६ और आस्ट्रेलिया का २ के स्थान पर एक भी प्रतिनिधि नहीं होना चाहिये।

संसार की कुल जनसंख्या २५,८०० लाख है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ७६ देशों के प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक ३,३२,६३,१५८ लोगों के पीछे एक प्रतिनिधि है। इस आधार पर एशिया के ४१, यूरोप के १७, अफ्रीका के ७, उत्तरी अमरीका के ७, दक्षिणी अमरीका के ३ और आस्ट्रेलिया का एक भी प्रतिनिधि नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का २० जुलाई, १९५६ का संकल्प प्रस्तुत किया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तीनों संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा झालावाड़) : श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने जिस संकल्प को प्रस्तावित किया है वह बड़ा अवास्तविक और अव्यवहार्य है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में सुधार नहीं होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र के उपबन्धों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

उनका यह कहना ठीक नहीं है कि संकल्प के दो भाग हैं : संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की सख्या वहां की जनसंख्या के अनुपात से होनी चाहिये और संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र के पुनरीक्षण का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने अपने भाषण में विश्व राज्य की स्थापना पर ही अधिक ज़ोर दिया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र का पुनरीक्षण करने से ही एक विश्व राज्य स्थापित किया जा सकता है। यदि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास पढ़ा होता तो उनकी भी यही धारणा होती। संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल के नेता, श्री हैराल्ड मैकमिलन ने भी सॉन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर यही कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है।

अधिकार-पत्र का पुनरीक्षण कैसे किया जा सकता है? सॉन फ्रांसिस्को सम्मेलन में बहुत से राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये थे। श्री कृष्ण मेनन ने कहा था कि अधिकार-पत्र का पुनरीक्षण केवल पारस्परिक समझौते से ही किया जा सकता है और यदि समझौता हो जाये तो पुनरीक्षण की आवश्यकता ही क्या है।

श्री हैराल्ड मैकमिलन और श्री मोलोटोव ने भी इसी प्रकार की राय व्यक्त की थी। श्री मोलोटोव ने कहा कि अधिकार-पत्र के आधारभूत उपबन्धों में परिवर्तन करने से विश्वास बढ़ने की बजाये कम होगा और मैं समझता हूं कि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद अपने संकल्प द्वारा ही यही करने जा रहे हैं। कुछ एक राष्ट्रों के अतिरिक्त सभी का विचार यह था कि अधिकार-पत्र का पुनरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अधिकार-पत्र के पुनरीक्षण का प्रश्न महासभा (जनरल असेम्बली) के गत सत्र में उठाया गया था और इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी जो बारहवें सत्र में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। गत वर्ष प्रधान मंत्री मेरे एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इस समय अधिकार-पत्र के पुनरीक्षण की कोई बात नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कासलीवाल]

उन्होंने यह भी बताया था कि वीटो के अधिकार के उत्सादन बारे में भी विचार नहीं किया जायेगा। अधिकार-पत्र के पुनरीक्षण के बारे में विभिन्न राष्ट्रों में यह विचार है और माननीय सदस्य यह सोच रहे हैं कि पुनरीक्षण मात्र से ही विश्व राज्य स्थापित किया जा सकेगा। परन्तु यह असम्भव है। अधिकार-पत्र का उद्देश्य कभी भी विश्व राज्य स्थापित करना नहीं था।

यदि यह उपेक्षित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीका और एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात से लिये जायें तो सभी राष्ट्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों न किया जाये ? इस प्रकार के संकल्प से राष्ट्रों का विश्वास नहीं बढ़ सकता है बल्कि इस से तो अविश्वास ही पैदा होगा। यदि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने अधिकार-पत्र को अनुच्छेद ३ और ४ को पढ़ा होता तो वह कभी भी इस प्रकार का सुझाव न देते क्योंकि विभिन्न देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं न कि वहां की जनता।

विश्व राज्य की स्थापना के विचार को सामने रखते हुए ही प्रतिनिधियों के वयस्क मताधिकार से चुने जाने का सुझाव दिया गया है ! उनका यह वक्तव्य कि छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर शासन करें, बड़ा ही विचित्र था, इसके मूल में कोई नैतिक और लोकतन्त्रात्मक भावना नहीं है। न जाने उन्हें यह ख्याल कैसे आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ देशों पर शासन करता है। वह तो किसी पर भी शासन नहीं करता है। यदि उन्होंने अपने संकल्प में यह सुझाव दिया होता कि संसार की समस्त जनता की राय लेकर एक विश्व राज्य की स्थापना की जाये तो वह भी कुछ हद तक ठीक होता परन्तु उन्होंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है और उसके समर्थन में जो भाषण दिया है उससे कोई लाभ नहीं होगा।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद): मैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संकल्प का विरोध करता हूं। मैं उनके इस संकल्प को प्रस्तुत करने के उद्देश्य और उनके भाषण के आशय को नहीं समझ सका हूं विश्व राज्य की स्थापना के प्रश्न पर तो उनसे सभी लोग और संभवतः सरकार भी सहमत होगी परन्तु यह किस प्रकार स्थापित किया जायेगा इस बारे में हमें वह विश्वास नहीं दिला सके हैं।

अधिकार-पत्र के पुनरीक्षण के बारे में श्री कासलीवाल उपयुक्त उत्तर दे चुके हैं और हमारे प्रधान मंत्री भी कई बार इस विषय पर प्रकाश डाल चुके हैं कि यह पुनरीक्षण राष्ट्रों में समझौता करने के लिये हीं अपेक्षित है और यदि समझौता हो जाये तो पुनरीक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अतः इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता और इसको उठाने से कोई लाभ नहीं होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सचिवालय में एशियाई लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न वास्तव में काफी महत्व रखता है और हमारे प्रतिनिधि मंडलके नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार यह प्रश्न उठाया भी है और हमारी यह शिकायत मान भी ली गई है कि एशियाई देशों के स्तर के अनुसार और उनकी जनसंख्या के अनुपात से उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हाल ही में भारत के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया है, परन्तु अमरीका, फ्रांस और योरुप के अन्य देशों की तुलना में यह पर्याप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र स्थिति भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता को इसके बढ़ाये जाने के लिये आग्रह करना चाहिये। अतः यह महत्वपूर्ण बात है।

मैं अनुभव करता हूं कि इस देश की जनता और संसद सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य संचालन में बहुत कम अभिरुचि लेते हैं और उनका ज्ञान बहुत कम है। वियना में हुए अन्तर्संसदीय सम्मेलन में भी यह प्रश्न उठाया गया था और यह संकल्प पारित किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल सरकारी पदाधिकारियों को प्रतिनिधियों के तौर पर भेजने की बजाये संसद सदस्यों को भेजा जाये। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। मेरा सुझाव है कि एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जो संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबंधित अन्य संस्थाओं के कार्यसंचालन का ब्योरे की जानकारी प्राप्त करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं परन्तु मैं इसे प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तावक महोदय को इसलिये धन्यवाद देता हूं कि हम इस विषय पर चर्चा कर सके हैं। और श्री कृष्ण मेनन से संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम) : प्रस्तावक से मैं केवल इस बात पर सहमत हूं कि संसार ने उन सभी राष्ट्रों को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, उक्त संस्था में सम्मिलित कर लिया जाये, अधिकार-पत्र का पुनरीक्षण आवश्यक है या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रणाली के बारे में प्रत्येक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न देश को स्वयं ही निर्णय करना चाहिये। इसके लिये किसी देश को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह वयस्क मताधिकार से ही प्रतिनिधियों का निर्वाचन करे। यह आदर्शप्रणाली अवश्य हो सकती है परन्तु विभिन्न राष्ट्रों को इसे मानने के लिये हम बाध्य नहीं करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी और एशियाई देशों के प्रतिनिधि वहाँ की जनसंख्या के अनुपात से लिये जाने के बारे में जो दलील दी गई ह मैं उसे व्यवहार्य नहीं समझता हूं क्योंकि फिर तो प्रत्येक देश के लिये यही सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश और राष्ट्र हैं न कि वहां की जनता और वे इसी सिद्धांत के आधार पर इसके सदस्य बनते हैं कि चाहे वे छोटे हों या बड़े उन्हें एक समान समझा जायगा और प्रत्येक को एक मत देने का अधिकार होगा इस सिद्धांत का पुनरीक्षण करने के लिये छोटे देश कदापि राजी नहीं होंगे। भारत की जनसंख्या ब्रिटेन से सात गुना है इसलिये भारत के सात प्रतिनिधि हों और ब्रिटेन का एक, इसे तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। मेरा विचार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तभी ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है जब कि प्रत्येक देश को एक मत देने का अधिकार प्राप्त हो।

उन्होंने जो और दो सुझाव दिये हैं उन से ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को गलत समझा है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : बर्नार्ड शा ने अपनी एक पुस्तक में कहा है कि व्यवहारिक व्यक्ति को यह पता होता है कि वह कहां है पर उसे यह पता नहीं होता कि वह कहां जा रहा है। जब कि विचारकों को यह पता होता है कि वह कहां जा रहे हैं। किन्तु उन्हे यह पता नही होता कि वह कहां है मुझे मालूम नहीं है कि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद, जिन्होंने कि इस संकल्प को प्रस्तुत किया है, किस कोटि के व्यक्ति हैं। यद्यपि मैं इस संकल्प का समर्थन नहीं करता हूं तथापि मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र के विभिन्न खंडों पर विचार किया जाने के प्रश्न को सभा के समक्ष उठाया है।

मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार कई मामलों पर हमें फिर से विचार करके उनमे संशोधन करने की आवश्यकता बताई गई है।

पहली बात तो यह है कि सॉन फ्रांसिस्को अधिकार-पत्र के निर्माताओं की बैठक अप्रैल १९४५ में हुई थी जब कि महायुद्ध चल ही रहा था। उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में बहुत अन्तर है। उस समय अणुबम और उद्जन बम की कल्पना भी नहीं की गयी थी अतः इनके प्रयोगों तथा परीक्षणों पर रोक लगाने के लिये अधिकार-पत्र के निर्माताओं ने कोई भी व्यवस्था नहीं की।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र की दूसरी विशेषता वीटो प्रणाली है। यह प्रणाली इस अधिकार-पत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। सॉन फ्रांसिस्को में जब यह सम्मेलन हुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि लीग ऑफ नेशन्स एक अव्यवहारिक संस्था ह क्योंकि शांति बनाये रखने का उत्तरदायित्व महान शक्तियों पर नहीं छोड़ा गया था। अब उनका विचार था कि शांति बनाये रखने का उत्तर-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० शि० गुरुपादस्वामी]

दायित्व पांच महान् शक्तियों के साथ में सौंपा जाय, अतः इन महान शक्तियों को इस महान उत्तर-दायित्व को निभाने के लिये वीटो का अधिकार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस वीटो का बड़ा महत्व है। सुरक्षा परिषद् में वीटो अधिकार दस सदस्यों के निश्चय से भी अधिक मूल्य रखता है।

हमने देखा कि कई बार इन महान शक्तियों ने वीटो का उपयोग मनमाने ढंग से किया, दूसरे हम यह भी देखते हैं कि सॉन फ्रांसिस्को वाले सम्मेलन में जो पांच बड़ी शक्तियां थीं उनमें से एक आज सुरक्षा परिषद में नहीं है। चीन के स्थान पर फ़ारमोसा को ले लिया गया है। ऐसी अवस्था में हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि यदि वीटो शक्ति को इसी प्रकार बनाये रखना है तो कम से कम चीन को तो सुरक्षा परिषद का सदस्य अवश्य बनाया जाना चाहिये क्योंकि फ़ारमोसा चीन का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं वीटो अधिकार के विरूद्ध हूं क्योंकि इसके अनुसार पांच बड़े देशों को महान शक्तियां प्रदान की गयी हैं और वह अपने मनमाने ढंग से संसार पर राज्य कर सकते हैं। और चूंकि इन महान देशों में कभी भी एकता नहीं रही है अतः संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। मैं जानता हूं कि सॉन फ्रांसिसको सम्मेलन में इस वीटो के प्रश्न को लेकर कितना वादविवाद हुआ था। लोगों ने बड़े अनमने ढंग से इस अधिकार को माना था। अतः स्पष्ट है कि यह सिद्धांत अप्रजातंत्रात्मक ढंग से बनवाया गया था।

परन्तु अब स्थिति बदल चुकी है। बड़ी शक्तियों को जो उत्तरदायित्व सौंपा गया था उन्होंने उसे अच्छी तरह से नहीं निभाया है। मेरा विचार है कि हमें सर्वसम्मति के सिद्धांत को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

उपनिवेशवाद की बात भी आज पुरानी हो चुकी है और अधिकार-पत्र में इसका अनुमोदन नहीं किया गया है परन्तु प्रन्यासी परिषद (ट्रस्टीशिप कौंसिल) का निर्माण करके इसमें परोक्ष रूप से उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन किया गया है। यह उपबन्ध लीग आफ नेशन्स की परमादेश पद्धति जैसा ही है जिसका हमें पहले ही बहुत बुरा अनुभव हो चुका है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र से उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिलता है और संयुक्त राष्ट्र संघ दक्षिण अफ्रीका जैसी अधिदेशक शक्तियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

इस बात के अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र महासभा केवल एक वाद-विवाद की संस्था बन कर रह गई है। राजनीतिक दृष्टि से, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने में असफल रहा है। आक्रान्ती राज्यों पर, जो युद्ध लड़ रहे हैं या विश्व में तनाब पैदा कर रहे हैं नियन्त्रण नहीं कर सका है।

इसने किसी भी मुख्य समस्या को हल नहीं किया है, क्योंकि इसका अधिकार-पत्र ही ऐसा है कि उस के अनुसार झगड़ों का निपटारा जल्दी नहीं हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीतिक और आर्थिक कार्यवाही तो कर सकता है, किन्तु आक्रान्ता शक्तियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही नहीं कर सकता है। इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दल नहीं है, जिसके बिना विभिन्न राज्यों की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को रोका जा सके। अधिकार-पत्र में जिस सैनिक स्टॉफ समिति का उल्लेख है, उस के सदस्य केवल पांच बड़ी शक्तियों के बलाधिकृत (चीफ़ आफ स्टॉफ) हैं और वे कभी किसी मामले का निर्णय एकमत से नहीं कर सकते, क्योंकि वे एकदूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। घृणा और अविश्वास की ऐसी स्थिति में इस समिति से कोई लाभ नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र के बहुत से उपबन्ध पुराने हो चुके हैं और हमें इस बात का बहुत खेद है कि यह शांति स्थापित करने का बड़ा साधन नही बन सका है। इसके अधिकार-पत्र के उपबन्धों में युद्ध की कहीं भी अवैध या निषिद्ध घोषित नहीं किया गया है। श्री कृष्ण मेनन कह सकते हैं कि भारत अकेला क्या कर सकता है। ६० राष्ट्र और भी हैं। उन्हें भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि हम अधिकार-पत्र में संशोधन किये जाने के लिये उनमें प्रचार कर सकते हैं।

पर दुर्भाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री इसका संशोधित किया जाना अनावश्यक समझते हैं। भारत सरकार किस प्रकार इस अधिकार-पत्र को ठीक समझती है? यदि वह इसे पूर्ण नहीं समझती ह तो उसे अवश्य इस में संशोधन कराने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं श्री गुरुपादस्वामी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि संयुक्तराष्ट्र संघ अपने कार्य में असफल रहा है। इसने कुछ अत्यधिक प्रशंसनीय काम किये हैं जिन परिस्थितियों में, जिस तनाब के वातावरण में इसने काम किया है, उसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसने अपना कर्तव्य अच्छी तरह पूरा किया है।

मैं समझता हूं कि इसके अधिकार-पत्र को संशोधित करना आवश्यक तो है, किन्तु इस तरह नहीं जिस तरह कि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद चाहते हैं। उदाहरणतया वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अनसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये समूचे विश्व में चनाव नहीं किय जा सकते ह और इससे कोई लाभ भी नहीं होगा।

यह कहना भी उचित नहीं है कि प्रतिनिधियों की संख्या केवल जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाये। निस्संदेह जनसंख्या का पहलू एक महत्वपूर्ण पहलू है, किन्तु इस बात का निणय करने के लिये कि कोई देश या राष्ट्र सदस्य बनने के योग्य है या नहीं, और भी बहुत सी बातों का ध्यान में रखना पड़ता है।

मेरे विचार में जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र में प्रादेशिक संधियों की गुंजाइश है, इसमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। सियोटो, नैटो आदि जैसी संधियां इसलिये की जाती हैं क्योंकि अधिकार-पत्र में इन्हें निषिद्ध नहीं घोषित किया गया है। ऐसे अधिकार-पत्र से क्या लाभ है, जो विश्व शांति स्थापित करने का दावा करते हुए, विश्व के सैनिक आधार पर विभाजित करता हो।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कम विकसित देशों के लिये क्या काम किया है। हमें बताया गया है कि ऐसे देशों के विकास के लिये एक विशेष निधि स्थापित की जा रही है। मेरी राय में यह कार्य संयुक्त राष्ट्र को अपना कर्तव्य समझ कर पूरा करना चाहिये, और केवल उन देशों के प्रति सद्भावना दिखाने के लिये नहीं।

क्या कोई यह कह सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में सब देशों का प्रतिनिधित्व है? हमारे प्रधान मंत्री कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। अब चीन का प्रतिनिधित्व फारमोसा द्वारा किया जा रहा है। यदि अधिकार-पत्र के अनुसार चीन का प्रतिनिधित्व फारमोसा को करने दिया जाता है, तो यह अधिकार-पत्र गलत है और इसमें संशोधन करना आवश्यक है। एक और बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सिफारिशें तो कर सकता है किन्तु अपने निर्णयों को लागू नहीं कर सकता है। क्या आप यह नहीं चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा साधन हो, जो न केवल सिफारिशें करे, बल्कि अपने निर्णयों को लागू भी कर सके? इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, अधिकार-पत्र में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है इस प्रयोजन के लिये सदन की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये,जो पदाधिकारियों की सहायता से इस मामले पर विचार करे और अपने निर्णय दे।

†**श्री श्रीनारायण दास :** सदन श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का आभारी है क्योंकि उनके संकल्प के कारण उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला ह। इस संघ की स्थापना के समय यह अनुभव किया गया था कि दिन प्रति दिन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसलिय अब यह कहना निराधार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र में विभिन्न राष्ट्र प्रतिनिधित्व के संबंध में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री श्रीनारायण दास]

संकल्प में दो बातों की मांग की गई है। एक यह कि एशिया और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाना चाहिये और दूसरा यह कि इस संघ में भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिनिधित्व का तरीका बदलना चाहिये। मैं पहिले प्रस्ताव का समर्थन करता हूं बल्कि मैं समझता हूं कि यह काफी नहीं है। प्रतिनिधित्व के समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

वर्तमान अधिकार-पत्र के अनुसार अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था है, किन्तु यह अधिकार बहुत ही सीमित है। अधिकार-पत्र के संशोधन के बारे में एक विशिष्ट उपबन्ध है कि १० वर्षों में, सदस्य राष्ट्र साधारण बहुमत द्वारा यह निश्चय कर सकते हैं कि सदस्य राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुला कर इस पर पुनर्विचार किया जाय। मैं समझता हूं कि इस मामले पर हमारे सदस्यों को ध्यान देना चाहिये, क्योंकि हम चाहते है कि यह संघ अपना काम अच्छी तरह करे। इस प्रयोजन के लिये मेरा सुझाव यह है कि इस सदन के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये, जो अधिकार-पत्र के उपबन्धों की जांच करे, इस संघ के पिछले दस या बारह वर्षों के काम को देखें और संघ में हमारी ओर से काम करने वाले प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ को बतायें कि हम अधिकार-पत्र मे अमुक संशोधन करना चाहते हैं। यदि भाग लेने वाले राष्ट्र इस निष्कर्ष पर पहुचें कि संशोधन किये जाने की आवश्यकता है तो संशोधन किया जाय।

दूसरे मामले के सम्बन्ध में, एक यह सुझाव दिया गया है कि सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाये। इस बारे में भी, इस सभा के सदस्य अपनी राय प्रकट करें। सदस्यों को संघ के कार्या की जांच करके यह बताया जाना चाहिये कि उसमें कैसे सुधार किया जाये और क्या संशोधन किये जायें। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदय और सरकार दोनों मेरे संशोधन पर विचार करेंगी।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मूल संकल्प और श्री गुरुपादस्वामी के संशोधन पर बोलने के पहिले, मैं उन दो संशोधनों का उल्लेख करना चाहता हूं जो एक समिति की नियुक्ति किये जाने के बारे में हैं।

मान लीजिये कि अधिकार-पत्र में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है, तथापि मेरे विचार से ऐसी किसी समिति को नियुक्त करने से कोई लाभ नहीं होगा। अधिकार-पत्र में संशोधन करने के लिये न केवल हमारे प्रतिनिधियों की, बल्कि सयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अन्य सभी देशों के प्रतिनिधियों की राय जाननी आवश्यक होगी। कारण यह है कि अधिकार-पत्र को विश्व की सभी सरकारों की सहमति से ही सशोधित किया जा सकता है। इस देश में नियुक्त की गई कोई समिति अधिक लाभदायक कार्य नहीं कर सकेगी।

किन्तु मैं एक बात को स्वीकार ही नहीं करता हूं कि अधिकार-पत्र को किसी प्रकार से संशोधित करने की आवश्यकता है। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने दो कारणों से संशोधन की माँग की है पहला यह कि ऐशियाई और अफ्रीकी देशों का जन संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और दूसरा यह कि प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिये। मैं समझता हूं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव की मांग करना एक असाधारण सी बात है, क्योंकि इस संस्था में देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। यदि सरकार और हमारे प्रतिनिधि में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करना असंभव हो जायेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ कोई विश्व राज्य या विश्व संसद नहीं है। इसलिये मेरे विचार में वयस्क मताधिकार का प्रश्न अव्यवहार्य है। प्रतिनिधियों का सरकारी प्रतिनिधि होना आवश्यक है। मैं इस बात को मान सकता हूं कि ये प्रतिनिधि संसद् द्वारा चुने जायें, क्योंकि संसद् सरकार के विचारों को समझ सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा प्रश्न अधिकार पत्र को संशोधित करने का है। इस संबंध में कठिनाई यह है कि हमारा सम्बन्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से है, जिसमें राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का आशय एक संयुक्त संसार से नहीं है। यह विश्व संघ की ससद् नहीं है। किन्तु श्री ब्रजेश्वर प्रसाद चाहते हैं कि अधिकार-पत्र को इस प्रकार संशोधित किया जाये कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व सरकार बन जाये, परन्तु यह एक बिलकुल असंभव बात है।

मेरे विचार में अभी एक विश्व राज्य बनाने का समय नहीं आया है। ऐसा राज्य बनाये जाने से पहले यह आवश्यक है कि विश्व के सभी भागों में सभी राष्ट्रों का दर्जा बराबर हो।

इसके पूर्व कि हम विश्व सरकार की बात सोचे हमें यह निश्चय करना होगा कि संसार के सभी देशों को समानता के स्तर पर लाया जाये। और सभी प्रकार के सैनिक अथवा आर्थिक साधनों सम्बन्धी असमानता को दूर किया जाये ताकि कोई किसी पर प्रभुता स्थापित न कर सके। आज ऐसा क्यों है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का बहुत से राष्ट्रों पर नियंत्रण है। हालांकि सब राष्ट्र स्वतंत्र है परन्तु फिर भी उसके चंगुल से नहीं निकल पाते हैं। इस लिये यदि इस वातावरण में विश्व सरकार स्थापित की जाती है, तो वह शक्तिशाली गुटों की सरकार होगी और सभी छोटे राष्ट्र उसके दबैल हो जायेंगे यदि समय हुआ तो मैं यह भी बताऊंगा कि कब और कैसे ऐसी सरकार की स्थापना हो सकती है, परन्तु वास्तव में यह एक सुन्दर स्वप्न ही है। हमें तो किसी ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की बात सोचनी चाहिये जो कि शांति स्थापित करने का प्रयत्न करे। विभिन्न राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाकर उनमें यह चेतना उत्पन्न की जाये कि उन्हें प्रत्येक अवस्था में शांति स्थापित करनी है, और इस ध्येय की प्राप्ति के लिये जनमत पैदा करना ही सब से बड़ा कार्य है। श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि युद्ध को अवैध नहीं ठहराया गया है, क्योंकि कोई राष्ट्र इसे स्वीकार नहीं करेगा। केवल वही राष्ट्र इसे स्वीकार करेंगे जिसमें युद्ध करने की शक्ति न हो। इसलिये इस प्रकार के पवित्र विचारों से कोई लाभ नहीं होता है।

यह शिकायत की गई है कि अधिकार-पत्र में अणु शस्त्रों पर कोई रोक नहीं लगाई गयी है। वास्तविकता तो यह है कि अधिकार-पत्र के बिना भी संयुक्त राष्ट्र संघ इन पर रोक लगा सकता है, परन्तु यह रोक सदस्य राष्ट्रों की अनुमति के बिना नहीं लगाई जा सकती है। हमारे कहने से तो अमेरिका और रूस अणुशस्त्र बनाने बन्द करेंगे नहीं। राष्ट्रों की अनुमति एक प्रभावशाली जनमत को पैदा कर के ही ली जा सकती है। यह जनमत प्रचार से पैदा होगा, समस्त विश्व में इस बात की चेतना पैदा करनी चाहिये कि चेतना पैदा करनी होगी कि अणुशस्त्रों का बनाना मानव जीवन के विकास में भारी रूकावट है और इस प्रकार यह काम होगा, अधिकार-पत्र में संशोधन करके इस ध्येय की प्राप्ति सम्भव नहीं है।

वीटो के संबंध में कुछ कहा गया है। यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि कोई एक राष्ट्र दस की राय के विरुद्ध वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वीटो का अर्थ यह नहीं है कि अमुक बात की जाये, उसका तात्पर्य तो यह है कि अमुक बात न की जाये। यह उपबन्ध इसलिये किया गया है कि जब भी कभी दो शक्तियों में संघर्श हो जाय तो सर्व सहमति के आधार पर उसका निर्णय किया जाय। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह शक्ति तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी चुनौती दे देगी और किसी भी प्रकार की एकता के स्थापित करना असंभव होगा। उदाहरण के लिये, अमेरिका और रूस अकेले ही कई शक्तियों के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का समय हो चुका है। इसके लिये दो घंटे हैं और वह १५ मिनिट ले चुके हैं।

†**श्री साधन गुप्त :** मैं अभी समाप्त करता हूं श्रीमान्, श्री गुरुपादस्वामी न इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस का उल्लेख किया परन्तु वीटो के बिना यह पुलिस क्या करेगी ? कुछ राष्ट्र मिलकर इसका लाभ उठायेंगे। जो कुछ कोरिया में हुआ वह हमने देखा है और यही बात संसार के विभिन्न भागों में भी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :** संयुक्त राष्ट्र संघ की फिर जरूरत ही क्या है ?

श्री साधन गुप्त : यही तो बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता अपनी सीमा में रह कर शांति स्थापित करने का प्रयत्न करने के लिये है। जब तक कि ऐसा समय न आ जाए और मानव में इतनी चेतना पैदा न हो जाय कि सभी राष्ट्र अपनी अपनी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता को छोड़ कर एक सरकार के नीचे आना स्वीकार न कर लें, तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ को इसी मार्ग पर चल कर मानव में चेतना उत्पन्न करने की कार्य करते रहना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रस्ताव के लिये दो घंटे दिये गये हैं। यदि सदन ने सात बजे तक बैठना स्वीकार न किया तो मुझे खेद है कि उन्हें समय नहीं दिया जा सकेगा। क्या सदन सात बजे बैठना चाहेगा ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं उन्हें केवल पांच मिनिट दूंगा और इसके बाद घंटी बजा दूंगा।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (गोरखपुर जिला–उत्तर) : मैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया। यह प्रस्ताव समय से कुछ पहले है। इसका उद्देश्य एक विश्व सरकार की स्थापना नहीं वरन समस्त मानव की एक संसद् बनाना है। मुझे याद है कि हमारे प्रधान मंत्री ने भी एक बार कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता का विचार छोड़ एक विश्व सरकार की स्थापना की बात करनी चाहिये, परन्तु अभी उसके लिये समय नहीं आया है। इस प्रस्ताव से एक दो बातों पर प्रकाश पड़ता है। एक तो यह कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों की सुनवाई नहीं होती है। वास्तविक शक्ति तो सुरक्षा परिषद है, और यह दस वर्ष हुए स्थापित की गई थी। इसमें बड़े बड़े राष्ट्र हैं। यद्यपि भारत भी एक बड़ा राष्ट्र है परन्तु वह उसमें नहीं है। अन्य कई राष्ट्रों का जन्म हुआ है और हो रहा है, इसलिये दस वर्ष पुराने अधिकार-पत्र का पुनरीक्षण तो होना ही चाहिये, और जब कि गत दस वर्षों में कई महान परिवर्तन हो चुके हैं। बहुत से राष्ट्र, जैसे भारत, ब्रह्मा, पाकिस्तान स्वतंत्र हो गये हैं चीन नया चीन बन गया है। इसलिये अधिकार-पत्र में संशोधन तो किया ही जाना चाहिये और सुरक्षा परिषद के गठन में भी परिवर्तन होना चाहिये। सभी राष्ट्रों को इसमें समुचित स्थान मिलना चाहिये। भारत को पांच स्थायी स्थानों में से एक मिलना चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व का भी प्रश्न है और इसे हमारे माननीय मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने उठाया भी था। इस पर विचार किया जाना चाहिये और जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार संसद को दिया जाय सभी राष्ट्रों को ठीक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। यह नहीं हो सकता कि एक के ४०० सदस्य हों तो दूसरे के ५ या १५ ही रहें।

अब प्रश्न आता है वीटो का। मैं अपने मित्र से सहमत हूं कि वर्तमान परिस्थिति में वीटो के अधिकार को हटा लेने से गड़बड़ी मच जायेगी।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : मैंने यह तो नहीं कहा कि वीटो का अधिकार हटा दिया जाना चाहिये।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** : मेरा आशय यही है कि यह स्वप्न अभी पूरा नहीं हो सकता, कुछ वर्षों बाद चाहे पूरा हो जाय, और हम चाहते हैं कि वह समय आये।

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इस प्रस्ताव की विषय वस्तु के संबंध में सदन के सदस्यों ने चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा दलगत रूप में अपना जो भी मत प्रकट किया हो परन्तु इतना तो है ही की हमें इस प्रस्ताव के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है। इस प्रश्न पर सदस्यों ने जो रुचि प्रकट की है उसकी मैं सराहना करता हूं, परन्तु मुझे खेद

†मूल अंग्रेजी में

है कि यह प्रशंसा यहीं तक रहनी चाहिये। सरकार किसी रूप में भी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है, न ही सरकार इस सबंध में दी गयी युक्तियों अथवा संशोधनों से ही सहमत है। फिर भी श्रीमान यह कहा जा सकता है कि जितने भी वक्तव्य दिये गये हैं उन सभी का विषय से कोई संबंध नहीं था। मामला विश्व सरकार का था और हम बातें करनें लगे भारत और चीन के सबंधों की और जनता के प्रतिनिधि की। मेरा विचार है कि यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ पर जैसा कि वह है, उसी रूपमें विचार करें, उसका संविधान क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसे भंग किये बिना यह सब युक्तियां इस पर लागू हो सकती हैं। इत्यादि बातों पर विचार करें तो अधिक लाभ होगा।

मैं नहीं कह सकता कि मुझे सदन कितना कुछ कहने की अनुमति देगा, परन्तु यह सत्य है कि इसी आधुनिक युग के, इन्हीं गत २०० वर्षों में लोगों की अन्तर्राष्ट्रीय भावना बनी है। इससे पूर्व साम्राज्यशाही के दिन थे। प्रथम बार वर्तमान इतिहास में वैस्टपोलिया की संधि के साथ इस विचार धारा का अभ्युदय हुआ कि सभी राष्ट्रों को एक साथ मिल बैठना चाहिये और ओस्नाब्रुक की सन्धि के समय प्रथम बार यह निर्धारित किया गया कि निर्वाचकों अर्थात् गवर्नरों और राष्ट्रों को एक राज्य एक मत के आधार पर प्रतिनिधीत्व दिया जायेगा। आज न तो कोई विश्व सरकार है न ही उसकी कोई विश्व कार्यपालिका है और न ही कोई विश्व विधान मंडल है। उस समय से बहुत से स्वतंत्र सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा इस बारे में कई प्रयत्न किये गये हैं; और मुझे विश्वास है कि सदन मेरे इस कथन से सहमत होगा कि सभी राष्ट्रों को अपने आप पर गर्व है और वह अपनी प्रभुता पर आंच नहीं आने देना चाहते। कोई भी अपनी शक्ति रहते इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इस सदन में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो इसकी अपनी स्वीकृति के अतिरिक्त इसकी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता के त्याग दिये जाने के पक्ष में होगा।

इस प्रकार १९वी शताब्दी के प्रारम्भ तक प्रगति होती गयी। सबसे प्रथम एकीकृति यूरोप की कल्पना की गई और यह राष्ट्र कुल को विश्व सरकार के रूप में बांधने का एक प्रयत्न था। यह कोई एकीय एकता का प्रयत्न नहीं है, यह तो एक समूह है, राष्ट्रों की एक कल्पना है। इसी से ही लीग ऑफ नेशन्स संबंधी अन्तिम प्रयोग किया गया, इसके संबंध में अभी उल्लेख करूंगा क्योंकि मेरे एक मित्रने इसी प्रयोजन की एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की आरम्भ १ जनवरी, १९४२ को की गई संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा से हुआ, और इसका आधार अटलांटिक चार्टर (अधिकार-पत्र) की शर्तें और १९४२ में संयुक्त राष्ट्रों की वह घोषणा थी जिस पर भारत सहित २६ राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये थे वे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारम्भिक सदस्य हैं। अक्तूबर १९४३ में मास्को घोषणा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति सामने आयी। १९ अक्तूबर, १९४३ को मास्को सम्मेलन ने यह घोषणा की :

".....के सिद्धांत पर आधारित एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की यथासंभव शीघ्र स्थापना की आवश्यकता....."

इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है :—

".....जो समस्त शान्ति प्रिय देशों की एक समान सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता पर आधारित होगी। उसकी सदस्यता छोटे बड़े ऐसे सभी राष्ट्रों को खुली होगी और यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने के लिये होगी।" यही तो समस्या की कुंजी है ; कि संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों की समान सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता के सिद्धांत पर आधारित है और यह समानता किसी भी आर्थिक, राजनीतिक अथवा नैतिक शक्ति के आधार पर अथवा जनसंख्या की अधिकता के कारण भंग नहीं की जा सकती है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है और छोटे बड़े सभी राष्ट्र इसके सदस्य बन सकते हैं और इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखना है।

[श्री कृष्ण मेनन]

इस बात को १ दिसम्बर, १९४३ को तेहरान सम्मेलन में पुनः स्वीकार किया गया, और तब यह घोषणा की गयी,

"छोटे बड़े उन सभी राज्यों के सहयोग और सक्रिय सहकारिता से जिसकी जनता मन विचार से हमारी जनता की भांति ही दमन और सहिष्णुता को गुलामी और अत्याचार को समाप्त कर देने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध है।"

आपको याद होगा कि युद्ध में हिटलर वाद के विरुद्ध इस पर अमल किया गया था। इसलिये इतिहास के आधार पर कहा जा सकता है कि आरम्भ से लेकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ इसी आधार पर कार्य करता रहा है कि सभी छोटे बड़े राष्ट्रों का इस संस्था में समान स्थान है।

लीग ऑफ नेशन्स का उल्लेख किया गया, मैं उसके दो पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा। लीग ऑफ नेशन्स में भी छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता की समानता के सिद्धांत को और भी दृढ़ता से मान्यता प्रदान की गई थी और लीग की महासभा तथा परिषद के प्रत्येक निर्णय सर्व-सहमति के करने का प्रण किया था। परन्तु यह व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से तो ठीक रही परन्तु व्यवहारिक रूप में वह सफल नहीं हो सकी। लीग ऑफ नेशन्स में, सैद्धांतिक रूप से, बड़ी और छोटी शक्तियों में कोई अन्तर नहीं था, और यही स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में भी है, अर्थात् यदि दोनों में कोई अन्तर है, तो विश्व के वास्तविक और यथार्थिक संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली निस्संदेह पुरानी लीग ऑफ नेशन्स की अपेक्षा अधिक सुचारु है। और यह सुधार प्राप्त अनुभवों के आधार पर किया गया है।

श्रीमान मेरे लिये यह बताने का उपयुक्त अवसर है कि इस संकल्प में "संयुक्त राष्ट्र संघ" शब्द मौजूद है जब कि १९४७ में प्रशासकीय विनियम के अनुसार अब उसे केवल "संयुक्त राष्ट्र" कहा जाता है और संघ का अभिप्राय उसकी एजेन्सियों से है।

हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल पाठ पर निर्भर करते हैं और उसकी प्रस्तावना में कहा गया है:—

"हम संयुक्त राष्ट्र के व्यक्ति आने वाली संततियों को युद्ध से बचाने के लिये अपने प्रयत्नों द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति का संकल्प करते हैं और हमारी सरकारें इस चार्टर से सहमत हैं।

इस प्रकार प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट है कि उसके नैतिक आधार जनता की भावनाओं से संबद्ध हैं और उन का प्रतिनिधित्व विविध सरकारें करती हैं। चार्टर के उपबन्धों के बारे में कहने से पहले मैं उसका अपना संविधान से सम्बन्ध बताना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद ५१ के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति के लिये राज्य जिम्मेवार हैं और संसद्जनता अथवा निर्वाचक जिम्मेवार नहीं हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व सरकारें करती हैं और कोई नहीं करता। यह ठीक है कि सरकार पर संसद् का प्रभुत्व है और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सरकार की नियुक्ति करता है किन्तु जहां कहीं उत्तरदायी सरकार होती है वहां उस राज्य के प्रति वह सरकार जिम्मेवार होती है और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सरकारी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन है और उसमें यह संभव नहीं है कि प्रत्येक शिष्ट मंडल में निर्वाचित सदस्य हों जो विश्व की राजनीति पर बहस करें और अपने देश और अपनी संसद् से विपरीत दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करें। वह सब एक अच्छा खासा मजाक होगा अतः यह सुझाव अव्यवहारिक है।

इस संकल्प में जो तीन विचार हैं उनके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो सरकार से यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का पुनरीक्षण हो। किन्तु, ऐसा करना हमारे लिये तब तक संभव नहीं है जब तक कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे संकल्प को दो तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो। इस आशय का एक संकल्प वहां पारित किया गया था यद्यपि वह पुनरीक्षण के संबंध में न था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद १०८ में यह उपबन्ध है कि यदि चार्टर का कोई पुनरीक्षण न हुआ हो तो महासभा को चार्टर पर विचार करने के लिये एक सम्मेलन बुलाना चाहिये।

हमारी सरकार चार्टर के आमूलचूल पुनरीक्षण के विपक्ष में है। प्रजातांत्रिक प्रणाली का अनुसरण करते हुए हम प्रति दस वर्ष में अपने संविधान को तोड़ मरोड़ कर दूसरा नहीं बना सकते, हम संशोधन अवश्य कर सकते हैं और ज्यों ज्यों हमारी रूढ़ियों तथा प्रथाओं में परिवर्तन होंगे त्यों त्यों संस्थाओं और विचारों पर उसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा। इतना हम मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भी त्रुटियां हैं किन्तु वे चार्टर के कारण नहीं हैं। वे विभिन्न राष्ट्रों, सरकारों और विभिन्न सभ्यताओं के कारण हैं। हम चार्टर के द्वारा मानव स्वभाव को नहीं बदल सकते। विविध राष्ट्र इस चार्टर में अपनी समान निष्ठा नहीं रखते।

अतः संयुक्त राष्ट्र महासभा के दसवें सम्मेलन म एक संकल्प पारित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति संतोषजनक होने के अवसर पर चार्टर का पुनरावलोकन किया जाये। संयुक्त राष्ट्र में हमने इस संकल्प को स्वीकार किया है और वस्तुतः यह संकल्प अधिकांश रुप में भारतीय मंडल के संशोधनों का ही परिणामस्वरूप है और सारी महासभा ही ऐसे तरीके निकाल सकती है जिनके अनुसार चार्टर पर पुनर्विचार किया जा सके।

इन्हीं कारणों से मैं पुनरीक्षण के पक्ष में नहीं हूं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों में वर्तमान तनाव के कारण वर्तमान चार्टर के अधीन काम करना ही कठिन हो रहा है और समस्त विश्व दो वृहत् खंडों में बटा हुआ है अतः ऐसे समय में पुनरीक्षण तो क्या संशोधन करना भी उचित नहीं होगा। उसमें इस प्रकार का सुधार तो हो सकता है कि नये सदस्यों के आगमन के कारण उसके विभागों में वृद्धि की जाये किन्तु अन्य परिवर्तनों के लिये पहले सुरक्षा परिषद में वृहत् शक्तियों की स्वीकृति आवश्यक है। इसी कारण से कुछ सदस्यों ने 'वीटो' के अधिकार का जिक्र किया है। मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि 'वीटो' शब्द चार्टर में कहीं नहीं आया है।

†**एक माननीय सदस्य** : सर्व सम्मति।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी हां। 'वीटो' शब्द अखबार वालों की ईजाद है। इसका अर्थ यह है कि बड़ी ताकतों में सर्वसम्मति होनी चाहिये। हम उस सर्वसम्मति को नष्ट करना नहीं चाहते। यही तो संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता का एक आधार है।

हमें लीग ऑफ नेशन्स का अनुभव है कि एक एक करके सब राष्ट्र उसे छोड़ते चले गये। हमें याद रखना चाहिये कि बड़ी ताकतों में से एक भी ऐसी नहीं है जो अपने 'वीटो' अधिकार को छोड़ना चाहें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि श्री केवट लॉज ने मुझ से कहा था और उन्होंने सब के सामने भी कहा कि अमेरिका 'वीटो' के अधिकार को नहीं छोड़ सकता। अपने संविधान के अधीन अमेरिका को यह आदेश नहीं दिया जा सकता कि वह अपने मामलों के लिये किसी से युद्ध करे। अतएव विश्व सुरक्षा के लिये राष्ट्रों में सर्व सम्मति का होना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र और लीग ऑफ नेंशन्स मे यह अन्तर है कि लीग के पास किसी बात को लागू करने के लिये कोई शक्ति नहीं थी। किन्तु, सुरक्षा परिषद् के पास शक्ति का उपबन्ध है। इस शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक बडी ताकतें इसके लिये सहमत न हों और उनके पास ही हथियार हैं और शक्ति है। यदि हम उनकी सहमति बिना किसी बात का निश्चय करें तो इस का अर्थ यह होगा कि विश्व में कोई एकता नहीं है और ऐसे निश्चय के पीछे कोई शक्ति भी नहीं होगी।

'वीटो' का विरोध प्रायः वह देश करते हैं जिनके ऊपर कोई दायित्व नहीं है और जो 'वीटो' के दुरुपयोग से असंतुष्ट रहते है। किसी भी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है अतः यह कोई तक नहीं है।

अब मैं संकल्प के और विषयों के बारे में कहना चाहता हूं। इस संकल्प में शांति अथवा सुरक्षा के लिये नहीं बल्कि इस बात के लिये कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एशिया और अफ्रीकी राष्ट्रों का उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व हो और संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्थाओं में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के अनुसार हो। पहली बात तो यह है कि कोई भी संशोधन विश्व के किसी एक भाग पर लागू नहीं होता वह समस्त विश्व पर लागू होता है, फिर यदि इसकी अनुमति दे भी दी जाये तो मैं माननीय सदस्य से पूछता हूं कि वे उसका प्रबन्ध कैसे करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में प्रतिवर्ष महासभा द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित किये जाते हैं। महासभा के चुनाव के बाद ही वह चुनाव होता है। इसके बाद जब कोई अपने देश में जाये और दूसरे चुनाव की तैयारी करे तब तक तो वहा उसकी अवधि पूरी हो जायेगी। यह प्रस्ताव बिलकुल व्यवहारिक नहीं है निर्वाचित विश्व संसद् उसी समय बनाई जा सकती है जब कि एक विश्व राज्य हो, और विश्व विधि हो। किन्तु यह तो भविष्य की कल्पना है। अभी यह काम व्यवहार में नहीं लाया जा सकता।

हम उस ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यदि इस प्रकार का चुनाव हो तो उस देश के निर्वाचितों को यह अधिकार होगा कि वे संसद् से पूछे बिना ही संयुक्त राष्ट्र में काम चलाने लगें। यदि भारत से संयुक्त राष्ट्र को कोई शिष्ट मंडल जायेगा तो वह संसद् से पृथक् होगा और जनता द्वारा निर्वाचित होने के कारण स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। इस का परिणाम यह होगा कि राष्ट्र के सम्पूर्ण प्रभुत्व का विचार ही नष्ट हो जायेगा।

इसके पश्चात यह प्रश्न उठेगा कि इस प्रकार के संयुक्त राष्ट्र के निश्चयों का कैसे पालन किये जाये। अभी तो राष्ट्रीय सरकारों द्वारा उनका पालन किया जाता है। प्रत्येक सरकार की एक संसद् है। संयुक्त राष्ट्र तो सिफारिश के रूप में संकल्प पारित करता है। वह सिफारिश सभी देशों से की जाती है और यदि उस पर कोई कार्यवाही की जाती है तो प्रत्येक देश के संविधान की प्रक्रिया के अनुसार उसका पालन किया जाता है। तो इस नीति की कार्यान्वित केवल सरकारों द्वारा ही हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के पास ऐसे साधन नहीं कि वह इन निश्चयों को कार्यरूप दे सकें मुख्य कठिनाई तो यही है।

संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध यह भी कहा गया है कि उस ने चार्टर में युद्ध को दूर करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है जब कि 'लीग ऑफ नेशन्स' ने ऐसा किया था और उसने उद्बन बम के प्रयोग को बन्द नहीं किया है। इस विषय में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की यह अभिलाषा तथा नीति है कि एशिया और अफ्रीका के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़े और इसके साथ ही अणु बम तथा अन्य भयानक अस्त्रों के प्रयोग को रोकने के बारे में कोई समझौता हो जाये। इसके लिये हम भरसक प्रयत्न भी कर रहे हैं। मैं अभी यह बताऊंगा कि इसके लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चार्टर की प्रस्तावना में युद्ध को दूर करने का उपबन्ध किया गया है। यदि संसद् अथवा संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य कोई संगठन उस काम को नहीं कर पाते तो इस का यह अर्थ नहीं कि चार्टर का पुनरीक्षण किया जाये। इसका अर्थ तो यह है कि और अधिक प्रयत्न किये जायें। इसके विपरीत 'लीग ऑफ नेशन्स' में केवल यही उपबन्ध किया गया था कि राष्ट्रों के समस्त विवाद युद्ध से नहीं बल्कि शांति से निबटाये जायें।

युद्ध को अवैध घोषित करने के संबंध में केवल एक अंतर्राष्ट्रीय संकल्प विद्यमान है जो "केलोग पैक्ट" के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय यदि युद्ध को दूर किया जा सकता है तो वह अमेरिका और रूस के बीच समझौते के द्वारा ही किया जा सकता है। उनके पास ही हथियार हैं और वे ही अपने हथियार डाल सकते हैं। उनके अतिरिक्त यदि समस्त विश्व भी युद्ध बन्द करना चाहे तब भी उसका खतरा रहेगा। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व की समस्याओं को हल करने, समझौते कराने और विश्व का तनाव कम करने का प्रयत्न करता रहता है।

यह कार्यवाही करने के लिये अधिकार पत्र में संशोधन करना आवश्यक नहीं है। राष्ट्र संघ के प्रस्तावानुसार कार्यवाही की जाती है और राष्ट्र संघ का उद्देश्य संसार को युद्ध से मुक्ति दिलाना, शस्त्रास्त्रों की मात्रा को कम करना और अन्य बातें हैं। पिछले दस वर्षों से एक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया जा रहा है जो किसी समझौते पर आधारित है अथवा जिसके द्वारा सरकारों को किसी

बात पर सहमत करने के लिये प्रयास किया जा रहा है । इन सरकारों ने बातचीत आदि करके यह देखने की कोशिश की है कि क्या निःशस्त्रीकरण का कोई सिद्धांत निर्धारित किया जा सकता है । अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है । वह कुछ अधिक निकट आते हैं और बाद में फिर दूर हो जाते हैं, किन्तु अब भी वह प्रयत्न कर रहे हैं ।

यह बात नहीं है कि सॉन फ्रांसिसको में राष्ट्र संघ अधिकार पत्र पर जिस समय चर्चा हुई तब हाइड्रोजन बम की समाप्ति की जानकारी नहीं थी, वास्तव में वह विदित था । हाइड्रोजन बम का आतंक हमारे ऊपर इसलिये नहीं है कि उसे अधिकार पत्र में नहीं लिखा गया है । इसका कारण यह है कि संसार में कोई सहमति नहीं है, राष्ट्र एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, विभिन्न राष्ट्र संघों के बीच विवाद है और वे युद्ध के नये उपाय खोजने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्रीमान, हमें बताया जाता है कि राष्ट्र संघ में भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों में संसद् का प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिये । इस संबंध में हम कोई नियम बना लें यह मैं नहीं चाहता हूं किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि राष्ट्र संघ में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों में संसद् सदस्यों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । मेरे पास इस संबध में आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु मैं अपनी यादाश्त से यह बता सकता हूं कि गत वर्ष जो १६ वैकल्पिक और परामर्शदाता प्रतिनिधि गये थे उनमें से ७ संसद् के सदस्य थे । उससे पहले वर्ष में १५ प्रतिनिधियों में से ८ संसद् सदस्य थे । मेरे कहने का आशय यह है कि आठ सदस्य संसद् शास्त्री थे जिनमें एक व्यक्ति दिल्ली राज्य विधान सभा का था । हमारी संसदीय व्यवस्था में संसद् सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व को सीमित करना संभव नहीं है । अमरीकी ढंग की सरकार जहां कार्यपालिका संसद् के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और हमारे जैसी सरकार जहां संसद् सर्वोच्च है इन दोनों में यही अन्तर है । यदि पार्लियामेंट सरकार को नहीं चाहती है तो वह सरकार का निष्कासन कम से कम सैद्धांतिक रूप से कर सकती है । इसलिये स्थिति यह है कि राष्ट्र संघ में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का नामांकन वास्तव में एक दूसरे एकक में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की स्वीकृति है । राष्ट्र संघ में भेजे गये प्रतिनिधि मंडल का सभापति फिलहाल अमरीका में राजदूत है । उसे इस प्रकार स्वीकार किया गया है । हम उसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, हम एक ऐसी स्थिति में अपने आपको पाते हैं जहां राष्ट्रीय विदेश नीति का संचालन सरकार नही वरन् संसद् करती है । वह सही हो अथवा गलत हो किन्तु हमने एक ऐसी व्यवस्था अपनाली है जहां सरकार संसद् के प्रति उत्तरदायी है और वह अपनी गतिविधियों का विवरण संसद् को देती है । जहां तक संसदीय समिति द्वारा अधिकार पत्र के संशोधन का संबंध है निश्चय ही वह किसी प्रश्न का अध्ययन कर सकती है किन्तु जब तक हमारी जैसी संसदीय व्यवस्था मौजूद है तब तक इसका दायित्व सरकार पर होना चाहिये ।

प्रधान मंत्री के वक्तव्यों के उल्लेख किये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, यह बात निश्चित है कि प्रधान मंत्री एक से अधिक वक्तव्य देते हैं । इसलिये वक्तव्य का निर्देश किस बात से है यह मुझे ज्ञात नहीं है । यह सच है कि उन्होंने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि संसार को एकता की ओर अग्रेसर होना चाहिये किन्तु वह राष्ट्र संघ अधिकार-पत्र को सुधारने के बारे में नहीं कह रहें हैं । वे एक ऐसी बात के बारे में कह रहे हैं जो अतीत में छोटे गुटों से, जो कि जातियों से भी कम हैं, निकली है, और अब राष्ट्रों का विचार-विनियम होता है और हम सम्मेलन के जरिये किये गये समझौते के आधार पर किसी दूसरे पर हमारी इच्छा को लादे बगैर सामूहिक कार्यवाही करते हैं । सम्भव है कि एक समय ऐसा आये जब कि इस ग्रह पर बसने वाले लोग एक विश्व विधान सभा में भाग ले सकेंगे, एक विश्व विधि होगी और एक विश्व सरकार होगी । यह सम्भव है किन्तु राष्ट्र संघ का आधार यह नहीं है । राष्ट्र संघ सार्वभौम राष्ट्रों के बीच हुए समझौते पर आधारित है और इसीलिये यद्यपि विश्व सरकार आदर्श है और उसके लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये तथापि वह एक ऐसी बात है जिसे अधिकार पत्र के संशोधन के जरिये हासिल नहीं किया जा सकता है ।

कई सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि हाइड्रोजन बम के प्रयोग पर रोक लगाने के बारे में हम अधिकार-पत्र में क्यों लिख नहीं सके । यदि हम एक प्रस्ताव पारित नहीं करा सके हैं तो हम अधिकार पत्र कैसे लिखा सकते हैं ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :** आपको उसके लिये कार्य करना होगा ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** वह तो किसी व्यक्ति को यह कहने समान ही है कि 'यदि तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो तुम मिठाई क्यों नहीं खाते हो ?' इसलिये यह बिलकुल अव्यवहार्य है । मुझे खेद है कि माननीय सदस्य समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं । मेरा ख्याल है कि राष्ट्र संघ में कार्य को परिचालित करने तथा उसका प्रचार करने के लिये मंत्रालयों द्वारा अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है । संभव है कि संसद् की सतर्कता आवश्यक है । यह भी सभव है कि राष्ट्र संघ की प्रक्रियाओं का जो प्रचार बाहर होता है वह पर्याप्त नहीं है । कुछ ही सप्ताह पूर्व भारत सरकार ने, जो कि निःशस्त्रीकरण आयोग में सम्मिलित न होने वाली एक मात्र सरकार है, अपने विचार आयोग के समक्ष व्यक्त किये थे । पिछले दो वर्षों में निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रारम्भ किये जाने के लिये हमने संघर्ष का नेतृत्व किया है । ऐसा कार्य सदा ही लोकप्रिय नहीं होता है । क्योंकि यद्यपि स्वयं निःशस्त्रीकरण की भर्त्सना की जाती है और हर कोई शांति चाहता है तथापि यदि आप किसी के शस्त्रास्त्रों को कम करने का प्रयत्न करें तो वह ऐसी बात पसन्द नहीं करता है । यदि आप यह कहते हैं कि विस्फोट न होने दीजिये तो लोग विस्फोट के लिये उत्तरदायी हैं वे बुरा मान जाते हैं । यह कार्य करना अक्सर कठिन होता है । यदि संकल्प का उद्देश्य अथवा प्रयोजन केवल सरकार पर आगे कार्यवाही करने के लिये जोर डालना है तो जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है । किन्तु जोर डालना उपयुक्त ही है । इस मामले के बारे में किसी देश के जितने अधिक संसद् सदस्य और लोग विचार करें उतना अधिक अच्छा होता है । १९५२ से जब से हमने इस मामले में सक्रिय भाग लिया है तब से हमने मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से कई प्रयत्न किये हैं । हम एक देश के नाते निःशस्त्रीकरण आयोग का एक अंग नहीं हैं उसमें सुरक्षा परिषद और कनाड़ा के सदस्य होते हैं और हमने इस वर्ष जो कार्यवाही की अथवा वृहत् सभा में जो भाषण दिये उनसे ही हमारा उससे सम्बन्ध है । अध्यक्ष महोदय मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि हम जो भी प्रयास करते हैं उसमें हमें सदन का उग्र और उत्साह पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है किन्तु यह कहना गलत होगा कि चूंकि हाइड्रोजन बम का अधिकार-पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है इसलिये उससे गड़बड़ी उत्पन्न होगी ।

जहां तक राष्ट्र संघ में एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों को लोक संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि एक एशियाई देश के नाते हमारे लिये इस प्रकार की बातचीत करना अत्यन्त अदूरदर्शितापूर्ण होगा क्योंकि एशिया और अफ्रीका में कई देश ऐसे हैं जिनकी लोक संख्या काफी है और स्वयं हमारी लोक संख्या अधिक है । इसलिये यदि हम एक दलील के बतौर उसका प्रयोग करना चाहते हैं और यद्यपि वह एक अव्यवहारिक प्रस्थापना है तो भी उससे अन्य देशों के लोगों के मन में सन्देह उत्पन्न होगा । इस प्रसंग में यहां इस बात का उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा कि जब योगदान के भुगतान का अवसर आता है तो राष्ट्र संघ में हम इसका ठीक विरोधी तर्क प्रस्तुत करते हैं । हम किसी और तरीके से भुगतान करते हैं ।

राष्ट्र संघ में लोक संख्या के आधार पर लोगों के प्रतिनिधित्व की कल्पना का काफी प्रचार किया गया है और इस संबंध में काफी कुछ लिखा भी गया है । हाल ही में एक अमरीकी लेखक ने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है जो वस्तुस्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत करती है । किन्तु उससे कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि जो सरकारों की ओर से राष्ट्र संघ को भुगतान करते हैं वह जिम्मेदारी नहीं निभा सकते । यह स्थिति है ।

एक अन्य बात यह है कि प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जिनका समर्थन लोग करते है अथवा जिसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है । ऐसे अन्य देश हो सकते हैं जहां कई वयस्क मताधिकार नहीं है किन्तु मैं यहां उनका उल्लेख नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना अनुचित होगा । इसके अलावा हमारे द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव किया जाने का अर्थ यह होगा कि हम दूसरों को यह बतायें कि उनके यहां किस प्रकार की सरकार होनी चाहिये । आखिरकार शासन के सर्वोत्तम प्रकार के बारे में अब तक किसी ने अन्तिम व्याख्या नहीं की है । किसी देश में किस प्रकार की

†मूल अंग्रेजी में

सरकार हो इस बात का निश्चय करना उस देश पर निर्भर करता है। केवल वयस्क मताधिकार के अनुसार निर्वाचित व्यक्ति ही राष्ट्रसंघ में होने चाहिये यह कह कर यदि हम राष्ट्र संघ में एक सार्वजनिक विवाद प्रारम्भ करते हैं तो हम ऐसे कई व्यक्तियों को राष्ट्र संघ में आने पर रोक लगा देंगे जिन्हें कि वहां होना चाहिये। और यही तर्क हमने राष्ट्र संघ में चीन की सरकार को प्रवेश न होने देने के विरोध में सदा प्रस्तुत किया है। यह राष्ट्र संघ की मर्जी का प्रश्न नही है। वह वातावरण का और तथ्यों का प्रतिबिंब होता है और इसलिये उनका प्रतिनिधित्व अवश्य किया जाना चाहिये। जिससे कि इस संकल्प के किसी भाग को अथवा प्रस्तुत किये हुए तर्कों को सरकार का समर्थन नहीं प्राप्त हो सकता है। माननीय सदस्य को यह संतोष होना चाहिये कि उन्होंने इस मामले पर चर्चा करने का अवसर इस सभा को प्रदान किया है और उन्होंने उसे यथासम्भव प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि वह उसे वापिस ले लेना ही ठीक समझेंगे। यदि वह उसे वापिस नहीं लेते है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी बात पर सहमत कराने की मेरी शक्तियां बहुत कम हैं और हमें सदन से यह अनुरोध करना चाहिये कि वह संकल्प को तथा सभी संशोधनों को अस्वीकृत करें।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य संकल्प को वापस ले रहे हैं?

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** मैं कुछ उत्तर देना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमने दो घंटे से कहीं अधिक समय ले लिया है और मैं अगले संकल्प के बारे में कार्यवाही करना चाहता हूं इसलिये माननीय सदस्य कृपा करके अपना भाषण ५ ७ मिनट में समाप्त कर दें।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** मुझे आदर्शवादी, अव्यवहारी और बहुत कुछ कहा गया है। इसका निर्णय सभा और देश करेगा किन्तु मुझे जिस जिन विशेषणों से विभूषित किया गया है उनका मैं तीव्र विरोध करता हूं। विश्व राज्य की स्थापना सम्बन्धी यह प्रस्ताव कहां तक व्यवहार्य है यह समय ही बतायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय:** क्या यह संकल्प का अंग नहीं है?

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** वही प्रस्ताव है। मेरा निवेदन यह है कि जनता द्वारा चुने गये सदस्यों का अर्थ एक विश्व राज्य की स्थापना है। परिभाषिक दृष्टि से मैं राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र के पुनरीक्षण का प्रस्ताव नहीं करता हूं किन्तु यदि मेरे सुझाव स्वीकृत किये गये तो अधिकार-पत्र संविधान होगा और राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ न रह कर एक विश्व राज्य हो जायेगा। मैं एमेरी रीवज़ द्वारा लिखित एनाटौमी आफ पीस से एक अंश पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने यह बताया है कि मौजूदा परिस्थितियों में भी स्वराज्य कहां तक व्यवहार्य है।

†**श्री सादत अली खां :** इसका प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं और पहले श्री म० शि० गुरुपादस्वामी का संशोधन प्रस्तुत करूंगा। क्या माननीय सदस्य यही चाहते हैं?

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :** जी हां।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री म० शि० गुरुपादस्वामी का प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या श्री दी० चं० शर्मा चाहते हैं कि उनका संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाये?

†**श्री० दी० चं० शर्मा :** मैं संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री श्रीनारायण दास :** मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या श्री ब्रजेश्वर प्रसाद अपने मूल संकल्प को वापिस ले रहे हैं ?

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

चलचित्रों के निर्माण और प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में संकल्प

†**श्री न० म० लिंगम्** (कोयम्बटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा का मत है कि संविधान के अनुच्छेद १९(२) में संशोधन करने के लिये सरकार को विधान पुरःस्थापित करना चाहिये जिससे कि सरकार देश में चलचित्रों के निर्माण और प्रदर्शन का प्रभावी रूप से नियंत्रण और विनियमन कर सके ।"

क्या मैं अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकता हूं क्योंकि अब समय बहुत थोड़ा रह गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, ६ अगस्त १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६४७

निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचना की एक प्रति ।

(२) खदान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत खदान अनुमोक नियम, १९४९ में कतिपय संशोधन करने वाली आठ अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

विधेयक विचाराधीन ६४८–७४

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५६ के खंड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३ पर और आगे विचार जारी रहा। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ६७५

सत्तावनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वापिस लिया गया ६७५–९२

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के, संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व देने संबंधी संकल्प पर और आगे विचार जारी रहा। चर्चा समाप्त हो गई तथा सभा की अनुमति से संकल्प वापिस लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प विचाराधीन ६९२

श्री न० मा० लिंगम् ने चलचित्रों के निर्माण तथा प्रदर्शन पर नियंत्रण एवं विनियमन के सम्बन्ध में एक संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, ६ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि —

राज्य पुनर्गठन विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, और आगे खंडवार विचार

———————

भा. स. मु. ना.—वि. ३—२०५ लोकसभा ५६—१७-७-५७—१९०